CONTENTS

Fifteenth Series, Vol. X, Fifth Session, 2010/1932 (Saka)
No. 10, Friday, August 6, 2010/ Sravana 15, 1932 (Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER 65th Anniversary of the dropping of atom bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki on 6th and 9th August, 1945, respectively	2
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 181 to 183	5-30
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.184 to 200	31-99
Unstarred Question Nos. 2071 to 2300	100-613

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member

PAPERS LAID ON THE TABLE 614-620

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 621

COMMITTEE ON MEMBERS OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME
2nd and 3rd Reports 621

STATEMENTS BY MINISTERS 622-624

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy

Dr. Farooq Abdullah 622

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation

Prof. Saugata Roy 623

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Ministry of Urban Development

Shri S. Jaipal Reddy 624

STATEMENT CORRECTNG REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 2671 DATED 12.03.2010 REGARDING ‘CASES OF LEPROSY’ ALONGWITH REASONS FOR DELAY 625-630

BUSINESS OF THE HOUSE 631-634

MOTION RE: EIGHTEENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 635

RE: DELAY IN PREPARATION FOR THE COMMONWEALTH GAMES 636-656

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (JHARKHAND), 2010-11 657-682

Shri Pashupati Nath Singh 658-663

Shri Adhir Chowdhury 664-667

Shri Shailendra Kumar 668-669

Shrimati Susmita Bauri 670-671

Shri B. Mahtab 672-674

Shri Narahari Mahato 675-676

Shri Madhu Koda 677-678

Shri Nishikant Dubey 679

Shri Namo Narain Meena 680-681

JHARKHAND APPROPRIATION BILL, 2010 683-684

NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2010 685-687

Motion to Consider 685-686

Shri Kirti Azad 687

MOTION RE: SEVENTH AND EIGHTH REPORTS OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS 688

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION 689-735

Identification of families living below poverty line and welfare measures for them

Dr. Raghuvansh Prasad Singh 689-699

Shri Hukamdeo Narayan Yadav 700-706

Shri Jagdambika Pal	707-714
Shri Shailendra Kumar	715-722
Shri Dara Singh Chauhan	723-729
Shri Mangani Lal Mandal	730-734
Shrimati Bhavana Patil Gawali	735

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	749
Member-wise Index to Unstarred Questions	750-754

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	755
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	756

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY-GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

<u>Friday, August 6, 2010/ Sravana 15, 1932 (Saka)</u>

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER

65th Anniversary of dropping of atom bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki on 6^{th} and 9^{th} August respectively

MADAM SPEAKER: Hon. Members may recall that 65 years ago, atom bombs were dropped on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki on 6^{th} and 9^{th} August, 1945 respectively, as a result of which thousands of innocent people lost their lives and millions were injured and crippled for life. This man-made catastrophe has wreaked unimaginable havoc and misery on generations of humankind. Persons living in the region are still suffering from the after-effects of the nuclear radiation caused by these bombings.

On this occasion, let us reiterate our pledge to make earnest endeavours for elimination of all weapons of mass destruction and to abjure violence in all forms.

The House may now stand in silence in the memory of the victims of the atom bomb.

11.01 hrs.

The Members then stood in silence for a short while.

MADAM SPEAKER: Question Hour.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, I have given notice for suspension of Question Hour. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No suspension of Question Hour. Please let us go ahead with Question Hour. Q. No. 181 – Shri K.R.G. Reddy.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Whatever is the matter, please raise it in the 'Zero Hour'. I will give you a chance in the 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Please allow me to raise the matter. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Not in the Question Hour please. Question Hour is under great stress. Please let us not put it under more trouble. Let us go ahead with Question Hour.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I will allow you in 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Madam, we want to discuss something very serious. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No. I am talking of the Question Hour.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I have said something. I am talking of the stress under which Question Hour is and you understand it as you are a very senior Member.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let us continue with the Question Hour. Whatever is to be raised, let us raise it in the 'Zero Hour'. Thank you so much.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Okay. … (*Interruptions*)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधान मंत्री जी, सोनिया जी, वित्त मंत्री जी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ज़ीरो आवर में रेज कीजिए।

...(व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): आप अभी बैठिए। ज़ीरो आवर में रेज कीजिए।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आप हमें ज़ीरो आवर में बोलने का समय दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम ज़ीरो आवर में बोलने का समय देंगे। आप पहले प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वे नए सदस्य हैं, उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

... (*Interruptions*)

(Q. No. 181)

MADAM SPEAKER : Q. 181, Shri K. R. G. Reddy.

SHRI K.R.G. REDDY : Hon. Madam Speaker, I am very much grateful to you for this opportunity given to me. As the House is aware, the banking industry has shown tremendous growth in volume and complexity during the last two decades. Despite making significant improvements in all the areas relating to financial viability and profitability and competitiveness, there are concerns that banks have not been able to include a vast segment of population, especially the under-privileged sections of the society, into the fold of basic banking services in rural areas.

My first supplementary to the hon. Minister is whether the Government has any proposal to give more monetary benefits and incentives to the bank officials who desire to go and work in the rural areas to make financial inclusion plan very much successful. If so, please give details thereof.

SHRI NAMO NARAIN MEENA : Madam, I agree with the hon. Member that more and more bank branches and financial services should be given to the rural areas. There are six lakh villages in the country. We have 88,000 bank branches in the country, and 61 per cent of the bank branches are in the rural and semi-urban areas.

As regards incentives that he wants from the banks, a large expansion is going on in rural areas, and all Government officers have to serve in the rural areas wherever they are posted. We are also opening bank branches in the rural areas, and this is part of the normal work of the bank officers in the banking business. No special incentive can be given at this stage, but it is up to the bank concerned. They have been approaching the banks and they can decide, but the whole House will agree that more and more schools, colleges, hospitals, and banks are opening in the rural areas. I think that giving incentives to the rural areas is not possible for any of the Departments. Further, India lives in rural areas.

SHRI K.R.G. REDDY : Hon. Madam Speaker, it is crystal clear that addressing financial inclusion will require a holistic approach on the part of the banks in creating awareness about financial products, education and advice on money management, debt counselling, savings and affordable credit. The banks would have to evolve specific strategies to expand the outreach of their services in order to promote financial inclusion. One of the ways in which this can be achieved in a cost-effective manner is through forging linkages with micro-finance institutions and local communities.

Technology can be a very valuable tool in providing access to banking products in remote areas. ATMs and cash dispensing machines can be modified suitably to make them user-friendly for people who are illiterate, less educated or do not know English by giving more stress, particularly, in the rural areas compared to the urban areas.

Now, my second supplementary to the hon. Minister of Finance, through Madam Speaker, is this. Is the Government redesigning the business strategies to incorporate specific plans to promote financial inclusion of low income groups -- treating them both a business opportunity as well as a corporate social responsibility -- by making use of all available resources including technology and expertise available with them, including NGOs in the rural areas and backward areas, to make financial inclusion a commercially profitable business? If so, I would like to know from the Minister about the steps being taken or proposed to be taken in this connection in the future.

MADAM SPEAKER: Thank you. Hon. Minister.

SHRI NAMO NARAIN MEENA : Madam, financial inclusion is an agenda of this Government and it is a part of inclusive growth. As I have mentioned earlier that there are less number of branches in the rural areas. Hence, the Reserve Bank of India (RBI) and the Government of India are taking all steps to provide banking services in the rural areas.

A roadmap for banking services is being developed. All these State convener banks have been asked by the RBI to submit roadmap for financial inclusion and most of the banks have submitted their roadmap for financial inclusion.

As hon. Members are aware that the hon. Finance Minister, in this Budget speech, has made it clear that banking services are to be provided in 60,000 villages by March 2012. Several steps have been taken for financial inclusion. In regard to simplification of branch authorization, the Reserve Bank has simplified, rather liberalized, the bank authorization. No prior permission is required in the rural areas where the population is less than 50,000. For North-East, no permission is required whether the population is below 50,000 or above 50,000. The Reserve Bank has been saying that if the banks want to open a branch in the urban areas, then they will have to open a branch in the rural areas also.

The Reserve Bank has also relaxed the KYC norms. No frill accounts are being opened; roughly four crores of no frill accounts have been opened. Business Correspondent model is going to be followed in the next two years. Then, all the banks have been asked by the Reserve Bank to go for core banking, and they are doing it, besides mobile banking and upgradation of IT. There are fewer banks in the North-East. Therefore, the Reserve Bank is asking the State Governments and the banks also to take advantage of the Viability Gap Fund Scheme of RBI. For five years, the Reserve Bank will give the capital as well as the running cost also.

The hon. Member was asking about how to include the poor persons. Financial literacy and credit counselling centres are being opened by the lead banks in one of the districts. They have been asked to do several things for financial inclusion. More money could be made available to the rural population. There is a policy under which 40 per cent money is being lent to the priority sector, 18 per cent is earmarked for the farmers, 10 per cent is reserved for the weaker sections and minorities, and the remaining is for the small industries.

SHRI S. SEMMALAI : Financial Inclusion Plan paves way for banking services at an affordable cost to the rural areas, especially weaker sections. In this context, I

would like to know from our hon. Finance Minister whether the rural post offices will be used as an enabling point for implementation of the Financial Inclusion Plan. Is there any move by the Ministry in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): So far as the various schemes for financial inclusion are concerned, my hon. Colleague has explained in detail. The basic approach is wherever it would not be possible to have a branch, brick and mortar branch, we should extend the advantage which is available for banking services through new technology – somewhere through mobile banks, somewhere through business correspondent. In these business correspondents, we can include a large number of self-help groups who are working on this. Similarly, a large number of business correspondents have been appointed by various banks. The banks have submitted to the Reserve Bank of India. I myself had the privilege of reviewing this in all the four zonal meetings from the middle of June to the end of July where the Chief Ministers, States' Finance Ministers and senior officers were present. So far as the post office branches are concerned, 1,50,000 post office branches have disbursed Rs. 8,864 crore under NREGA to fore-close accounts. They can be the Business Correspondents (BC) for the banks.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, मैं फाइनेंशियल इन्क्लूज़न के मामले में प्रश्न करना चाहता हूं। मंत्री जी ने निदेश दिया है कि बैंक्स में जीरो बैलेंस एकाउंट खोले जाएंगे। लेकिन मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि रूरल एरियाज में जीरो बैलेंस एकाउंट कोई भी बैंक नहीं खोल रहा है। वे लोगों से 500 रुपए या 1000 रुपए मांग रहे हैं कि पहले इतना बैलेंस लाओ, फिर एकाउंट खोलेंगे। क्या इस प्रकार की शिकायतें वित्त मंत्रालय को प्राप्त हुई हैं, अगर हुई हैं तो उन पर क्या कार्रवाई हुई है?

श्री नमो नारायन मीणा : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दे रखी हैं कि बैंक नो फ्रिल एकाउंट खोलें। देश में इस समय लगभग चार करोड़ जीरो बैलेंस और नो फ्रिल एकाउंट खोले गए हैं। अभी यह प्रोसेस चल रहा है। हो सकता है आपको कहीं इस तरह की दिक्कत आई हो, लेकिन गाइडलाइंस साफ हैं...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: This is precisely the reason that these guidelines have not been observed. When the complaints come, we have got the institutional

arrangement of having interaction with the State Government officials in the presence of the Chief Ministers, Finance Ministers and the banks. In those meetings, I am telling the bankers to listen to the complaints coming from the horse's mouth, that is, the State Government's representatives, political leadership and give me the action plan about how, in the next six months, they are going to address the grievances which are being articulated in this. I have covered all the States and I do hope that with this interaction, it would be possible.

Second thing that I have suggested is that there are State level bankers. Each bank has been assigned a duty for a State. They have also been assigned duties at the district level. I have requested the Chief Ministers that of these SLBs meeting, if at least one meeting is taken by him, then all the bankers who are operating in those areas, will be alerted. Similarly, the senior officers should also attend the meeting of the district level bankers so that the middlemen who are coming in between the bank officials and the normal common people, their role can be eliminated. With this type of vigilance mechanism which we are trying to build up by making the bank officials accountable, I think, some of the grievances which are coming and which are voiced, it would be redressed. As I mentioned yesterday, I am working out a mechanism through which peoples' representatives could also be associated with this type of activity so that whenever such grievances come to their attention, they can tell either at the district level meeting or at the State level meeting so that this could be properly and adequately addressed.

(Q. No. 182)

SHRI PONNAM PRABHAKAR : Madam Speaker, a recent survey of CRISIL estimated that by the end of March, 2011 the sector's Gross Non-Performing Assets (GNPAs) will increase to around five per cent of its advances, from 2.3 per cent at the end of March, 2008. In absolute terms, this will mean a tripling of NPAs to Rs.1.9 trillion. In the future the NPAs will definitely cross Rs.1 lakh crore which is equal to State Budget of one year. It is a well-known fact that all this is happening because of collusion between industry Directors and bank officials. On the one hand bank officials and industry Directors are becoming rich, and on the other the poor agricultural labourers are facing difficulties in getting loans from banks.

Madam Speaker, my first supplementary question to the hon. Minister of Finance is as to whether the Government has taken any steps to recover the NPAs from the Directors of such industries and other concerned bank officials during the last two decades. What steps is the Government taking to bring in legislation in this regard in the current Five-Year Plan?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Madam, the hon. Member has referred to the rating company CRISIL. I would like to tell the hon. Member that these rating companies go by certain assumptions. Whatever may be their assumptions and their forecasts, what we have stated in our reply is that the Gross NPAs are well within our control and this is under the permissible or desirable level. The hon. Member should not worry on this count. Our banking industry is very sound and the NPAs are well within the limits.

SHRI PONNAM PRABHAKAR : Has the Government taken any steps to make use of experience in foreign countries along with a clear understanding of local conditions, to create a tailor-made solution which is transparent and fair to all stakeholders to solve the NPAs problem in India permanently? Is the Government implementing the SARFAESI Act, 2002? Is any modification in the Act contemplated?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Madam Speaker, the hon. Member wants to know what steps we are taking and what legal provisions are available in the country. There are various avenues, channels for realizing money from the borrowers. SARFAESI Act is one of them. Another is DRT. The third course the banks are adopting is that of the Lok Adalats. There are two-three other mechanisms that are being adopted by the banks under the guidelines of the Reserve Bank of India like one-time settlement and CDR. He asked whether we are taking advantage of what is happening in other countries. Banking is an on-going industry. We learn from each other. Whatever channels and the law is available with us are sufficient. At this juncture I do not think there is any need of going for legislation?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam Speaker, in spite of so many measures taken like one-time settlement scheme, some legal action, as has been stated by the Minister, in regard to avenues of recovery, the amount of NPAs has not reduced. It rather increased. The amount of NPAs has almost doubled between March 2008 and March 2010.

Percentage of NPA in case of public sector banks - I am not talking of private sector banks - has also increased from March, 2009 to March, 2010 from 2.09 per cent to 2.27 per cent. The Government has taken a number of measures. May I know from the hon. Minister the total amount which has been written off during these years? I would also like to know from the Minister whether he would lay on the Table of the House the names of defaulters whose advance was more than Rs.5 lakhs. Defaulters are not from the middle-class or poor people but they are the big industries and corporate houses. There names should be disclosed by the Government. Would the Minister lay the names of those defaulters on the Table of the House whose money have not been recovered? How many have been prosecuted after taking legal measures and how much amount has been recovered from them?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : Surely, the hon. Member is fully aware that the Government's interest is to reduce the NPAs and to recover the outstanding loans - whether it is from the big or small or medium industries. I have already given the total consolidated figure of the NPA in the text of the reply. If the hon. Member goes through he would find that it has come down from 2.34 per cent as on March 31, 2008 to 2.27 per cent on March 31, 2010. But in respect of the old private sector banks, and new private sector banks, it is a little more. Now, you take the entire canvas. Nearly more than 70 per cent of the banking services are under the public sector. Therefore, in a small percentage of the banking activity the NPAs have increased but in a large chunk of cases, the NPAs have come down. But it is simply not possible because the confidentiality clauses and other things are there where the disclosure of the names would make that industry further sick and before the court declares them insolvent, in the public forum, they will be declared as insolvent. Whatever possibility of recovering money from them that will go and money of the depositors would be lost. So far as the consolidated figure is concerned, each nationalised and public sector bank lay the Annual Report on the Table of the House, during the entire Budget Session. They are authenticated by me or my colleague and the same are made available to the Members of Parliament.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदया, जो बात बिग इंडस्ट्रीयलिस्ट्स के बारे में कही गई है, उसे हम मान लेते हैं, मगर यह बात भी सत्य है कि सबसे ज्यादा एनपीए उनके कारण है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि रिजर्व बैंक के द्वारा कोपरेटिव सैक्टर्स में एनपीए बढ़ता है, तो बैंक लोन्स के लिए डायरेक्टर्स को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मान कर कड़ी कार्यवाही होती है। इसी प्रकार बाकी बैंकों में जो बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि जितना बड़ा लोन दिया जाता है, वह एमडी, डीजीएम की स्वीकृति के बिना नहीं होता है। जैसे कोपरेटिव्स के लिए जितनी कड़ाई से काम होता है, वैसे ही क्या इन अधिकारियों के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही इन बैंक लोन्स के लिए की गई है या कार्यवाही करने का सरकार का कोई इरादा है?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Whenever substantial money of a bank is under NPA, definitely the Chief Executives of the banks are made accountable. Therefore, appropriate measures are being taken; responsibilities are being fixed; umpteen number of cases are there where the senior officers are made responsible for engaging these things. You may have some experiences; if you give them, I can take care of them. But please remember that there are 88,000 bank branches are there all over the country and nearly 70 per cent of the banking business of this country is being carried out by the public sector banks and the remaining 30 per cent are being carried out by the private sector banks and the foreign banks. So, there is a huge operation which is going on there. If there are 5,000 such odd cases out of millions of transactions take place, one cannot say that it is very disproportionate. There may be some odd cases here and there, but in most of the cases appropriate actions are being taken as a result of that. Appropriate action need not necessarily be sending them to jail, if the cases are not so serious. But appropriate actions mean that they do not get promotions and some times, their ranks are reduced and some other times, there are certain other measures like censures, etc. These are all being taken care of.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN : For any business house, there are peak and lean seasons. The business house may suffer because of various factors like natural calamities or even a change in the policy of the Government. Because of the rigidity of the banks by not helping the borrowers and business houses, during the time of troubles, many of the loans become NPAs. I want to ask the hon. Minister, whether before considering borrowing as an NPA and proceeding with the recovery procedures, whether the Government has any plans to create a district level ombudsman body, to see whether the loans taken can be repaid by the borrowers or to find out ways and means to get the money back. The management of the banks is very rigid; they want to save their skins. So, the moment something happens, immediately they convert the loan as an NPA. I want to know from the hon. Minister whether he has any plans to create an ombudsman body in this regard.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: So far as the question of creating an ombudsman type of a body is concerned, such institutions are in place in different banks. What he was talking is about the rigidity of the banks. The banks will have to make due diligence before advancing the loan. Please remember that the bank's money is deposited by the public. So, they will have to ensure that that money is safe and the investment is safe. Therefore, it is not rigidity. Specific criteria have been fixed by the RBI, to decide what would be the NPAs, and accordingly we proceed.

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, क्या मेरा नाम एकदम पीछे कर दिया है?...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : अध्यक्ष महोदया, एनपीए प्रतिशत में घटने के मामले में सरकार का उत्तर आया है कि ग्रॉस एनपीए टू ग्रॉस एडवांसेज परसेंटेज में सरकार ने अपने उत्तर में दावा किया है कि एनपीए 2.34 प्रतिशत से 2.27 प्रतिशत घटा है लेकिन जो राशि है, वह राशि 49,749 करोड़ रुपए से लेकर 57,301 करोड़ रुपये बढ़ी है। राशि में एनपीए बढ़ गया है लेकिन प्रतिशत में घट गया है। इसलिए सरकार इसी बात को बताना चाहती है कि प्रतिशत में हमारा एनपीए घटा है लेकिन राशि में दुगुना हो गया है। यह विरोधाभास है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह आंकड़ों का विरोधाभास है कि आंकड़े में बढ़ गया है और प्रतिशत में घट गया है? दूसरी बात जो हम जानना चाहते हैं कि जो मेजर बैंक्स हैं, इसमें मूल प्रश्न में जिज्ञासा नहीं की गई है कि बैंकवाइज हमें बताइए। जो मेजर बैंक्स हैं, उसमें दस ऐसे कौन से बैंक्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा एनपीए हुआ है और 5 करोड़ से ज्यादा एनपीए को पिछले एक वर्ष में राइट-ऑफ किया गया है।

श्री नमो नारायन मीणा : माननीय सदस्य ने पब्लिक सैक्टर बैंकों के एनपीए की तुलना की है कि 57,000 करोड़ का पब्लिक सैक्टर बैंक का एनपीए है। इसके साथ इसी टेबल में एक दूसरा आंकड़ा दिया है कि एडवांसिस कितने बढ़े हैं। वर्ष 2008 में 16,00,000 करोड़ रुपए, वर्ष 2009 में 21,00,000 करोड़ रुपए और मार्च में 25,00,000 करोड़ रुपए एडवांसिस दिए गए थे। जब इतना एडवांसिस में जम्प होगा तो उसी प्रपोशन में एनपीए होगा। 2 प्रतिशत, 2.34 प्रतिशत, 2.09 प्रतिशत और 2.27 प्रतिशत एनपीए, यद्यपि किसी प्रकार की कोई नॉर्म्स निर्धारित नहीं हैं फिर भी जनरल बात मानी जाती है कि जिस बैंक का तीन परसेंट से कम या तीन परसेंट के आसपास है, उस बैंक की हैल्थ अच्छी है और वह डिजाएरेबल है।

SHRI ANANDRAO ADSUL : The Securitisation Act was enacted in the tenure of NDA Government for the easy recovery of the willful defaulters but unfortunately it was not applied to the cooperative banking industry. Section 56 of the Banking Regulation Act is to be amended by adding one word that is 'cooperative banking

industry'. If the cooperative banks are working under the Banking Regulation Act then this Act should apply to the cooperative banking industry. My request to the hon. Minister is to do so.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: This is a suggestion for action but I cannot respond to the suggestion immediately because I shall have to look into it. So far as the cooperative sector's problems are concerned, the hon. Member is knowledgeable and is aware that Vaidyanathan Committee's Report has been accepted by a large number of States and necessary measures have already been taken. I cannot make any comment with regard to this amendment. I will examine it.

श्री लालू प्रसाद : महोदया, मैं विद्वान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एनपीए, पब्लिक के पैसे के बारे में जानना चाहता हूं, उदाहरण के लिए बिहार का क्रेडिट और डिपोजिट पैसा मुम्बई जाता है। वहां से बड़े घरानों को लोन के रूप में अरबों रुपया बैंको से दिया जाता है। पब्लिक का पैसा विद्यार्थी, किसान, लोअर ग्रुप बिजनेस क्लास का आदमी, मझौले को न मिलकर चंद घरानों में जाता है। माननीय मुलायम सिंह जी ने 130 घरों का सर्वेक्षण कराया है। वे पैसा रिटर्न नहीं करते हैं और कंपनी बनाकर, बदल-बदल कर कंपनी के नाम पर फिर लोन ले लेते हैं। इसका मतलब है कि चोला बदल जाता है और उनके नाम प्रकाशित नहीं होते हैं। यह गहरी साजिश है। किस आदमी ने यह नियम बनाया है कि उन लोगों का नाम नहीं बताया जाएगा? आपको मालूम होगा कि देश के इतने घरों में हाहाकार मचा है और कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली हैं। देश का डिपोजिट सारा पैसा गल्फ देशों से आता है, बिहार में जमा होता है जबकि मुख्यालय मुम्बई में है। इसे डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया है और क्रेडिट - डिपोजिट रेश्यो भी नहीं है। आप नियम को डिलीट कीजिए। इसे करने का इरादा है या नहीं है? आप उन लोगों का नाम बताइए जिन्होंने पैसा नहीं लौटाया है। जिन लोगों ने पैसा नहीं लौटाया है उनकी कंपनी के एसेट्स को सील कीजिए। आपका मन साफ है तो बताइए?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: So far as the Credit Deposit Ratio is concerned, I do agree that in Bihar it is lower than the national average. Not only in Bihar but in a large number of Eastern States it is lower and, therefore, efforts are being made to bring the Credit Deposit Ratio in those States at the national level.

I have already stated the reasons because of which the names cannot be disclosed. I would not like to go in details. I discussed these issues with the CMs and State Finance Ministers along with public sector banks. But one point has to be

kept in view that the banking institutions are not new in India. All over the world, the banking institutions are functioning with certain norms. The Indian banks have been able to withstand the pressure and the adverse impact which other banks of the world faced because of solid foundation, because of the basic principles of management as also vigilance. Otherwise, the Indian banks' fate would have been like many of the big multinational banks. Therefore, I cannot accept the suggestion which hon. Laluji has given.

श्री लालू प्रसाद : मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं इसके विरोध में वाक आउट करता हूं।

<u>11.41 hrs.</u>

(Shri Lalu Prasad then lef the House)

(Q. No. 183)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदया, देश में एक बहुत बड़ी इवैन्ट होने वाली है, कॉमनवैल्थ गेम्स की तरफ सबकी निगाहें हैं। हर भारतीय चाहता है कि ये गेम्स बहुत अच्छी तरह से हों और हमारी साख दुनिया में बढ़े। कोई यह नहीं चाहता कि वहां कोई हादसा हो।

मेरे प्रश्न के तीन हिस्से हैं - पहला हिस्सा खिलाड़ियों का है, दूसरा हिस्सा खेलों की तैयारियों का है और तीसरा हिस्सा जो माननीय मंत्री जी के अधीन आता है, वह हैल्थ का है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतने गेम्स विलेज बनेंगे, स्टेडियम बनेंगे और हजारों लोग दिल्ली में आयेंगे, जिनमें खिलाड़ी भी आयेंगे और बाहर वाले लोग भी आयेंगे और गेम्स को देखने वाले लोग भी आयेंगे।

मैं जानना चाहता हूं कि आपने दवाइयों, एम्बुलेंसेज और डाक्टर्स के क्या इंतजाम किये हैं? आपने हास्पिटल्स में कितनी जगह रखी हैं, ताकि उस समय कोई ऐसा मौका न आये जिसके कारण हिंदुस्तान की बदनामी हो?

दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए, प्रश्न पूछने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शान्त हो जाइये, शान्त हो जाइये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will to on record except what Mr. Agarwal is saying.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप शान्त हो जाइये, उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शान्त हो जाइये। आप पूछिये।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं ऐसे अपना सवाल नहीं पूछ सकता। इनका तरीका सही नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। ...(व्यवधान) आप उन्हें चुप कराइये, मैं ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइये।

---

* Not recorded

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : आप मुझे बोलने तो दें, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब आप भी सवाल करना, आपको कौन मना कर रहा है। ...(व्यवधान) आप मुझे बोलने तो दीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शान्त हो जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शान्त हो जाइये। आप क्यों खड़े हो गये? बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : विष्णु पद राय जी, आप बैठ जाइये।

MADAM SPEAKER: Nothing will to on record except what Mr. Agarwal is saying.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये। They are listening and the Minister is also listening.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं कि अगर उस समय कोई भगदड़ हो जाती है, कोई ऐसी परेशानी हो जाती है, जिसमें हजारों आदमी इनवोल्व हों तो ऐसी स्थिति में आपका क्या डिजास्टर मैनेजमैन्ट है, क्या आपने कोई टास्क फोर्स बनाई है, आपका मंत्रालय उस पर क्या काम कर रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइये। मंत्री जी का जवाब सुनिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप फिर खड़े हो। विष्णु पद राय जी आप बैठ जाइये। मंत्री जी का उत्तर सुनिये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : अध्यक्ष महोदया, ऑनरेबल मैम्बर पार्लियामेंट श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी ने पहला सवाल दो हिस्सों में बताया है। पहला हिस्सा यह बताया है कि दिल्ली में कामनवैल्थ गेम्स हो रहे हैं, खिलाड़ियों ने जहां रहना है, जहां उन्हें खेल खेलने हैं, या जिन होटलों में वे रहेंगे, क्या उन तमाम जगहों पर स्वास्थ्य के इन्तजांम किये गये हैं? मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार और हमारे मंत्रालय ने इन तमाम जगहों पर स्वास्थ्य से संबंधित ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आज स्वास्थ्य के बारे में बात होगी।

* Not recorded

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं स्वास्थ्य के इंतजामात के बारे में बताऊंगा। स्वास्थ्य ठीक होगा तो आवास अपने आप में बनेगा। स्वास्थ्य ठीक होना चाहिये।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप इधर उन्मुख होकर बोलिये।

श्री गुलाम नबी आजाद : स्वास्थ्य के पर्याप्त इन्तजाम किये गये हैं। लेकिन उसकी नोडल एजैंसी दिल्ली सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली का है। जहां गेम्स विलेज होगा, जहां खिलाड़ियों को रहना होगा, वहां एक पौली-क्लीनिक होगा जहां 24 घंटे इमरजैंसी मैडिकल केअर और फॉर्मेसी प्राप्त होगी। इस पौली-क्लीनिक में 24 घंटे सुविधायें होंगी जो तमाम इक्वपमैंट्स से लैस होगा। इसमें इमेजिंग, अल्ट्रासाऊंड , लैबोरैट्री, फिजियोथ्रैपी, कौंसलिंग, साइक्लोजिकल कौंसलिंग के लिये डाइटिशियन और 24 घंटे एम्बुलैंस की सुविधा प्राप्त होगी। जैसा मैंने कहा कि गेम्स विलेज में जो ओपीडी होगा, वहां 240 डाक्टर्स, नर्सेज़ और पैरा-मैडिकल स्टाफ 24 घंटे होगा। इनमें जनरल फिज़िशियन, और्थोपैडिशियन, डैंटिस्ट, जनरल सर्जन, गाइनाकौलोजिस्ट, फिजियोथ्रैपिस्ट्स, मैसाज़ और री-हैब्लिटेशन के होंगे। ये सब गेम्स विलेज में मौजूद होंगे।

अध्यक्ष महोदया, जहां तक दूसरे वैन्यूज़ की बात है, वे बहुत सारे हैं। हर स्टेडियम में एक मैडिकल सैंटर है और उसमें डाक्टर्स, नर्सेज़ और पैरा-मैडिकल स्टाफ है। इसी तरह स्टेडियम के अंदर या उन तमाम वैन्यूज़ पर जहां खेल हो रहे हैं, वहां उन खिलाड़ियों के पास भी डाक्टर्स, नर्सेज और पैरा- मैडिकल स्टाफ होगा ताकि स्ट्रैचर से उसे जल्दी उठाकर बाहर पौली-क्लीनिक में ले जाया जा सके ताकि उसका इलाज हो सके। इसी तरह से जो खिलाड़ियों का खेल देखने वाले होंगे, चाहे वे विदेश से आये हों या अपने देश के अंदर से आये हों, वहां भी सुविधायें दी गई हैं। अलबत्ता डाक्टरों का नम्बर हर जगह निर्धारित नहीं है। यह साईट पर डिपैंड करता है कि किस स्टेडियम में या किस खेल की जगह पर कितने खिलाड़ी और कितनी कैपेसिटी है, उसके आधार पर वहां डाक्टरों की तैनाती है।

महोदया, जो नॉन कम्पटीशन वेन्यूज हैं, जहां कम्पटीशन नहीं हो रहा है, जैसे प्रगति मैदान में मीडिया सेंटर है, वेयर हाउसिंग सेंटर है, होटल्स हैं या एक्रीडेशन सेंटर हैं, इन तमाम जगह भी दवाईयां और मैडिकल सेंटर्स प्रोवाइड किये हैं। अशोका होटल, सम्राट होटल और जनपथ होटल जो विशेष रूप से खिलाड़ियों और आने वाले मेहमानों के लिए आइडेंटिफाई किये गये हैं, वहां भी चौबीस घंटे डाक्टर्स की व्यवस्था होगी। सुबह-शाम तो होटल में व्यवस्था होगी।...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : इस व्यवस्था को कौन देखेगा? इसे अग्रवाल साहब को दीजिये।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदया, प्रश्न का जो दूसरा भाग था वह यह था कि, भगवान न करे, अल्लाह न करे कि ऐसा हो, लेकिन इंतजाम हमेशा रखना पड़ता है, जब हजारों की संख्या में स्टेडियम्स के अंदर या शहर के अंदर इस तरह के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन हो और खास तौर से खेल का आयोजन हो तो उस वक्त डिजॉस्टर मैनेजमेंट का और मास कैजवल्टी का खास तौर से ख्याल रखा जाता है। उसके लिए 11 अस्पतालों में तकरीबन 35 जगहें आइडेंटिफाई की गयी हैं। इसके साथ-साथ कुछ हॉस्पीटल भी आइडेंटिफाई किये गये हैं और एक्सीडेंट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट 24 घंटे के लिए इन तमाम चीजों के लिए अलर्ट रखा गया है।

अध्यक्ष महोदया : दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महोदया, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछ लेने दीजिये।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं कैसे बोलूं, जब आवाज कम होगी, मैं तो तभी बोल पाऊंगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछ लेने दीजिये। आपको क्या दिक्कत है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें तो प्रश्न पूछ लेने दीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांति बनाइये।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महोदया, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, सारी डिटेल्स दी हैं, लेकिन उन्होंने एक जवाब नहीं दिया कि क्या कोई ऐसी टास्क फोर्स बनायी है, जिसकी उस समय जिम्मेदारी हो, जो अभी से काम करे और हमारे खेल आराम से बीत जायें। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक तरफ तो दवाईयां और अस्पताल हैं, लेकिन दूसरी तरफ सफाई का जो काम है, वह किसके हाथ में है? फूड एडल्ट्रेशन न हो, खाने-पीने की चीजों के अंदर कोई परेशानी न हो, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि दोनों कम्पोनेंट जो उसके हिस्से हैं, उसके बारे में आपने क्या कदम उठाये हैं?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उत्तर सुनिये। आप लोग मंत्री जी का जवाब सुनिये। आप शांत हो जाइये।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, यह नूराकुश्ती है।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : आप हमसे हैल्थ से संबंधित जवाब पूछिये।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदया, स्टेडियम बना है या नहीं बना है, वह मैं नहीं देखता हूं।...(व्यवधान) वह स्वास्थ्य मंत्रालय का काम नहीं है और उसके लिए अलग एजेंसीज हैं।...(व्यवधान) आप उनके सवाल-जवाब सुनते आये हैं। जो हैल्थ से संबंधित सवाल हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू प्रसाद जी, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। अभी मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुंडे जी बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदया, मैंने स्टेडियम के बाहर के बारे में भी बता दिया है। स्टेडियम के बाहर दवा का इंतजाम चाहे होटल्स में हो या अगर सड़क पर कुछ खेल हो रहे हैं तो सड़क पर भी एम्बुलेंसेज होंगी, डाक्टर्स, नर्से होंगी। जहां तक खेल का संबंध है, चाहे वह अंदर हो या बाहर हो, होटल्स में हो या जहां खेल गांव है, वहां हमारा पूरा इंतजाम है।...(व्यवधान) एक दूसरा बहुत जरूरी सवाल हमारे माननीय एम.पी. साहब ने पब्लिक हैल्थ के बारे में पूछा।...(व्यवधान) जहां तक पब्लिक हैल्थ का सवाल है।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मंत्री जी, अग्रवाल जी को घर पर बुलाकर समझा दीजिये।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अभी प्रश्न मत पूछिये। अभी मंत्री जी को उत्तर देने दीजिये।

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : पहले मुझे जवाब देने दीजिये।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

---

* Not recorded

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदया, एक तो फूड सेफ्टी की बात है। आजकल फूड सेफ्टी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि एडल्ट्रेशन है, इंजेक्शन लगाये जाते हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, खाने की क्वालिटी और उसकी सफाई के लिए डायरेक्टरैट ऑफ प्रीवेंशन आफ फूड एडलट्रेशन, दिल्ली सरकार को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खाने को इम्पलीमेंट किया जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडयूस एक्सपोर्ट एथोरिटी से जो गाइडलाइंस मिली हैं, उनके अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संबंधित मंत्रालयों को भेजा गया है। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए दिल्ली सरकार और नेशनल डिसीज़ कंट्रोल सेन्टर मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए एक सर्वलैन्स सिस्टम पूरी दिल्ली में लगाया जाएगा। यह सिस्टम खेल गांव में ही नहीं, अपितु पूरी दिल्ली में होगा। इसके लिए 1075 नंबर रखा गया है। यदि कोई आउटब्रेक होता है तो इसके द्वारा संबंधित एजेंसी को सूचना दी जा सकती है।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रमंडल खेलों के द्वारा देश के नौजवानों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सकता है। राष्ट्रमंडल खेलों पर मीडिया में जो तर्क-वितर्क चल रहे हैं, इससे क्या राष्ट्र की साख बढ़ रही है या कम हो रही है, यह एक अलग विषय है। लेकिन हम स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि स्वाइन फ्लू और डेंगू के लिए आपने एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों पर क्या इंतजाम किए हैं? दूसरी बात, आपने कितनी फर्स्ट एड किट अभी तक खरीदी हैं और कितने दाम में खरीदी हैं? तीसरी बात, डिजीटल एक्सरे के बारे में मुझे रैफरेंस ब्रांच से ज्ञात हुआ है कि डिजीटल एक्सरे का टैंडर निकालना अभी बाकी है। आप कब टैंडर निकालेंगे और कब एक्सरे मशीन्स आएंगी? इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : अध्यक्ष महोदया, इनका पहला प्रश्न था कि जो बीमारियां फैलती हैं, उनका इलाज किस प्रकार से किया जाएगा। इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोशन के अंतर्गत पब्लिक हेल्थ एक्शन प्लान बनाया गया है। इसके द्वारा कम्यूनिकेबल डिसीज़ पर सर्वलैन्स रखा जाएगा। इसके अलावा रैपिड रिस्पान्स टीम को नेशनल सैन्टर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल के डॉक्टरों द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। यह स्टैन्ड-बाय रहेंगे। इसके द्वारा जनता के बीच अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि उन्हें क्या-क्या करना चाहिए। प्रोफलैटिक ड्रग्स या एहतियात के तौर पर कौन सी ड्रग्स ली जाती हैं। यह खुशी की बात है कि पहले हमें कुछ दवाइयां और इंजैक्शन बाहर से मंगानी पड़ती थीं, लेकिन अब एच1एन1 एनफ्लुएंजा के लिए हमारे देश में टीका बनाया गया है। यह तमाम चीजें उपलब्ध रहेंगी। जिनका उपयोग किसी भी आउटब्रेक से पहले किया जा सकता है। हेल्थ की नोडल एजेंसी दिल्ली सरकार है। इसलिए उनको सभी उपकरण खरीदने हैं। हमारे हिस्से में पांच प्रतिशत कार्य हैं, जो हमें करने हैं। उसमें से भी 70 प्रतिशत 5-6 करोड़ रूपये से ज्यादा नहीं है।

हमें जो 70 परसैंट खरीदना था, वह पांच-छ: करोड़ से ज्यादा नहीं है। हम उसी रेट पर खरीदते हैं, जिस रेट पर हमारी हैल्थ मिनिस्ट्री आम टैंडर से खरीदती है और जो 20-25 परसैंट एक-डेढ़ करोड़ का होगा, वह अभी दो हफ्ते में आ जाएगा।

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table of the House.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA TIRATH): I beg to lay on the Table: -

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi, for the year 2008-2009.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2760/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Amendment Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 401(E) in Gazette of India dated 13th May, 2010, under sub-section (3) of Section 48 of Life Insurance Corporation of India Act, 1956.

(Placed in Library, See No. LT 2761/15/10)

(2) A copy of the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) (Amendment) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 382(E) in Gazette of India dated 5th May, 2010, under Section 48 of Foreign Exchange Management Act, 1999.

(Placed in Library, See No. LT 2762/15/10)

(3) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/06/1097 in Gazette of India dated 13th April, 2010, under Section 31 of Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(Placed in Library, See No. LT 2763/15/10)

(4) A copy of the State Bank of India Employees' Pension Fund (Amendment) Rules, 2005 (Hindi and English versions) published in Notification No. CDO/PM/16/SPL/828 in weekly Gazette of India dated 9th October, 2009, under sub-section (4) of Section 50 of State Bank of India Act, 1955.

(Placed in Library, See No. LT 2764/15/10)

(5) A copy of the Regional Rural Banks (Appointment and Promotion of Officers and Employees) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 1663(E) in Gazette of India dated 13th July, 2010, under sub-section (3) of Section 29 of Regional Rural Bank Act, 1976.

(Placed in Library, See No. LT 2765/15/10)

(6) A copy of the Indian Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. 16 in weekly Gazette of India dated 23rd April, 2010, under sub-section (4) of Section 19 of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

(Placed in Library, See No. LT 2766/15/10)

(7) A copy of the Oriental Bank of Commerce (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. 3945 in Gazette of India dated 12th March, 2010, under sub-section (4) of Section 19 of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

(Placed in Library, See No. LT 2767/15/10)

(8) A copy of the Notification No. G.S.R. 90 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 22nd May, 2010, containing corrigendum relating to revision of pay scales of the post of Chairman and the whole-time-Members of Bhakra Beas Management Board with effect from 01.01.2006 issued under sub-section (1) of Section 97 of the Punjab Re-organization Act, 1966.

(Placed in Library, See No. LT 2768/15/10)

(9) A copy of the Notification No. S.O. 901(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 20th April, 2010, together with an explanatory memorandum empowering the officers, not below the rank of Head Constable of the Sashastra Seema Bal, to exercise the powers and perform duties specified in Sections 42 and 67 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, within the area of his jurisdiction, issued under Section 42 of the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 2769/15/10)

(10) A copy of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Second Amendment Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 508(E) in Gazette of India dated 16th June, 2010, under Section 74 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 2770/15/10)

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) The Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback (Amendment) Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R.

354(E) in Gazette of India dated 29th April, 2010, together with an explanatory memorandum.

(ii) G.S.R. 355(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2010, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. G.S.R. 627(E) dated 29th August, 2008.

(iii) The Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010 published in Notification No. G.S.R. 385(E) in Gazette of India dated 5th May, 2010, together with an explanatory memorandum.

(iv) The Re-export of Imported Goods (Drawback of Customs Duties) Amendment Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R. 519(E) in Gazette of India dated 17th June, 2010, together with an explanatory memorandum.

(v) The Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback (Second Amendment) Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R. 520(E) in Gazette of India dated 17th June, 2010, together with an explanatory memorandum.

(vi) G.S.R. 568(E) published in Gazette of India dated 30th June, 2010, together with an explanatory memorandum prohibiting import of goods, that intended for sale or use in India, infringing Acts, mentioned therein.

(Placed in Library, See No. LT 2771/15/10)

(12) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Indirect Taxes-Central Excise) (No. 11 of 2010-11)-

Performance Audit on Excise Duty on Pharmaceutical Products for the year ended March, 2009.

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services) (No. 12 of 2010-11)-Army and Ordnance Factories for the year ended March, 2009.

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Indirect Taxes-Customs) (No. 15 of 2009-10)-Performance Audit on natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal and articles thereof, imitation jewellery, coin (Chapter 71 of Customs Tariff Heading) for the year ended March, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 2772/15/10)

(13) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2010 together with Auditor's Report thereon:-

(i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Raebareli

(Placed in Library, See No. LT 2773/15/10)

(ii) Kshetriya Kisan Gramin Bank, Mainpuri

(Placed in Library, See No. LT 2774/15/10)

(iii) Purvanchal Gramin Bank, Gorakhpur

(Placed in Library, See No. LT 2775/15/10)

(iv) Haryana Gramin Bank, Rohtak

(Placed in Library, See No. LT 2776/15/10)

(v) Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad

(vi) (PlDena Gujarat Gramin Bank, Gandhinagar

(Placed in Library, See No. LT 2777/15/10)

(vii) Neelachal Gramya Bank, Bhubaneswar

(Placed in Library, See No. LT 2278/15/10)

(viii) Cauvery Kalpatharu Grameena Bank, Mysore

(Placed in Library, See No. LT 2779/15/10)

(ix) Himachal Gramin Bank, Mandi

(Placed in Library, See No. LT 2780/15/10)

(x) Mewar Aanchalik Gramin Bank, Udaipur

(Placed in Library, See No. LT 2781/15/10)

(xi) Pragathi Gramin Bank, Bellary

(Placed in Library, See No. LT 2782/15/10)

(xii) Madhya Bihar Gramin Bank, Patna

(Placed in Library, See No. LT 2783/15/10)

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Financial Management, Faridabad, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Financial Management, Faridabad, for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 2784/15/10)

(15) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999:-

(i) The Insurance Regulatory and Development Authority (Sharing of Database for Distribution of Insurance Products) Regulations, 2010, published in Notification No. F. No. IRDA/Reg/1/51/2010 in Gazette of India dated 6th July, 2010.

(ii) The Insurance Regulatory and Development Authority (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations, 2010, published

in Notification No. F. No. IRDA/Reg/2/52/2010 in Gazette of India dated 6th July, 2010.

(iii) The Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2010, published in Notification No. F. No. IRDA/Reg/3/53/2010 in Gazette of India dated 6th July, 2010.

(iv) The Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Corporate Agents) (Amendment) Regulations, 2010, published in Notification No. F. No. IRDA/Reg/4/54/2010 in Gazette of India dated 6th July, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 2785/15/10)

(16) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994:-

(i) G.S.R. 607(E) published in Gazette of India dated 20th July, 2010, together with an explanatory memorandum seeking to waive the service tax leviable on transmission and distribution of electricity for the past period up to 26th February, 2010 for Transmission of electricity and up to 21st June, 2010 for distribution of electricity.

(ii) G.S.R. 610(E) published in Gazette of India dated 21st July, 2010, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 7/2009-Sevice Tax, dated 3rd February, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 2786/15/10)

(17) A copy of the Notification No. G.S.R. 615(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 22nd June, 2010, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 64/95-C.E., dated 16th March, 1995, under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944.

(Placed in Library, See No. LT 2787/15/10)

(18) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-

(i) The Income-tax (6th Amendment) Rules, 2010 published in Notification No. S.O. 1261(E) in Gazette of India dated 31st May, 2010, together with an explanatory memorandum containing corrigendum thereto published in Notification No. S.O. 1736(E) dated 19th July, 2010.

(ii) S.O. 1756(E) published in Gazette of India dated 21st July, 2010, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. S.O. 2292(E), dated 9th September, 2009.

(iii) S.O. 1639(E) published in Gazette of India dated 9th July, 2010, together with an explanatory memorandum specifying bonds as "Long-term Infrastructure Bond', subject to certain conditions, for the purpose of Section 80CCF of the Income Tax Act, 1961.

(Placed in Library, See No. LT 2788/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI BHARATSINH SOLANKI): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Rural Electrification Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2789/15/10)

12.01 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 5th August, 2010 agreed without any amendment to the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2010 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 4th May, 2010"

12.01¼ hrs.

COMMITTEE ON MEMBERS OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME

2nd and 3rd Reports

SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): I beg to present the Second and third Reports (Hindi and English versions) of the Committee on MPLADS (2009-10) on the subjects (i) "Awareness in the Implementing Agencies about the importance of the MPLAD Scheme through training programmes, seminars, symposia, workshops, etc; and (ii) Providing MPLADS funds to acquire ambulance by reputed service organizations like Red Cross, etc.".

12.01½ hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy*

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): I beg to lay this statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 6U Report of the Standing Committee on Energy in pursuance of the direction 73 A of the Hon'ble Speaker Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin-Part-II dated 1 September 2004.

The 6th Report of the Standing Committee on Energy \ was presented to the Lok Sabha on 21st April 2010. The Report relates to the Examination of the Demands for Grants of the Ministry of New and Renewable Energy for 2010-11.

Action Taken Statement on the recommendations/observations contained in the 6th Report of the Committee had been sent to the Standing Committee on Energy on 5 th July 2010.

There are 10 recommendations made by the Committee in the said Report where action is called for on the part of the Government. These recommendations pertain mainly to issues like utilization of budgetary allocations, achievements in the Grid-Interactive and off-Grid Distributed Renewable Power, Jawaharlal Nehru National Solar Mission, Renewable Energy for Rural Applications, Renewable Energy for North Eastern Regions and R&D in the field of Renewable Energy.

The present status of implementation of various recommendations made by the Committee is indicated in the Annexure to my statement, which is laid on the Tabic

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2790/15/10

of House. I would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of this Annexure. I would request that these may please be considered as read.

12.01¾ hrs.

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (PROF. SAUGATA ROY): On behalf of Kumari Selja, I beg to lay on the Table the Statement.

I would like to inform the Hon'ble Members of the House that the 2nd Report of the Standing Committee of the 15th Lok Sabha on Urban Development was presented to Lok Sabha on 17th December, 2009. The Report contains 12 recommendations. Latest status of Action Taken by the Government has been indicated against each recommendation in the enclosed statement. Action Taken Notes on these recommendations as prevailing in March, 2010 were sent to the Standing Committee on Urban Development on 15.3.2010.

Madam, Speaker, I would like to inform the Hon'ble Members that further follow up action wherever necessary will be taken, in respect of these recommendations.

The Annexure to this statement is placed on the Table of the House.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2791/15/10

12.02 hrs.

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Ministry of Urban Development*

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): Madam Speaker,b I would like to inform for the benefit of the Hon'ble Members of the House that the 1st Report of the Standing Committee of the 15th Lok Sabha on Urban Development was laid in Lok Sabha on 17th December, 2009. This Report contains 11 recommendations. Latest Status of Action taken by the Government has been indicated against each recommendation in the enclosed statement. Action Taken Notes on these recommendations as prevailing in March, 2010 were sent to the Standing Committee on Urban Development on 15.03.2010.

Madam Speaker, I would like to inform the Hon'ble Members that further follow up action wherever necessary will be taken in respect of these recommendations.

The annexure to this statement is placed on the Table of the House.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2792/15/10

12.03 hrs.

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 2671 DATED 12.3.2010 REGARDING `CASES OF LEPROSY' ALONGWITH REASONS FOR DELAY *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): I beg to la a statement (i) correcting the reply given on 12.3.2010 to Unstarred Question No. 2671 by Shri Bhartruhari Mehtab, M.P. regarding `Cases of Leprosy' and (ii) the reasons for delay in correcting the reply

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2793/15/10

12.04 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 9th of August, 2010, will consist of: -

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.
2. Discussion on the Statutory Resolution seeking disapproval of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2010 and consideration and passing of the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2010.
3. Consideration and passing of the Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2010, as passed by Rajya Sabha.
4. Consideration and passing of the Bills:-
   (i) The Orissa (Alteration of Name) Bill, 2010;
   (ii) The Constitution (One Hundred Thirteenth Amendment) Bill, 2010.
   (iii) The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2010;
   (iv) The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2010; and
   (v) The Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2010.
5. Consideration and passing of the Foreign Trade (Development and Regulation) Amendment Bill, 2009, after it is passed by Rajya Sabha.

MADAM SPEAKER: Let us have order in the House.

… (*Interruptions*)

(Placed in Library, See No. LT 2794/15/10)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं:-

1- सुखाड़ के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए बिहार राज्य के नालन्दा जिले के प्रत्येक पंचायत में दो राजकीय ट्यूबवेल बनाने की आवश्यकता।

2- सुखाड़ के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए बिहार राज्य के नालन्दा जिले के किसानों को खाद, बीज मुफ्त में देने की आवश्यकता तथा के.सी.सी. ऋण माफ करने की आवश्यकता।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाए :-

(1) राजधानी दिल्ली में मेट्रो के तीसरे फेज में सात लाइनें प्रस्तावित थीं, जिनमें एक लाइन यमुना बैंक से शिव विहार भी शामिल थी, लेकिन उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र की घनी आबादी वाली इस लाइन को लम्बित रखा गया है। मेट्रो के तीसरे फेज में प्रस्तावित यमुना बैंक से शिव विहार लाइन को जनहित में अविलम्ब स्वीकृत करके राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र के लोगों को मेट्रो की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने से संबंधित विषय।

(2) राजधानी दिल्ली में इस वर्ष होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से देश की प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक है कि खेल के दौरान यहां आने वाले पर्यटकों व देशी-विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा-तंत्र को सशक्त किया जाए।

MADAM SPEAKER: Shri Dinesh Chandra Yadav – not present.

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): अध्यक्ष महोदया, आपसे निवेदन है कि सब्मीशन के अन्तर्गत निम्नलिखित दो विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किए जाने हेतु अनुमति प्रदान करें :-

(1) देश के जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी गड़चिरोली-चुमूर संसदीय क्षेत्र में उन्हें आबंटित की गई कृषि भूमि के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम तैयार कर के भूमि सिंचन हेतु जल उपलब्ध करवाए जाने से सम्बन्धित विषय।

(2) देश के नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों के सर्वान्गीण विकास हेतु एक कार्य-योजना बनाए जाने की आवश्यकता।

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Respected Madam, I request the Government to include the below-mentioned subjects in the Agenda for the next week's business in the Lok Sabha:-

1. Concerning growing incidents of religious extremism and fundamentalism in the country;
2. Ensure timely availability of all the required fertilizers to the farmers in the country.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़ लिया जाए-

(1) देश में लागू किए गए शिक्षा के अधिकार कानून के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा हेतु शिक्षा का राष्ट्रीयकरण एवं समान शिक्षा लागू करने के संबंध में चर्चा।

(2) देश में बुनकरों में बढ़ रहे कुपोषण एवं भुखमरी आदि के कारण उनमें बढ़ रही मृत्यु दर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा।

\- - -

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए-

(1) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विशेष धनराशि अथवा पैकेज दिए जाने की आवश्यकता।

(2) ठेकेदारी कामगारों के शोषण पर अंकुश लगाने के लिए कॉंट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एवं रैगुलेशन एक्ट, 1970 में संशोधन करने की आवश्यकता।

MADAM SPEAKER: Shri Ravindra Kumar Pandey – not present.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए-

(1) देश में खासकर बिहार के बहुत बड़े हिस्से में अनावृष्टि के कारण सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। उस पर सदन में चर्चा की जाए।

(2) दिल्ली में मेट्रो की दुर्घटना में मारे गए और घायलों में से कई लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। मेट्रो के कार्यकलापों और दुर्घटना से जुड़ी निर्माता कंपनियों पर सदन में चर्चा की जाए।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदया, मैं आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय जोड़ने की सूचना देता हूं:

1. बिहार के नवादा जिलान्तर्गत रजौली में प्रस्तावित आणविक विद्युत संयंत्र लगाने की बिहार सरकार के आश्वासन के आलोक में केन्द्र सरकार अपनी स्वीकृति दे;

2. मध्य-पूर्व रेलवे अंचल, हाजीपुर के अन्तर्गत राजगीर-तिलैया रेल खंड का विस्तार कोडरमा तक रेलवे मंत्रालय करे और तिलैया को रेलवे प्रमंडल में प्रोन्नत करने की कार्रवाई करे।

12.10½ hrs.

MOTION RE: EIGHTEENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I beg to move the following:

> "That this House do agree with the Eighteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 5th August, 2010."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Eighteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 5th August, 2010."

The motion was adopted.

12.02hrs

RE;DELAY IN PREPARATION FOR THE COMMONWEALTH GAMES

MADAM SPEAKER: Now we take up 'Zero Hour'. Shri Gurudas Dasgupta.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam Speaker, I rise to express our collective protest and anger over the way in which the Commonwealth Games preparations are being done. हिन्दुस्तान में जिस तरीके से कॉमनवैल्थ गेम्स की तैयारियां हो रही है, हम उसके खिलाफ सरकार की दृष्टि आकर्षित करना चाहते हैं। इसके पहले भी हिन्दुस्तान में दिल्ली में एशियन गेम्स आयोजित हुए थे, जब जवाहर लाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, जब श्रीमती इन्दिरा गांधी भी थीं...(व्यवधान) यहां दो बार एशियन गेम्स हुए थे। एक बार इन्दिरा गांधी के टाइम पर एशियन गेम्स हुए थे, लेकिन एक बात थी कि काम-काज देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद घूमती थीं, देखती थीं, रिपोर्ट लेती थीं और राजीव जी भी थे, यह भी हम मानते हैं, but what is happening today? Every day there is a news report in the media that somebody has stolen money, somebody has resigned, somebody has laundered, and somebody is acting on a false report from London. What is this going on? There is total chaos and disorder bringing the country to a shame. The basic point is, who is giving the money? It is the Government's money, it is our money, people's money. हमारी यह खबर है कि सरकार कॉमनवैल्थ गेम्स की तैयारी के लिए और दिल्ली को सुन्दर बनाने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है,

Madam, I am giving you just a comparison. In Hyderabad, a stadium was built for 40,000 people for which Rs. 90 crore was spent. But here, for just renovation of the Indira Gandhi Stadium Complex, the money allotted is Rs. 669 crore.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): जिनका खर्च हो रहा है, उनकी भाषा नहीं बोल रहे।...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : यह तैयारी के लिए नहीं, मरम्मत के लिए खर्च हो रहा है। हम लोगों ने 40 हजार जनता के लिए हैदराबाद में स्टेडियम तैयार किया, उसमें 90 करोड़ रुपये खर्च हुआ और ये मरम्मत के लिए 600 करोड़ रुपये खर्चा कर रहे हैं, जनता के पैसे की लूट हो रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उनको बोलने दीजिए। शान्त हो जाइये।

श्री गुरुदास दासगुप्त : हमारा पाइंट क्या है, हमारा पाइंट यह है कि जो स्पोर्ट्स बॉडी तैयारी करा रही है, वह स्पोर्ट्स बॉडी इंडिपेंडेंट है। I respect the independent status of the sports bodies. But they cannot hold the country to ransom. The Government is responsible because the money is people's money. The honour of the country, the fame of the country and the money of the country are involved here. The largest number of poor people live in India. We are spending nearly Rs. 50,000 crore and a loot is going on. There is no monitoring. Who is accountable? I am not suggesting that the way Indira Gandhi did, Dr. Manmohan Singh go and see; I am not suggesting that Shri Pranab Mukherjee should go and see. There has to be not only accountability of the Government, but there must be an organisational guarantee that the principle of accountability is implemented.

This is a matter of regret, matter of shame, matter of anger, matter of dereliction of duty, matter of showing the whole world.

MADAM SPEAKER: Thank you.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, this Government is unable… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : टू-थ्री मिनट्स में बोलना होता है, इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

SHRI GURUDAS DASGUPTA : This Government is unable to manage price rise. At least, let them manage the Commonwealth Games. Let us see that the Government is capable of managing the Commonwealth Games. I urge upon the Government to make a statement. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत रहिए।

…(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैडम, यह सिर्फ सवाल नहीं है। हम सरकार से जानना चाहते हैं। सरकार को बताना होगा कि क्या हो रहा है और आप क्या करेंगे? यह सब गवर्नमेंट के हिसाब के खिलाफ हो रहा है, स्पोर्ट्स-मैन के खिलाफ हो रहा है, इसलिए सरकार की तरफ से सदन को बताना जरूरी है, इन परिस्थितियों को बदलने के लिए, इंडिया की डिग्निटी की रक्षा करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

दुनिया में जो हमारी छवि खराब हो रही है। हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। ...(व्यवधान) They are proving to the world that India is totally incapable of holding the Commonwealth Games. It is total shame... (*Interruptions*)

श्री के.आर.जी. रेड्डी (भोंगीर): ऐसा कोई कानून है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने की इजाजत दी। आज चाहे टीवी देखें या न्यूजप्रिंट अखबार देखें, सब जगह कॉमन वेल्थ गेम्स छाए हुए हैं। यह प्रश्न छाया हुआ है कि पता नहीं ये गेम्स हो भी पाएंगे या नहीं? 3 अक्टूबर को खेल प्रारंभ होने हैं। केवल 57 दिन बचे हैं, तो पूरे देश में एक सवाल उठ रहा है कि भारत यह खेल करा पाएगा या नहीं? विदेशी एजेंसियां जो भारत आयी थीं, उन्होंने साफ कहा है कि एक तो घटिया काम हो रहा है और दूसरा, समय पर कोई काम पूरा नहीं हो पाएगा। 1 अगस्त को तीन मुख्य स्टेडियम हैंड ओवर होने थे। वे हैंड ओवर हो गए, लेकिन वहां पानी लीक कर रहा है, क्रैक्स हो गए हैं और वहां चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है। अगर आप देखें, हमारे पड़ोसी देश चीन ने दो साल पहले ही ओलंपिक कराया। उसने 14 नए स्टेडियम बनाए। हमने एक भी नया स्टेडियम नहीं बनाया है, केवल उनकी मरम्मत की है।

महोदया, दो साल पहले कॉमन वेल्थ गेम्स का एलॉटमेंट हो गया था, तो फिर दो साल से हम क्या कर रहे थे? आप भी सड़कों से गुजरती होंगी, आपने देखा होगा कि अभी वहां काम चल रहा है, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ और ऐसा लगता है कि दिल्ली में पूरा कूड़ाघर बन गया है। दो बार पहले भी यहां गेम्स हुए थे - एशियन गेम्स हुए और कॉमन वेल्थ गेम्स हुए, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी खेल मंत्री जी सदन में उपस्थित थे, लेकिन वह चले गए। उन्होंने बयान दिया है कि भगवान भरोसे खेल हो रहा है। अगर भगवान चाहेंगे, तो खेल हो जाएगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो खेल नहीं होगा। ...(व्यवधान) जयपाल रेड्डी जी सदन में उपस्थित हैं। बसंत कुंज में 15 हजार फ्लैट बनाए जा रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिए, आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : बसंत कुंज में डीडीए के 15 हजार फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए ...(व्यवधान) अभी डीडीए ने कहा ...(व्यवधान) आप हमें बोल लेने दीजिए, फिर अपनी बात कहिएगा। ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): आप खूब अच्छा बोल चुके हैं ...(व्यवधान) आप खूब अच्छा सोचिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए। रेवती रमन जी, आप हमारी तरफ देखकर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : माफ कीजिए। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि खेल मंत्री जी यहां बैठे हुए थे, लेकिन अब चले गए हैं। इस पर सरकार का बयान आना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : इस पर चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : सैंट्रल विजिलैंस कमीशन, सीएजी और सीबीआई, सब एजैंसियों ने कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है।...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : मंत्री जी, क्या आप मान रहे हैं कि बहुत ठीक हुआ है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रेवती रमन जी, आप अब समाप्त कीजिए। बसुदेव आचार्य जी को भी बोलना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात हो गई है, अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर चर्चा करवाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam Speaker, we are all for Commonwealth Games.... (*Interruptions*) हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में 3 अक्टूबर से कॉमनवैल्थ गेम्स हों। लेकिन जो घटना घट रही है, रोज जो खबर आ रही है, युनाइटेड किंगडम की एक फर्म को 2,47,467 पाउंड दिए गए और ब्रिटिश सरकार खुद बोल रही है कि यह इररैगुलर हुआ है। लेकिन

सरकार चुप बैठी है।...(व्यवधान) हमारे मंत्री, हमारे दोस्त जयपाल रेड्डी जी ने जिस दिन रिनोवेटेड जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम का उद्घाटन किया, उसी दिन उसमें से पानी चूना शुरू हो गया।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Only what Basu Deb *ji* is saying will go on record.

(Interruptions) … *

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने कहा कि पानी चू रहा था, इसलिए उसे ठीक करने के लिए यह काम हुआ है।...(व्यवधान) Rs. 961 crore was spent for the renovation of Jawaharlal Nehru Stadium. रिनोवेशन के लिए जितने करोड़ों, अरबों रुपये खर्च किए गए, उतने पैसे से हम अपने देश में नया बर्ल्ड क्लास, विश्वस्तरीय स्टेडियम बना सकते थे। हमने ऐसा न करके रिनोवेशन पर पैसे खर्च किए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं? आप शान्त हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : एक खबर में आया है कि ट्रेडमिल किराए में लिया गया।...(व्यवधान)
उन्होंने एक लाख रुपये में ट्रेडमिल किराए में लिया और उसी सप्लायर ने आर्गनाइज़िंग कमेटी को उसे 10 लाख रुपये में सप्लाई किया। उसके लिए कोई टैंडर नहीं किया गया।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने सीवीसी को कहा कि कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, उसे इस तरह न किया जाए।...(व्यवधान) जो हुआ, there is no accountability; there should be some accountability. One should be held for what has been done. There is corruption; the scam has been done. One should be booked for that. Already two had to go, one had to resign. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Now, the hon. Minister.

… (*Interruptions*)

श्री बसुदेव आचार्य : दो लोगों ने इस्तीफा दिया है। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव जी, अब आपकी बात पूरी हो गयी है।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब इस विषय से अपने आपको संबद्ध कर लीजिए।

…(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैडम, हमारी मांग है कि …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए।

…… (व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, हम भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम इस विषय पर चर्चा करवा लेंगे।

…(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, we demand that there should be a Joint Parliamentary Committee to enquire into this scam. … (*Interruptions*) The Government should constitute a Joint Parliamentary Committee … (*Interruptions*) Madam, I demand that there should be a Joint Parliamentary Committee to inquire into the corruption issue in the multi-dealings. More than Rs. 70,000 crore is being spent. This is the people's money. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइये, शांत हो जाइये। मंत्री महोदय, इस विषय पर कुछ बोलना चाहते हैं।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइये। हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन पहले आप बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदया, आप खिलाड़ी को तो बोलने का मौका दीजिए। …(व्यवधान) कीर्ति आजाद जी खिलाड़ी हैं, इसलिए आप उन्हें बोलने का मौका दीजिए। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया करके आप बैठ जाइये।

यह विषय बीएसी में आ चुका है कि इस पर चर्चा होगी। अभी इस बारे में कोई तारीख निश्चित की जा रही है। इस पर विस्तार से चर्चा हो जायेगी। अभी मंत्री जी इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं। जो

भी माननीय सदस्य शून्य प्रहर में इस विषय से अपने को संबद्ध करना चाहते हैं, वे कर लें। इस विषय पर बाद में विस्तार से चर्चा कराने का निर्णय बीएसी में हो चुका है।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): Madam, you organize a full-fledged discussion on this matter. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, क्या यहां वन साइडेड चर्चा होगी? …(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You please sit down. This is not fair.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Shri Sanjay Nirupam, why are you getting up?

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Do not lose your temper.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : संजय जी, आप बैठ जाइये। आप सब भी बैठ जाइये। जब बीएसी में इस विषय पर विस्तार से चर्चा होने की बात तय हो चुकी है, तो वह चर्चा हो जायेगी।

…(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया.......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुषमा जी, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं?

…(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैडम, आपने बहुत सही कहा कि कार्य सलाहकार समिति में यह तय हुआ कि इस विषय पर चर्चा होगी, लेकिन उसके बावजूद आपने आज शून्य प्रहर में गुरूदास दासगुप्त जी को बोलने का मौका दिया। आप कह रही हैं कि बाकी लोग संबद्ध कर लें। मैं कहना चाहती हूं कि आप जीरो ऑवर के उस नियम को मानते हुए गुरूदास दासगुप्त जी बुलवा कर सबको कहतीं कि वे इस विषय से अपने को संबद्ध कर लें, तो ठीक था, लेकिन गुरूदास दासगुप्त जी के बाद आपने रेवती रमन जी को बोलने का समय दिया। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इन्होंने इस विषय में नोटिस दिया हुआ है।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं वही बता रही हूं। ...(व्यवधान) आपने बसुदेव आचार्य जी को बोलने का मौका दिया। प्रमुख विपक्षी दल के मैम्बर योगी आदित्यनाथ जी का भी इस विषय में नोटिस है। कीर्ति आजाद जी का भी नोटिस है। मेरा केवल आपसे यह निवेदन है कि अगर शून्य प्रहर में यह बात कही गयी है, उठायी गयी है, तो प्रमुख विपक्षी दल से भी आप इन दोनों माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दे दीजिए। बाद में इस पर चर्चा भी होगी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : संजय जी, आप बैठ जाइये। इस समय नेता प्रतिपक्ष बोल रही हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है कि यह विषय ऐसा नहीं है कि ...(व्यवधान) इसे शून्य प्रहर में उठाकर और सरकार के संक्षिप्त जवाब से खत्म कर दिया जाये। इस पर पूरी चर्चा आवश्यक है क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में हो रहे विलंब में और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मेरा आपसे केवल यह निवेदन है कि अगर आपने नोटिस देने वालों को शून्य प्रहर में बोलने की अनुमति दी है, तो शरद जी और योगी आदित्यनाथ जी को भी बोलने का समय दीजिए। वे लोग अपनी बात कह दें। कीर्ति आजाद जी चूंकि स्वयं खिलाड़ी हैं, आप उन्हें भी बोलने का मौका दें। इसके बाद शून्य प्रहर खत्म हो। इसके बाद इस विषय पर पूरी चर्चा होगी। लेकिन उनको आप बोलने दें और प्रमुख प्रतिपक्षी दल बोलने से रह जाए, यह नहीं हो सकता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

बीएसी में यह निर्णय हो चुका है कि इस पर विस्तार से चर्चा होगी। नोटिस थी श्री गुरुदास दासगुप्त एवं श्री रेवती रमन सिंह जी की, इसलिए उनको बोलने का मौका दिया। श्री बसुदेव आचार्य जी ने सस्पेंशन का नोटिस दिया था, उन्हें भी बोलने का मौका दिया। योगी आदित्यनाथ जी का नोटिस है एडजर्नमेंट का, जैसा आपने कहा है, मैं उनको भी बोलने का अवसर देती हूं, उसके बाद मंत्री महोदय बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): शरद यादव जी को भी बोलने का मौका दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : और किसी की नोटिस नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): मैडम, कल यहां सदन में उर्दू के मामले में चर्चा हुई और उस पर कितने लोगों को बोलने का मौका दिया गया, उस पर बहस हुई, तो आज इस विषय पर भी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कल जो हुआ है, उससे जिन लोगों ने जीरो ऑवर के नोटिस दिए थे, वह रह गए। इसलिए आज हमने सोचा था कि जिन्होंने जीरो ऑवर के नोटिस दिए हैं, उनको बोलने का अवसर देंगे। इसलिए जिन लोगों ने नोटिस दिया है, हम इसको उन्हीं तक सीमित रखना चाहते हैं।

योगी आदित्यनाथ जी, अब आप बोलिए।

श्री शरद यादव : आप मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए। योगी जी बाद में बोलेंगे।...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): मैंने नियम 193 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। योगी आदित्यनाथ जी को बोलने दीजिए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष जी, राष्ट्रमंडल खेलों के नाम पर पिछले एक वर्ष से हम लोग इस सदन में भी चिंता व्यक्त करते आ रहे हैं और खेलों में नाम पर जो भी गड़बड़ियां की जा रही हैं, उन पर समाचार पत्रों एवं मीडिया के द्वारा लगातार देश को अवगत कराया जाता रहा है। राष्ट्रमंडल खेल हमारे देश में पहली बार होने जा रहे हैं, लेकिन यह अत्यंत दुखद है कि इतने महत्वपूर्ण खेलों को इतने हल्केपन से लिया जा रहा है। जिन खेलों पर 700 करोड़ रूपए खर्च होने थे, उन पर आज कभी 10,000 करोड़ रूपए, कभी 35,000 करोड़ रूपए और अब 55,000 करोड़ रूपए खर्च करके देश की जनता के पैसे की जो लूट-खसोट सत्ता के द्वारा, सत्ता के माध्यम से मची हुई है, मुझे लगता है कि यह डकैती डालने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए इस सदन के माध्यम से इस प्रकार की लूट-खसोट पर अंकुश लगे, हम यह मांग करने के लिए आज अपना प्रस्ताव यहां लाए हैं। आपने सुबह हम लोगों से कहा था कि हमें जीरो ऑवर में बुलाएंगे, इसलिए मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि यह इस देश की छवि खराब करना ही नहीं, बल्कि यह देश के साथ गद्दारी है, राष्ट्रद्रोह का मामला है, पूरे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को धूमिल करने का एक कुत्सित प्रयास है और इस षडयंत्र में कौन लोग लिप्त हैं, उनको बेनकाब किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यही मांग करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे और जो लोग दोषी हैं, अब तक उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, उस पर इस सदन में पूरी चर्चा करके ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी हम आपसे मांग करते हैं।

श्री शरद यादव : एक मिनट में मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : शरद यादव जी को भी इस विषय पर बोलने का मौका मिलना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नोटिस नहीं है। इसे नोटिस तक सीमित रख रहे हैं, फिर सभी का पूरा हो जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जिन्होंने नोटिस नहीं दिया, सबका हो जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): जब कल बिना नोटिस के उर्दू पर सब लोग हाउस में बोले हैं, उसका नोटिस नहीं दिया गया था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बोलने का अवसर दे दिया, अब क्या बात है?

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सदन में नियम से आप भी चलिए, नियम से हम भी चलेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हाँ, अब हम नियम से ही चल रहे हैं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया: आप सब लोग बैठ जाएं और पहले अपनी-अपनी नाराजगी दूर करें, खासकर मंगनी लाल मंडल जी अपनी नाराजगी दूर करें। अब शरद यादव जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): हमें मौका नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदया: अब आप क्यों खड़े हो गए हैं और क्यों नाराज हो रहे हैं। जिन्होंने नोटिस नहीं दिए, अब वही बोलेंगे और आप भी बोलेंगे।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। सुषमा जी ने जो बात कही, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में गम्भीर मुद्दों खासकर भोपाल गैस त्रासदी और कॉमन वैल्थ गेम्स के बारे में

* Not recorded

बात हुई थी। मैं मानता हूं कि कुछ सदस्यों ने इस पर नोटिस दिया है। मैं कल बाहर था, आज सुबह ही यहां पहुंचा हूं इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं इस पर नोटिस नहीं दे सका। लेकिन मेरा नोटिस ही काफी नहीं था, न ही वाजिब था, जिन लोगों ने अभी इस मुद्दे को यहां उटाया है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वे भी हाजिर थे। यह इतना गम्भीर मामला है कि केवल कुछ देर के लिए यहां चर्चा करके और मंत्री जी द्वारा बयान दिलाकर इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसमें आपकी गलती नहीं है। आप तो नियम के तहत ही कर रही हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में यह मुद्दा बहुत अहम् बन गया है और इस सवाल को हम आज ही नहीं, जयपाल जी, हम दो बरस से उठा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा करके जिस तरीके से इसे हल्केपन से निकाला जा रहा है, उसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ये जो खर्च बता रहे हैं, मेरा मानना है कि इस आयोजन पर 1 लाख करोड़ रुपए तक खर्च हो रहे हैं।...(व्यवधान) आप हंसे मत, मैं यह साबित करके दिखा दूंगा। मेरे पास इस सम्बन्ध में काफी मेटिरियल है।

अध्यक्ष जी, मेरी आपसे विनती है कि यह केवल भ्रष्टाचार तक ही सीमि नहीं है, जिस चतुराई से रूलिंग क्लास के लोगों ने कपटपूर्ण तरीके से ये गेम्स यहां लाने का काम किया है, मैं वह भी जानता हूं। इन खेलों की दुनिया में कहीं कोई मान्यता नहीं है। एशियन गेम्स की तो है, लेकिन इनकी नहीं है। यह गुलामों के देशों का खेल है। जयपाल जी मेरे अच्छे मित्र हैं और सच्चे आदमी हैं। उद्घाटन के समय मैंने इनका भाषण सुना था।

श्री मुलायम सिंह यादव : दल बदल गए तो सच्चे हो गए। अपनी मेहनत से मंत्री बने हैं। अब तो फोकट में बन रहे हैं।

श्री शरद यादव : नहीं, आप पहले सुनिए तो सही, मैंने जयपाल जी के मुंह से उस समय सुना था कि जो ओलम्पिक हुए हैं, उनके स्टेडियम्स भी लीक कर रहे थे। इसका मतलब है कि हिन्दुस्तान में जो पैसा 700 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया, 900 करोड़ रुपया, जो भी है, स्टेडियम्स के रिनोवेशन पर लगाया, ये सारे स्टेडियम्स भी बरसात में लीक करेंगे। यहां तो उससे भी आगे की बात हो रही है। राष्ट्र मंडल खेलों के नाम पर क्या-क्या नहीं हो रहा है, पूरी दिल्ली खोद दी गई है। जे.पी. अग्रवाल जी यहां बैठे हैं, वह बताएं कि नई दिल्ली से बाहर अगर एक पैसा भी खर्च हुआ हो तो मैं सदन से बाहर निकलने को तैयार हूं। पूरी दिल्ली को तबाह कर दिया गया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: शरद यादव जी, कृपया आसन को सम्बोधित करके अपनी बात कहें। आपने एक मिनट कहा था, लेकिन तीन मिनट से ज्यादा हो गए हैं। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री शरद यादव : मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि इनके बयान को हम नहीं होने देंगे। इस पर पूरी चर्चा हो, तब इनका बयान होगा, नहीं तो यह सदन नहीं चलेगा और आपको बयान नहीं देने दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया: अब श्री मुलायम सिंह जी अपनी बात कहेंगे और मैं माननीय सदस्यों से कहूंगी कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें और जल्दी समाप्त करें।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, इससे गंभीर मामला, आज सदन में और कोई नहीं हो सकता है, आने वाले एक साल में भी नहीं हो सकता है। इस गेम्स पर लगभग एक लाख करोड़ रुपये का खर्चा हो रहा है, यह मैंने माननीय शरद यादव जी को बताया है और आगे कितना बढ़ेगा, यह भी सरकार तय करके बताएंगी। बहुत सा ऐसा खर्चा है जो किसी को नहीं बताया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कौन कहां काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, पता भी नहीं चलेगा। एक लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, जबकि आज देश में भुखमरी है, गरीब आदमी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, दो वक्त की रोटी अरहर की दाल से भी नसीब नहीं हो पा रही है। भूख के कारण यह लोग यहां बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। जिस आदमी को घी नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है, दूध नहीं मिलता है, मांस नहीं मिलता है, अंडा नहीं मिलता है, वह गरीब आदमी अगर अरहर की दाल खा ले, तो उसका भोजन कुछ पौष्टिक हो जाता है, लेकिन वह दाल भी आज उसे खाने को नहीं मिल रही है और ये देश के सम्मान की बात करते हैं? सरकार भिखारी की तरह दूसरे देशों से रुपया मांगने जाते हैं, देश को मदद के लिए भिखारी बना दिया गया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक दिन माननीय कृषि मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया था, मेरा आग्रह है कि माननीय प्रधान मंत्री जी यहां आकर जवाब दें। लगभग एक लाख करोड़ रुपया तो कई सूबों का बजट भी नहीं है, क्या पंजाब और हरियाणा दोनों का मिलाकर इतना बजट है? क्या उत्तराखंड और नॉर्थ-ईस्ट का मिलाकर भी इतना बजट है? जितना इनका बजट नहीं है उतना राष्ट्रमंडल गेम्स पर खर्च किया जा रहा है और देश के सम्मान की बात करते हैं, देश को भिखमंगा बना दिया है।

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए। श्री संजय निरुपम।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर अध्यक्ष महोदया, आप मुझे नहीं बोलने देंगी, टोका-टाकी करेंगी तो मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

12.43 hrs.

(Shri Mulayam Singh Yadav and some other hon. Members then left the House)

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, इन्होंने नोटिस नहीं दिया है।

श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, नोटिस तो माननीय शरद यादव की भी नहीं थी, नोटिस तो माननीय मुलायम सिंह की भी नहीं थी, नोटिस बोलने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता।.

. ...(व्यवधान) आपने अपनी बात कही, अब हमें अपनी बात कहने दीजिए।....(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : आप विपक्ष को भी मौका दीजिए।....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यशवंत सिन्हा जी, आप बैठ जाइये। ठीक है, विपक्ष को भी मौका दे देंगे। आप बैठ जाइये।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, you are giving them an opportunity, an opportunity be given to a Member from this side also.

MADAM SPEAKER: I will give him an opportunity. Turn by turn I will give the opportunity.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Have I finished the subject?

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …[*]

MADAM SPEAKER: I have not finished the subject.

श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, विपक्ष के सारे माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, मैं इस शून्य प्रहर की चर्चा में हिस्सा लेते हुए सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा।

[*] Not recorded

सबसे पहली बात कॉमन वेल्थ गेम्स के आयोजन और तैयारियों में अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसका समर्थन करने के लिए हम यहां खड़े नहीं हैं।

मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि अगर किसी पर आरोप लगा है, तो आरोप तय होने से पहले ही किसी को फांसी पर चढ़ाने की यह परम्परा अच्छी नहीं है। अगर कुछ फिगर्स आए हैं, तो उन्हें चैक करना चाहिए। महोदया, महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने देश के लिए गौरव की बात है कि यहां राष्ट्र मंडल खेलों का आयोजन पहली बार हो रहा है।...(व्यवधान)

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD EAST): People are dying. People are starving. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Only what Shri Sanjay Nirupam speaks will go on record. Nothing else will go on record.

(Interruptions) … *

अध्यक्ष महोदया : आप माननीय सदस्य की बात सुन लीजिए। बाद में कीर्ति आजाद जी को भी बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यशवंत सिन्हा जी, आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। बाद में कीर्ति आजाद जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : महोदया, मुझे कहना है कि सदन में बैठे सभी माननीय सदस्य हिंदुस्तान के मान-सम्मान की कसमें खाते हैं, शपथ लेते हैं। खेलों के होने में दो महीने रह गए हैं, लेकिन अभी तक तैयारियां चल रही हैं। इन तैयारियों में तथाकथित भ्रष्टाचार के नाम पर रोज अखबारों में जो छप रहा है और विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे और कुछ नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का मान-सम्मान खराब हो रहा है, हिंदुस्तान की इज्जत मिट्टी में मिल रही है।...(व्यवधान) महोदया, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded

MADAM SPEAKER: You sit down. Listen to him. Then only I will call the next speaker, who is Shri Kirti Azad.

… (*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम : महोदया, इस बात को मैं जानता हूं, पहचानता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो माननीय सदस्य उस तरफ बैठे हैं, कम से कम भ्रष्टाचार पर नसीहत आप मत दीजिए। *(Interruptions)* …* जब-जब भ्रष्टाचार हुआ, उसकी छानबीन करने के लिए हम वचनबद्ध हैं।…(व्यवधान) अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी छानबीन की जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I will expunge it. It will be expunged.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: It has been expunged. I have told them to expunge it.

… (*Interruptions*)

श्री कीर्ति आज़ाद : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपने सभी मित्रों का, जो उस तरफ बैठे हैं, उनको उत्तर भी दूंगा और उनसे प्रश्न भी करूंगा।

अध्यक्ष महोदया : आप संक्षेप में बोलिए, क्योंकि शून्य प्रहर चल रहा है।

श्री कीर्ति आज़ाद : मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा। अभी मनीष तिवारी जी ने कहा कि आप खेल यहां क्यों ले कर आए हैं। खेल इसलिए ले कर आए, ताकि हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। हमारे पास अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर बने और खिलाड़ी उसका लाभ उठा सकें। ये खेल किसके लिए हो रहे हैं? ये खेल खिलाड़ियों के लिए हो रहे हैं।…(व्यवधान) किसी ने आज तक क्या यह बात रखी है या यह बात सामने रखी है कि इस झंझट के अंदर भारत कितने मैडल जीतकर लेकर आएगा?…(व्यवधान) जब हम मैलबर्न में खेलें और मैनचैस्टर में खेले तो हम चौथे स्थान पर थे और जब हम बाहर जाकर विदेशों में खेले तो वहां पर भी उनको हजार करोड़ रुपये से ज्यादा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में नहीं लगाने पड़े। लेकिन यहां एक लाख करोड़ की बात हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतना पैसा खर्च कर देने के बाद यदि हम दूसरे स्थान पर भी नहीं पहुंचे तो हम किस गौरव की बात करते हैं? आपने कहा कि यह गौरव की बात है कि खेल हो रहे हैं। गौरव का तो तब मजा आएगा जब 50 से 100 मैडल होंगे और 100 से 200 मैडल होंगे।…(व्यवधान) लेकिन अभी तक हम किसमें जुड़े हुए हैं?…(व्यवधान) बसुदेव आचार्य जी ने अभी आपको

* Not recorded

बताया कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 900 करोड़ रुपये रेनोवेशन में लग रहे हैं। रेनोवेशन के लिए 900 करोड़ नहीं 961.48 करोड़ रुपये इसके अंदर लगे हैं और वह पैसा कहां जा रहा है?...(व्यवधान) एक अच्छा स्टेडियम बनने में आप पूरे देश में चले जाइए और किसी भी क्रिकेट के स्टेडियम को देखिए तो वहां देखेंगे कि वह स्टेडियम 70 करोड़ से 80 करोड़ रुपये से ज्यादा में नहीं बना हुआ है। यह बात दूसरी है कि यूपीए की सरकार में रहने वाले मंत्री का वानखेड़े स्टेडियम 300 करोड़ रुपये में बन रहा हो। लेकिन पूरे देश में क्रिकेट का स्टेडियम 70 से 80 करोड़ रुपये से ज्यादा में नहीं बनता। लेकिन यहां तो स्टेडियम नहीं बन रहे हैं। यहां तो रेनोवेशन की बात हो रही है और हमारे मित्र संजय निरुपम जी कहते हैं कि यह गौरव की बात है। सच में बड़े गौरव की बात है कि हमारा जो तंत्र है, यह ...(व्यवधान) * सरकार...(व्यवधान) और गांधारी की तरह आंख पर काली पट्टी बांधकर दिल्ली की सरकार अंधी बनी हुई है।...(व्यवधान)और साथ में शकुनि और दुर्योधन मिलकर लूट मचा रहे हैं।...(व्यवधान)ये कॉमनवैल्थ गेम्स नहीं हैं। संजय जी, यह रिलायंस का खेल नहीं है। बैठिए। ये कॉमनवैल्थ गेम्स नहीं बल्कि ये कॉमन मैन वैल्थ लूट का खेल यहां पर चल रहा है।...(व्यवधान)एक खिलाड़ी की टीस क्या होती है? आप एक खिलाड़ी की टीस पूछिए।...(व्यवधान) मैं जो 1983 में वर्ल्ड कप जीतकर आया था, मेरा नाम आया था, मैंने उसके लिए मेहनत की थी। मैंने जोर लगाया था और लोगों के पैसे लूटने के लिए मैंने नहीं किया था। मैंने देश की आन-बान-शान और मर्यादा बढ़ाने के लिए किया था।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, 1983 में हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतकर आए थे। वहां मोहम्मद अजहरुद्दीन बैठे हुए हैं। वे आज चुप क्यों बैठे हुए हैं? मुझे समझ में नहीं आता। सेन्ट्रल हॉल में वे मुझसे बात करते रहते हैं। खिलाड़ी की टीस कहां गई? एक-एक खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीतने के लिए वह खिलाड़ी सालों-साल मेहनत करता है। वह इसलिए मेहनत नहीं करता कि यहां बैठे-बैठे देखे कि कितने का ट्रैड मिल सकता है, 9 लाख का जो ट्रैड मिल ले रहे है, वह 3 लाख में मिलना चाहिए, छाता जिसका मूल्य 500 रुपये है, वह 4500 रुपये में लिया जा रहा है। यह तो गनीमत समझिए कि टॉयलेट पेपर रीसाइकल नहीं होता, नहीं तो उसका भी न जाने वे कितना रैंट लगा देंगे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, प्रथम दिन जिस दिन यह सत्र शुरु हुआ था, आदरणीय सुषमा जी, लीडर ऑफ अपोजीशन के साथ मैं बैठा था। आपसे बात हुई थी और मैंने यह प्रस्ताव नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिए पूरी तरह से रखा है और उस चर्चा के बाद ही कोई मंत्री यहां पर जवाब दें।...(व्यवधान) भीष्म पितामह की तरह बैठे हैं। आदरणीय जयपाल रेड्डी जी, मेरे पिता जी आपके सीनियर सहयोगी पार्लियामेंट में थे। अनेकों बार आपने कहा कि जब कभी कांग्रेस सरकार में होते हुए कभी गलत करती थी तो वह सरकार के

* Not recorded

विरोध में बोलते थे। आज चुपचाप बैठे हैं। कहते हैं कि नहीं, नहीं, वह कुछ नहीं है, पानी उधर से लीक हो रहा था तो यहां टपक रहा है। ठीक करवा रहे हैं।...(व्यवधान) इसलिए कोई जवाब किसी मंत्री का आज नहीं सुना जाएगा। नियम 193 के अधीन इसे लाने के बाद ही चर्चा में हम लोग यहां बैठेंगे और फिर चर्चा होगी।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The next Member to raise his matter is Shri Hassan Khan.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। अब हो गया।

...(व्यवधान)

SHRI HASSAN KHAN (LADAKH): Thank you, Madam. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This is a very important matter about Ladakh.

… (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदया : देखिए, वहां लोग बहुत कष्ट में हैं। उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। लद्दाख के एमपी हैं। उनकी बात सुन लीजिए। आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI HASSAN KHAN : Thank you very much, Madam Speaker. … (*Interruptions*) I want to bring to the notice of the Government … (*Interruptions*)

श्री के.आर.जी. रेड्डी : मैडम, मंत्री जी को भी बोलना है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वह तो बोले कि नहीं बोलना है।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Do you want to respond?

… (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY : Yes, Madam. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I thought that you have said 'No'.

… (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY : No, they did not want it. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : अब आप सब बैठ जाइए। लद्दाख की बात होने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI SANJAY NIRUPAM : Madam, if the hon. Minister wants to respond, then he should be allowed to respond. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY : When the Minister wants to respond, they are telling that he should not speak. This is not the way the Members have to behave in this House. When the Minister wants to speak something, why do they say that he should not speak? That is not fair. Madam, you have already ruled that we are going to have a discussion on this, then why did they raise this issue? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, do you want to speak?

SHRI S. JAIPAL REDDY : Yes, Madam.

MADAM SPEAKER: All right, then please speak.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : खान साहब, आप बैठ जाइए। आप मंत्री जी के बाद बोलिएगा।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इनकी बात सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप मेरी बात सुनें।.

..(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: If the Minister wants to speak, how can I tell him not to? If the Government wants to intervene, what can I do about it?

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप इन्हें बोलने तो दीजिए। आप इनकी बात सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: How can you prevent the Minister from speaking? Why did you raise the issue? If the Minister wants to reply, why do you want to prevent him from speaking? You should hear the Minister. … (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, जीरो ऑवर में यह विषय इसलिए उठाया गया कि इस पर चर्चा की जाए। आपने कहा कि चर्चा हो जाएगी और जब चर्चा हो जाए तब माननीय मंत्री जवाब दे दें।।...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: This is a very peculiar attitude of the BJP. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The Minister wants to intervene, let him intervene.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, has it ever happened? What is this? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The Minister wants to intervene, let him intervene.

… (*Interruptions*)

श्री पवन कुमार बंसल : यह अजीब बात है कि मंत्री जी बोलना चाहते हैं और उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान) महोदया, क्या कभी ऐसा हुआ है? ...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: It is very unfortunate that the Opposition Parties are not allowing the Minister to respond.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Has it ever happened? All of you insist that the Minister should respond. Madam, often, the Opposition demands that the Minister should respond. Here the Minister is responding and they are acting like this. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

---

* Not recorded

SHRI V. NARAYANASAMY: You have raised the issue, but you do not want to let the Minister respond to it. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. I have given him permission to speak. During 'Zero Hour', the Government has the right to intervene. The hon. Minister has expressed his desire to respond and I have given him permission, so let him speak. I have given him permission. From the Chair, I have given the permission to the hon. Minister. फिर आगे चर्चा होगी, अभी चर्चा समाप्त नहीं हुई है। अभी मैंने उन्हें बोलने की परमीशन दे दी है।

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, शून्य प्रहर में जो बात उठाई गई है, वह केवल यह उठाई गई है कि इस पर चर्चा हो। आपने कहा कि चर्चा देंगे। चर्चा के बाद...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : यह चर्चा हुई है कि नहीं, इसमें एक घंटा लगाया है।...(व्यवधान) इस पर चर्चा मांगने के लिए इन्होंने घंटा लगाया है।...(व्यवधान) अब यह मांगते हैं कि मिनिस्टर जवाब दे...(व्यवधान) मिनिस्टर जवाब देना चाह रहे हैं और यह जवाब सुनना नहीं चाहते हैं...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, do you want to reply?

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let him speak. Hon. Minister wants to speak.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Nama Nageshwar Rao, Sk. Saidul Haque, Shri Ramkishun and Smt. Sushila Saroj are associating themselves with the issue raised by Shri Basu Deb Acharia on Commonwealth Games.

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं और यह जवाब सुनना नहीं चाहते हैं।...(व्यवधान)

13.02 hrs.

(At this stage, Shri Bhupendra Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 P.M.

13.02¼ hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.07 hrs.

The Lok Sabha reassembled after lunch at Seven minutes past Fourteen of the Clock

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – (JHARKHAND), 2001-11

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No.13 – Shri Pushupati Nath Singh.

Motion moved:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2011, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 3, 4, 10, 12, 16 to 20, 22 to 24, 26, 27, 33, 35, 38 to 44, 47, 48 and 51.

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): महोदय, आपने झारखंड की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह अनुपूरक मांग 1,242.71 करोड़ रूपये की है। यह अतिरिक्त मांग है। यह अनुपूरक मांग झारखंड की विधान सभा में रखी जानी चाहिए थी, लेकिन आज यह संवैधानिक मजबूरी और परिस्थितिवश लोक सभा में रखी जा रही है। एक बात के लिए हमें खुशी भी है कि अगर झारखंड विधान सभा में कोई सदस्य इस मांग पर अपनी बात रखता तो इसे केंद्र सरकार तक पहुंचने में काफी दिक्कत होती, लेकिन आज केंद्र सरकार सीधे इस मांग को रख रही है। निश्चित रूप से झारखंड के लोगों की अपेक्षा केंद्र सरकार से मांग पूरा करने की रहती है। उस इच्छा की पूर्ति करने में केंद्र सरकार निश्चित रूप से सहयोग करेगी। पिछली बार सामान्य बजट पास हुआ था और आज चार-पांच महीने के बाद हम अनुपूरक बजट लेकर आये हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर यह नॉर्मल प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत हम इस बजट को पारित भी करेंगे। इसमें कोई खास बात दिखाई नहीं देती है। विकास की अभिरूचि जो राष्ट्रपति शासन में होनी चाहिए थी, अगर कुछ परिवर्तन दिखाई देता कि नई सोच के अनुसार राष्ट्रपति शासन में केंद्र सरकार वहां के लोगों के लिए कुछ करती, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे सुखाड़ की बात हो, चाहे अकाल की बात हो, उसमें कुछ सहयोग करती, लेकिन इस अनुपूरक बजट में कहीं भी आपको यह देखने को नहीं मिलेगा। इस इच्छा शक्ति का इजहार राष्ट्रपति शासन में नहीं हुआ है।

महोदय, आप झारखंड से आते हैं और जानते हैं कि महंगाई की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कई प्रदेशों के लोग इस बात के लिए चिंतित नहीं रहते कि महंगाई भी एक मुद्दा है। यह गरीबों का मुद्दा है। झारखंड में पर-कैपिटा इनकम यानी प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की औसत सिर्फ 24 हजार रूपये है। उस जगह पर अगर दो हजार रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसत आय हो तो उस राज्य के लोगों को महंगाई की कितनी चिंता हो सकती है? वह आप खुद सोच सकते हैं, लेकिन सरकार ने उस पर भी चिंता नहीं की है। सुखाड़ और महंगाई के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि सुखाड़ से किस प्रकार लड़ा जाएगा। वहां के अकाल पीड़ित लोगों को हम किस प्रकार से राहत देंगे। वहां के किसानों को पिछले साल से अब तक फसल बीमा योजना के तहत भुगतान नहीं किया गया है। यहां तक बात होती, तो समझ सकते थे। खेतिहर मजदूरों को इस समय पर रोपनी पर जो रोज़गार मिलता था, वह भी नहीं मिल रहा है। वे लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं या पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। सरकार को निश्चित रूप से इस बात की गंभीरतापूर्वक चिंता करनी चाहिए कि वहां सूखे, अकाल और महंगाई के मुद्दे पर हम झारखंड के लोगों को कैसे राहत दे सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले सदन में शोर-शराबे के बीच वहां राष्ट्रपति शासन

का अनुमोदन हो गया। उस दिन यदि बोलने का मौका मिलता तो राष्ट्रपति शासन के औचित्य पर माननीय सदस्य चर्चा करते।

उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को जानते हैं कि झारखण्ड राज्य को बने हुए दस वर्ष हो चुके हैं और नौ बार सत्ता का परिर्वतन वहां हो चुका है। एक साल औसत आयु झारखण्ड सरकार की रही है। जिस सरकार की औसत आयु एक साल रही हो और दो बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, वहां की अराजकता का कारक कौन है? मुझे लगता है इस के पीछे यूपीए सरकार है। 15 नवम्बर भगवान बिरसा मुण्डा के जन्मदिन पर यह राज्य बना। रात को 12 बजे मुख्यमंत्री को शपथ लेनी थी और रात से ही झंझट शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी ने शिबू सोरेन जी को बहुमत न होते हुए भी मुख्यमंत्री बनाना चाहा। उसी दिन से सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। वर्ष 2005 में चुनाव हुए। इसमें खंडित जनादेश प्राप्त हुआ, लेकिन वह एनडीए के पक्ष में था। वहां के राज्यपाल ने जबरदस्ती शिबू सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस मामले में न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। इस सब में यूपीए सरकार की भूमिका रही क्योंकि शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर वहां का शासन अपने हाथ में करने की कोशिश थी। वे 9 दिन के बाद हट गए। उसके बाद अर्जुन मुण्डा की सरकार आयी। उनकी सरकार ने एक से एक कार्य करने प्रारम्भ किए। जिसमें कन्यादान योजना, डेढ़ लाख रूपये गरीबों के इलाज के लिए देने प्रारम्भ किए, पंडित दीनदयाल आवास योजना को प्रारम्भ किया। जिन गरीबों को इंदिरा आवास योजना से घर नहीं मिलता, उन गरीबों को पंडित दीनदयाल आवास योजना से आवास दिलाने की योजना प्रारम्भ की। जब अच्छे काम करना प्रारम्भ किया तो वह यूपीए को बर्दाश्त नहीं हुआ। वहां के एक मंत्री को लोभ देकर, एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाया। श्री मधु कौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया। मधु कोड़ा जी, आज जो इस सदन के माननीय सदस्य भी हैं, उन्हें मुख्य मंत्री बनाने का काम किया। यह सर्वविदित है।

आज दुनिया के लोग जान रहे हैं कि डेढ़ वर्षों के काल खंड में चार हजार करोड़ रुपए की लूट उनके मंत्री परिषद ने की। कांग्रेस के नेता वहां जाते थे और अपनी पीठ थपथपाते थे। वे कहते थे कि हमारी सरकार बहुत अच्छी और ईमानदार है। इस सरकार के डेढ़ वर्षों के कार्यकाल में मुख्य मंत्री सहित, तीन-तीन, चार-चार मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण तब हुआ, जब उन्हें हटा कर कांग्रेस ने शिबू सोरेन जी को मुख्य मंत्री बनाया। अब शिबू सोरेन जी विधान सभा का चुनाव हार गए। यह भी एक इतिहास बना। निर्दलीय को मुख्य मंत्री और निर्दलीय का मंत्री परिषद् भारत के इतिहास का एक नमूना कांग्रेस ने झारखंड में पेश किया। दूसरी तरफ आप देखें, उसके बाद आगे के काल खंड में चलें तो देखेंगे कि शिबू सोरेन जी के बाद राष्ट्रपति शासन आया। वहां दो वर्षों में दो बार राष्ट्रपति

शासन लगा और तीन-तीन राज्यपाल हुए। एक ...(व्यवधान) * राज्यपाल हुए। इनके भ्रष्टाचार के कारनामें जगजाहिर हुए। उनके प्रिंसिपल सैक्रेट्री आईएएस और पी.ए. के घर पर छापे पड़े और अरबों रुपए की सम्पत्ति पकड़ी गई। पूरे देश में राज्यपाल की बदनामी हुई, लेकिन सरकार ने उन्हें कोई सजा नहीं दी, डिसमिस नहीं किया, बल्कि उन्हें झारखंड जैसे छोटे राज्य से हटा कर असम का राज्यपाल बना दिया, बड़े राज्य का राज्यपाल बना दिया। अब आप सोच सकते हैं कि इन परिस्थितियों का निर्माण क्यों किया, किसी तरह से सत्ता अपने हाथ में रहे, यूपीए, कांग्रेस के हाथ में रहे। यह हमेशा प्रयास होता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सन् 2005 के चुनाव के बाद सन् 2010 में चुनाव हुए, उसके बाद की परिस्थिति को भी आप देखें। निश्चित रूप से लगता है कि झारखंड को अस्थिर करने का काम यूपीए सरकार ने किया, क्योंकि सरकार चल रही थी, खंडित जनादेश था और खंडित जनादेश में जो भी लोकप्रिय सरकार हो सकती है, यह नहीं कह सकते कि किसी के बस की बात नहीं थी कि हम सरकार बना लें। सरकार बनी और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी को लाकर कटौती प्रस्ताव में वोट दिलाने का काम, कांग्रेस, यूपीए सरकार ने किया। यह अनैतिक काम किया है। राज्य में वह मुख्य मंत्री एनडीए के साथ और केन्द्र में यूपीए के समर्थन में वोट डालता हो, इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हम अनैतिकता को बढ़ावा नहीं देंगे। इस बात की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई। पूरे राज्य और देश में प्रशंसा हुई कि भारतीय जनता पार्टी का यह कदम निश्चित रूप से क्रांतिकारी कदम है, नैतिकता के आधार पर उठाया गया कदम है। आप सोच सकते हैं कि इन परिस्थितियों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की गई, जिससे सत्ता अपने हाथ में रहे। झारखंड में अगर आधार है तो वह एनडीए का आधार है। उसके बल पर हम लोग लोक सभा का चुनाव लड़ रहे थे और उस समय महंगाई एक मुद्दा थी, उसने दिल्ली को प्रभावित नहीं किया, जहां औसत आय एक लाख 77 हजार हो, उसे प्रभावित नहीं किया, उसे प्रभावित किया, जिस राज्य में 24 हजार और 14 एमपीज़ की सीटें हैं, कांग्रेस को सिर्फ एक एमपी झारखंड में मिला, सारे के सारे कांग्रेस के खिलाफ हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां ऐसी गरीबी है, जहां महंगाई है, वहां के लिए निश्चित रूप से केन्द्र में बैठी हुई सरकार जो सिर्फ बड़े-बड़े लोगों की चिन्ता करती है, गरीबों की चिन्ता नहीं करती। उसे वहां का ध्यान रखना चाहिए। यही कारण है कि उस सरकार के 14 सांसदों में से केवल एक एम.पी. झारखंड से जीतकर आया। अब सोच सकते हैं कि वे कितने सौभाग्यशाली रहे। वहां से जीतकर आए और केन्द्र में मंत्री बन गए। अब उनके रहते हुए मंत्रिपरिषद में क्या बात होती है, कितना सहयोग वे कर पाते हैं, ये तो वही बताएंगे।

* Not recorded

कल जब यहां चर्चा हो रही थी कि बिहार और झारखंड को स्पेशल पैकेज दिया जाए, तो निश्चित रूप से यह झारखंड की आवश्यकता है और मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार उसकी विशेष मदद करे। अगर विशेष मदद केन्द्र सरकार नहीं करेगी, तो जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य बना है, वह विफल हो जाएगा। जब झारखंड एक नया और अलग राज्य बना, तो उस समय यह उद्देश्य था कि हम आदिवासी-बहुल लोगों के जीवनस्तर को किसी प्रकार से सुधारने का काम करें, लेकिन यह काम नहीं हो पा रहा है।

महोदय, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए हमें चिन्ता होती है। भारत की संसद के सदस्य हैं। राष्ट्रपति शासन में बी.पी.एल. की सूची बनी। उसमें भी बड़े घोटाले हुए। उसमें जो गरीब थे उनके नाम नहीं चढ़ाए गए और जो अमीर थे, जिनके दो और तीन मंजिला मकान थे, उनके नाम चढ़ा दिए गए। इसलिए पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों की मांग है कि वहां की बी.पी.एल. सूची में सुधार हो।

महोदय, कल जब यहां चर्चा हो रही थी और वित्त मंत्री जी बोल रहे थे, तब उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि आज बी.आर.जी.एफ. नरेगा और डी.आर.डी.ए. वगैरह अनेक स्कीमें हैं जो ठीक प्रकार से नहीं चल रही हैं। डी.आर.डी.ए. की जो लिस्ट बनती है, उसे ऑफीसर बनाते हैं, वही पास होकर जाती है। वह लिस्ट कैसे बनती है, वह भी मैं बताना चाहता हूं कि वह गरीबों के हित की लिस्ट नहीं बनती है। यदि मैं यह कहूं कि वह ठेकेदारी-ओरिएंटेड लिस्ट बनती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस लिस्ट में कॉंट्रैक्टर ओरिएंटेड कामों की लिस्ट बनती है। उसमें कॉंट्रैक्टर को किस तरह से फायदा हो, यही देखा जाता है। जंगलों में सड़क बना दी। आप सोच सकते हैं कि इस तरह से यदि राष्ट्रपति के शासन में काम होगा और जनप्रतिनिधि तथा जनता की बात नहीं मानी जाएगी, तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है और जनता की अपेक्षाओं के अनुसार हम काम करने में असमर्थ हो जाते हैं।

महोदय, आज झारखंड की दयनीय स्थिति है। उसके पीछे के इतिहास को मैंने बताया। आप भी जानते हैं कि अविभाजित बिहार में कई प्रकार को घोटाले हुए, फिर चाहे वह चारा घोटाला हो, लकड़ी घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, सारे घोटाले हुए। उसके बाद जब झारखंड राज्य बना, तो झारखंड में और घोटाले हुए। मुख्य मंत्री द्वारा घोटाले हुए, जिनमें से एक घोटाले में तो एक व्यक्ति ने डेढ़ वर्ष में चार हजार करोड़ रुपए कमा लिए। लोग कहते हैं कि वहां की जो आधारभूत समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां विकास नहीं है, वहां उग्रवाद है। अगर वहां आपने विकास किया होता और जो धन यहां से उसके विकास के लिए गया था, उसके घोटाले अगर नहीं हुए होते, तो निश्चित रूप से आज देश के सामने जो उग्रवाद की चिन्ता है, वह नहीं होती। वहां लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। 365 दिन में से 100

दिन उग्रवादियों द्वारा झारखंड बन्द रखा जाता है। उग्रवादियों द्वारा बन्द का जब भी आह्वान हो जाता है, झारखंड बन्द हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, अब कृपया समाप्त करें।

श्री पशुपति नाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट और बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे पारित भी करना है। इसलिए कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें। इस पर और लोग भी इस पर बोलने वाले हैं।

श्री पशुपति नाथ सिंह : उग्रवादियों द्वारा जब बन्द का आह्वान हो जाता है, तो पुलिस घर में दुबकी रहती है। थाने के गेट में ताला बन्द हो जाता है और वे दुबके रहते हैं, जनता भी बेचारी लाचार, बेबस अपने घरों में दुबकी रहती है और सारी चीज़ें ठप्प हो जाती हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां सरकार नाम की कोई चीज है और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, इससे सारे लोग दुखी भी हैं। अगर वे दुखी हैं तो इसका समाधान खोजना चाहिए।

झारखण्ड में इस बात की चिन्ता है कि अभी पिछले विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा कोशिश की गई कि सत्ता मेरे हाथ में आ जाये और जे.बी.एम. के साथ इन्होंने चुनावी गठबन्धन किया। चुनावी गठबन्धन के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद कहा कि नहीं, हमारा चुनाव तक गठबन्धन था। यह कांग्रेस सरकार, यू.पी.ए. सरकार आदिवासी विरोधी है। अभी तीन दिन पहले इनके घटक दल, जिनके साथ इन्होंने गठबन्धन किया, माननीय बाबूलाल मरांडी जी इस बात को कह रहे हैं कि यह सरकार आदिवासी विरोधी है, केन्द्र सरकार आदिवासी विरोधी है। अब चिन्ता होती है कि अगर केन्द्र सरकार उसका विकास चाहती है तो निश्चित रूप से जिन मुद्दों को हमने उठाया है, आज की परिस्थिति में चाहे वह महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वह सुखाड़ का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे वहां उग्रवाद का मुद्दा हो, निश्चित रूप से इसका समाधान केन्द्र सरकार के द्वारा हो।

एक आपने देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का राष्ट्रपति शासन में इतिहास बन गया। एक दिन में 42 आई.ए.एस. का ट्रांसफर कर दिया गया। अरे भाई, आप क्या चाहते हो, राजनीति करना चाहते हो या चुनाव की तैयारी कर रहे हो या अपने मन के मुताबिक आप लूट कर रहे हो। हम लोग तो जब पूरा बिहार जल रहा था और बिहार में लगता था कि लालू जी की तूती बोल रही है, उस समय 3-3 बार विधायक बने। उस समय उनके खिलाफ विधायक हुए तो ये आफिसर अपने मन के मुताबिक करके, उनको डिमोरलाइज़ करके, जो आफिसर्स ईमानदार हैं, जो 3-4 महीने में डिप्टी कमिश्नर से कमिश्नर होने वाले हैं, उनका भी ट्रांसफर कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री पशुपति नाथ सिंह : अब हम समाप्त करते हैं, आपके प्रति बहुत आभारी हैं।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to support the Supplementary Demands for Grants of the Government of Jharkhand for the year 2010-11. We all know that President's Rule has been imposed on the State of Jharkhand. Under article 356 of the Constitution the powers of the Legislature of the State of Jharkhand are exercisable under authority of Parliament.

This is the first Supplementary Demands of the current fiscal year for the State of Jharkhand. The Demands have arisen on account of emergent need and a total additional demand has been sought to the tune of Rs. 1242.71 crore. The Grant awarded by the 13th Finance Commission for the State for the Award period 2010-15 is to the tune of Rs. 7232.36 crore, out of which Rs. 728.30 has been awarded for the current financial year. As per the Padmanabhan Committee, the Privy and Purse clause necessitated additional amount of Rs. 28.24 crore to meet the hike in Demands.

The State Plan sector also gets an additional amount of Rs.510 crore. The non-Plan expenditure of the State is going to increase by Rs. 645.28 crore. It is found that as per Plan expenditure, it is Rs. 590 crore and for non-Plan, it is Rs. 652.01 crore have been sought in the Supplementary Demands for Grants. As per the Plan demands are concerned, I must appreciate that a sum of Rs. 200 crore is being provided for construction of rural roads in two Left Wing Extremists districts as per the recommendation of the Planning Commission. The additional demand for capital expenditure has been estimated as Rs.220 crore and Rs. 728.30 crore is to be received on account of the recommendation of the 13th Finance Commission. Thus, the additional burden on the State exchequer has been estimated at Rs. 418.69 crore. It is Rs. 198.69 crore for non-Plan side and Rs. 220 crore for Plan expenditure.

Sir, Jharkhand is a newly carved out State alongwith Chhattisgarh and Uttarakhand which we are all aware of. It is a mineral rich State and also 28 States of our country. Nearly 40 per cent of minerals and coal are procured from this State. If I give you the statistics, you will know the position. In so far as iron ore is concerned, it is first in the country. In coal sector, it is in the third position. In copper ore, it is in the first position, in mica, it is in the first position and in bauxite, it is in the third position. It is in the first position in uranium and it is in the sixth position in the country as far as gold is concerned, let alone other precious minerals. But the fact is that the aspiration of the common people of Jharkhand has been debunked because Jharkhand is still lagging behind in all socio-economic parameters. If you compare it with the other two newly carved out States, the siblings of Jharkhand, namely, Uttarakhand and Chhattisgarh, then you will find it easy to ascertain that over the years, Jharkhand has been the victim of political instability, corruption and lately, Maoist bloodshed. उधर से हमारे बुजुर्ग नेता कह रहे थे कि यूपीए की सरकार सारी गड़बड़ी करती है। अगर इस देश में सूखा होगा तो बीजेपी के लोग कहेंगे कि यह यूपीए सरकार का दोष है। अगर हिंदुस्तान में बारिश होगी या बाढ़ आएगी, तो भी ये लोग कहेंगे कि यह यूपीए सरकार का दोष है। मैं बुजुर्ग नेता को यह कहना चाहता हूं कि

From the year 2000, the year when Jharkhand State was carved out, who was the first Chief Minister of Jharkhand? It was Shri Babu Lal Marandi. To which party he belonged? It was the BJP to which he belonged to. The second Chief Minister of Jharkhand was Shri Arjun Munda and his party affiliation was BJP. The third Chief Minister of Jharkhand was Shri Shibu Soren who belonged to Jharkhand Mukti Morcha. The fourth Chief Minister of the State was Shri Arjun Munda who also belonged to BJP. Then came Shri Madhu Koda who was an independent. Then came Shri Shibu Soren belonging to JMM.

उन्होंने वहां हमारी पार्टी का सीएम कब देखा? जब झारखंड सरकार का जन्म हुआ, तब से लेकर आज तक यानी वर्ष 2000 से 2010 तक सबसे ज्यादा समय तक सरकार किसने चलाई, यह आपको सोचना पड़ेगा। वहां किसी सरकार की आयु ज्यादा दिन तक नहीं रही। आप कहते हैं कि यूपीए सरकार ने सारी गड़बड़ी कर दी। पिछले कई महीने श्री शिबु सोरेन के पीछे कौन सी पार्टी के लीडर चक्कर काटते थे? कितनी बार बीजेपी के लीडर दिल्ली से झारखंड गए थे, आपको यह हिसाब रखना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि जब झारखंड का जन्म हुआ, तब वह सरकार के बजट में सरप्लस था। But see the condition of Jharkhand now. Out of 35 States including Union Territories of India, Jharkhand has been ranked as 32nd State. Out of five persons in Jharkhand, three persons are not able to meet their minimum needs. That is the state of affairs in Jharkhand.

As per the Hunger Index of India, Jharkhand belongs to extremely alarming State after Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is run by the BJP and Jharkhand has been run most of the time by the BJP. Where there is BJP, there is a problem; where there is Congress there is prosperity. This is the reality of our country.

I would suggest that though this State is rich in minerals, we should not confine our attention only to mineral extraction. Of course, it is a mineral rich State. But the fact is that other sectors have been neglected as most of the concentration has been only on mineral extraction. That is why agriculture has not been developed. More funds need to be infused into the agriculture sector. There is a huge potential in Jharkhand for large manufacturing. It is because of the same reason that there is a huge wealth of mineral, it can generate huge employment.

The main problem of Jharkhand, the typical problem of Jharkhand is the poor state of governance. Some kind of reform should be injected in the governance of Jharkhand. The web of corruption has been eating into the vitals of Jharkhand. Even Secretaries and other bureaucrats have been implicated by the CBI. This is quite disgusting for us. Former Finance Minister, Shri Yashwant Sinha, has made a statement in this regard. I would like to quote him here. He

said: “Jharkhand has been the victim of bad governance and corrupt bureaucracy. Therefore, Jharkhand has been in a very bad plight.”

सिर्फ यूपीए सरकार सारी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार है और बीजेपी कुछ नहीं जानती, छोटे-छोटे बच्चे हैं, यह बोलना ठीक नहीं है। झारखंड के लोग अब कह रहे हैं कि बिहार में चल जायेंगे, क्योंकि जब बिहार में थे तब हम अच्छे थे। अब बिहार से निकलकर हमें और ज्यादा खर्च करना पड़ता है, यह झारखंड की आम जनता कहती है। अगर झारखंड में कुछ खराबी है, तो जिस पार्टी ने वहां सबसे ज्यादा राज किया, तो उसकी जिम्मेदारी उन पर होगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2010-11 के लिए झारखंड राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं अपने दल से अकेला बोलने वाला सदस्य हूं। आपने समय सीमा भी निश्चित कर दी है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अपनी बात जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी लेना है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : ठीक है। यहां पर पक्ष-प्रतिपक्ष के सम्मानित साथियों के विचार और सुझाव आये हैं। अगर देखा जाये तो यह सत्य है कि हम अलग राज्य बनाने की बात करते हैं। अलग राज्य बनाकर हम अपने संसाधन पर, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने राज्य का विकास करेंगे, ऐसा बहुत से नये राज्यों ने कहा चाहे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या झारखंड हो। तमाम ऐसे राज्य बने, लेकिन जहां तक मेरा दल और मेरे नेता का सवाल है, हम राज्य के बंटवारे के हमेशा खिलाफ रहे हैं।

जैसा अभी अधीर रंजन जी ने चिंता व्यक्त की कि राज्यों के बंटवारे से कभी फायदा होता है और कभी नुकसान भी होता है। जैसे उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब वहां के लोग कहते हैं कि हम पहले बिहार में थे, तो अच्छे थे। अब खैर राज्य बन गया, उसमें कोई चर्चा करने की बात नहीं है। लेकिन जहां तक देखा जाये कि जब से यह राज्य बना, वहां तमाम राजनीतिक उथल-पुथल हुई। पूर्व मुख्यमंत्रियों की भरमार लगी। कुछ घोटाले भी उजागर हुए, जिनकी जांच चल रही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। जहां तक देखा जाये कि संसद में, इस विषय में सम्मानित सदस्यों ने हमेशा राज्यों के उत्थान, केन्द्र और राज्य के आपस के सहयोग के बारे में बराबर चर्चा की है। मुझे याद है कि संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में सभी 189 देशों ने आठ बिन्दुओं पर शपथ ली थी कि वर्ष 2015 तक हम अपने यहां गरीबी दूर करेंगे। कुछ ने कहा कि हम भुखमरी का अंत कर लेंगे। इसी के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता, शिशु मृत्यु दर और मातृत्व, स्वास्थ्य के सुधार और पर्यावरण संतुलन पर बात हम विदेशों मे करके आते हैं, संकल्प लेकर आते हैं कि अपने देश में जाकर हम इसे पूरा करेंगे। समय-समय पर तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो छोटे-छोटे राज्य हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, वहां के मुख्यमंत्रियों की हमेशा डिमांड रही है कि हमारे राज्य के विकास में कम से कम केन्द्र विशेष ध्यान दे, विशेष पैकेज दे, ताकि हमारा राज्य तरक्की करे और हम जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो जायें।

जहां तक देखा गया कि झारखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, वहां का जो सामाजिक वातावरण है, उसके मुताबिक वहां जो प्राकृतिक सम्पदा है, तमाम संसाधन हैं, अगर उसे हम डेवलप कर लें, तो मेरे ख्याल से, जैसे अभी सम्मानित सदस्य चर्चा कर रहे थे, हम बेरोजगारी और तमाम समस्याओं से छुटकारा पा

सकते हैं। अभी तक हम लोग आतंकवाद से लड़ रहे थे, लेकिन कुछ राज्यों में नक्सलवाद भी फैला है। कल ही हमारी अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही थी, उसमें 14,000 करोड़ रुपये से नक्सलवाद प्रभावित 26 जिलों के विकास की बात कही गयी। ईश्वर करे कि उस राज्य में नक्सलवाद खत्म हो, नक्सली भाइयों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए उनके क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। सरकार की तरफ से कभी जवाब आता है कि हम सख्ती से निपटेंगे और इसका खात्मा कर देंगे, लेकिन सख्ती से हम किसी बात से निपट नहीं सकते हैं। हमको उसकी जड़ में जाना होगा, हमें बैठकर बातचीत से समस्या का हल निकालना चाहिए। यह देखना कि कहां पर समस्या की जड़ है, क्यों ऐसी समस्या शुरू हुई है। मैं ज्यादा बातें न कहते हुए, अनुपूरक अनुदानों एवं विनियोग विधेयकों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर): महोदय, आपने मुझे झारखण्ड के सप्लीमेंटरी बजट, 2010-11 पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

यह बजट 12 लाख 42 हजार 71 करोड़ रुपये का है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाते हुए कुछेक बातें कहना चाहती हूं। फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए 1.20 करोड़ रुपये, हेल्थ के लिए 14.48 करोड़ रुपये, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लिए 5,30 करोड़ रुपये, लेबर इम्प्लायमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए 2.20 करोड़ रुपये और वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 10.15 करोड़ रुपये रखे हैं। ये कुछ आइटम्स हैं जो वहां के साधारण लोगों से जुड़े हुए हैं। Jharkhand holds 40 per cent of the nation's mineral wealth and it contributes to over 40 per cent of India's coal production and iron ore. लेकिन हम लोग देखते हैं कि झारखण्ड के जो मूल लोग हैं, about 57 per cent of the children are malnourished; more than 70 per cent of the children are anaemic and 60 per cent of the children are severely underweight. 90 प्रतिशत घरों में अभी तक पीने के पानी, टॉयलेट आदि की सुविधा नहीं है। यह राज्य वर्ष 2000 में बना था, एनडीए के शासनकाल में, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि छोटा राज्य होकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वहां अभी तक पंचायत के इलेक्शन नहीं हो पाए, इसकी वजह से पंचायत से जुड़े हुए जो भी काम हैं, वे नहीं हो पा रहे हैं। आईसीडीएस, मिड डे मील, पीडीएस सिस्टम, एनआरईजीए आदि सभी योजनाओं का कोई काम वहां नहीं हो पा रहा है। जैसे बीपीएल और अंत्योदय योजना की बात है, वहां जिन लोगों को बीपीएल कार्ड मिलने चाहिए, नहीं मिल पा रहे हैं। झारखण्ड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी वहां प्रेसीडेण्ट्स रूल है, इसलिए सरकार का दायित्व बनता है, इसीलिए हम आज यहां इस पर चर्चा कर रहे हैं। वहां जो ड्रॉउट चल रहा है, last year, the mismanagement of the drought situation in the State has led to an extremely serious food and nutrition crisis. लेकिन उधर कोई पैसा पहुंचा नहीं है। वहां एग्रीकल्चरल लैण्ड 18 प्रतिशत है, 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज्यादा ट्राइबल पीपुल हैं, लेकिन वहां के लोगों को बहुत परेशानी है। अभी वहां प्रेसीडेण्ट्स रूल है, इसलिए हम चाहते हैं कि उधर राज्य में इलेक्शन होने चाहिए। Why has the Assembly not been dissolved? Why are the people of Jharkhand not given an opportunity to elect their own State Government?

अगर वहां अच्छी और स्थाई सरकार होगी तो राज्य के लोगों के लिए कल्याणकारी काम कर सकेगी। हम लोग यह भी चाहते हैं कि वहां पंचायत के चुनाव शीघ्र से शीघ्र हों, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें राहत मिल सके।

झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, वहां जंगलों की भरमार है। ट्रेडिशनल फारेस्ट ड्वैलर्स (रिकोग्निशन आफ राइट्स) एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन वहां अभी तक नहीं हुआ, यह करना होगा। इसके अलावा वहां पर पीडीएस की हालत बहुत खराब है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अव्यवस्था के चलते वहां पर स्टारवेशन की संख्या 47 तक पहुंच गई है। इसलिए इसे भी ठीक करने की जरूरत है।

झारखंड माइनिंग स्टेट भी कहलाती है। वहां पर कोयला और खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में हैं। लेकिन उनका भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। उसे रोकने के लिए मेरी सरकार से मांग है कि गैर कानूनी खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और इन्हें पीएसयू के तहत लाया जाए। यह बहुत जरूरी है और केन्द्र सरकार को यह जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके न होने से वहां भ्रष्टाचार भी काफी फैल गया है, जिसका जिक्र पूर्व वक्ताओं ने भी किया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सारा माइनिंग का काम निजी लोगों के पास चला जाएगा और वहां की जनता की हालत में कोई सुधार नहीं होगा। राज्य में राजनैतिक अस्थिरता के चलते बार-बार मुख्य मंत्री बदले जाते हैं, जिससे वहां विकास के कार्य अवरूद्ध होते हैं। जिस उद्देश्य के लिए हमने छोटे राज्य बनाए थे और झारखंड भी उसी परिप्रेक्ष्य में बना था, लगता है कि वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।

झारखंड राज्य में नक्सलवाद की भी एक समस्या है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहां पर आए दिन बम ब्लास्ट होते हैं, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। केन्द्र सरकार को इस समस्या का तुरंत हल निकालना चाहिए। इसके अलावा वहां रोज-रोज बंद होते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वहां की वर्तमान विधान सभा को भंग करके नए चुनाव कराए जाएं, जिससे वहां स्थाई सरकार आने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I stand here to deliberate on the Supplementary Demands for Grants of the State of Jharkhand for 2010-11. This is a constitutional requirement. The President's Rule is imposed in Jharkhand and we do not know how long it will continue. The expectations are that the election to the Jharkhand Assembly may be held along with that of Bihar. However, this expectation is not being shared by many. Some say that the election to Jharkhand Assembly may be held after seeing the result of the Bihar Assembly election.

Last time, when we discussed about the imposition of the President's Rule in Jharkhand, I had expressed my apprehension as to how long there would be President's Rule in Jharkhand. An assurance was given that as soon as things normalize there we would see that an elected Government is formed in Jharkhand. But today more than two months have already passed, but we may have to wait for another two months. It is like waiting for the inflation to come down. After two months we are told again to wait for another two months.

As far as the President's Rule is concerned, it is an emergency measure. But at times, when you go on continuously administering that medicine to a patient, he becomes immune to that medicine and there the trouble starts. Some say that everything is normal in Jharkhand. But the House has just heard that perhaps the creation of Jharkhand was not conducive and that gives rise for challenges to the leadership of respective political parties.

A question also arises whether the elected representatives, the persons who are in public life, are not fit. I am not posing that question here.

But that question also had arisen before we attained Independence, that if, independence is given to this country, it will be thrown to chaos. That time, Mahatma Gandhi, Father of the nation, had said, "You first leave this country and give it to us, then we will manage or not manage that responsibility is ours".

I would repeat here, allow the mandate to be reflected in the administration of Jharkhand. Mistakes are committed by everyone, they may do mistakes, but

through mistakes they will learn and can run their State efficiently. But the larger question is, division of States has occurred in the later part of 1960s. The first division was of the State of Punjab. Himachal Pradesh became a successful small State. Haryana also became a successful story. Division of States also took part in the North-East. But there we found certain problems. Assam was divided into many States, but problems cropped up there. Insurgency is still there, though of a lesser magnitude, but we have framed a different law and in a way forces are there to control law and order situation.

In 2000, three States were divided as per the decision of their respective Assembly, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. Uttrakhand is doing well, to a greater extent Chhattisgarh is also doing well. But in Jharkhand we find a fractured mandate.

In a fractured mandate, as it was happening in Goa, as long as fractured mandate is there, leadership is not that much forceful to run a Government. But fractured mandate also was in Uttar Pradesh. The whole onus lies with the people. Fractured mandate is a reflection of the fractured idea that we have in a society. If a society is fractured, mandate also will be fractured. But in Uttar Pradesh, till the Uttar Pradesh election was there, this idea was being floated perhaps for the smaller States because of fractured mandate a good efficient Government is unable to be formed. But my belief is to consolidate the society and to ask for a mandate.

In Jharkhand, two major political parties are involved, it is the Bharatiya Janata Party and it is the Indian National Congress. The regional parties are also there. The Jharkhand Mukti Morcha and other regional parties are there. I would say that greater responsibility is before the national parties as well as before the regional parties of that State to consolidate the society so that a good mandate can come up so that Jharkhand can prosper.

We have to support this Bill. It is a constitutional requirement. Jharkhand has seen, I think, four Chief Ministers in different periods. Jharkhand has great

leaders to lead that State. While mentioning this, I would only wish that as soon as President's Rule goes, Jharkhand will prosper.

15.00 hrs.

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir for giving me an opportunity to speak on the Jharkhand Appropriation Bill. Many hon. Members of Parliament have discussed about this matter in this august House. In the regime of NDA Government, Jharkhand has been separated from Bihar; Chhattisgarh has been separated from Madhya Pradesh; and Uttarakhand has been separated from Uttar Pradesh.

Today what is the position of Jharkhand? On 15th November 2000, Jharkhand came into existence as a separate State. What are we seeing after 10 years of its existence? Two general elections have been held in 2005 and 2010. The Government is not stable in Jharkhand; therefore there has not been a proper development in that State. On the one hand, Jharkhand is a backward State, on the other hand, Jharkhand is a resourceful State having abundant mines, minerals and coal. But due to lack of development of the society, most of the people there belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBC categories. People in the remote villages there are not getting any relief from the Government. It is because, for a long time, ever since it was a part of Bihar, no panchayat elections were held in Jharkhand. So, my suggestion is that since it is now under the Governor's rule, panchayat elections must be held there for the benefit of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs, and above all, for the development of the Jharkhand State. As far as its development is concerned, there are burning problems like the right of the forest dwellers to '*jal, jangal, jameen*', and Rehabilitation of the displaced persons in Jharkhand. People are facing a lot of difficulties. Most of the villages there lack drinking water; most of the villages lack toilet facilities.

Jharkhand State is in the border of my Parliamentary constituency, Purulia. I belong to Purulia in West Bengal; it is adjacent to the Jharkhand State. The amount allotted to Jharkhand in this Budget is not so much. My humble submission to the Government, through you, is that the Government must allot

more money for the benefit of the people of Jharkhand especially the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the OBCs. It does not matter whether there is NDA rule or the UPA rule, we want development of Jharkhand. The election is going to be held but the Government is not stable there. There is Governor's rule in Jharkhand. The people of Jharkhand are having so much hope for the development of their State. So, my humble submission to you is that more amount should be allotted for development of Jharkhand specially development in the field of education, village-level development for the benefit of the people of Jharkhand, those who have hoped that after separating from Bihar they will develop their State. They will develop their State but corruption is going on in spite of the development. I would humbly submit to the Government, through you, Sir, to look into this matter. I hope that the hon. Minister will look into this matter.

With these words, I conclude my speech.

श्री मधु कोड़ा (सिंहभूम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि झारखंड के संबंध में बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। चूंकि मैं बोलने की इच्छा पहले से रखा था और हमारे मित्र बड़े भाई श्री पी.एन.सिंह जी ने मेरा नाम लेकर कुछ कहा है, इस नाते मुझे बोलने पर मजबूर किया है। आज झारखंड का जो अनुपूरक बजट लाया गया है और सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में आज राष्ट्रपति शासन है। उससे झारखंड का सामाजिक परिवेश काफी प्रभावित होने वाला है। इसीलिए हम लोग झारखंड को संचित निधि में से देने जा रहे हैं। चूंकि मैं उस राज्य का मुख्य मंत्री रहा हूं, इसीलिए मैं बड़ी नजदीकी से जानता हूं कि वहां की सामाजिक या भौगोलिक परिस्थिति क्या है। आज कुछ देर पहले मेरे बड़े भाई पी.एन.सिंह जी कह रहे थे कि वहां पर निर्दलीय को राज्य सत्ता सौंप दी गई और डेढ़ साल में लूट मचा दी। उनको पता होना चाहिए कि इसी निर्दलीय के वोट से 2005 में उनकी भी सरकार बनी थी। उस समय मैं लुटेरा नहीं था, उस समय मैं कोई घोटालेबाज नहीं था। आज हम घोटालेबाज हो गये। आज जो लोग उधर बैठे हुए हैं, वे अपने आप को आदिवासी का हिमायती कहते हैं।

मैं बताना चाहूंगा ...(व्यवधान) झारखंड के साथ अगर सबसे ज्यादा बेईमानी किसी ने की है तो वह एनडीए वालों ने की है। मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी का विरोधी यूपीए नहीं है, एनडीए वाले लोगों ने सब जगह विरोध किया है। हमारे चीफ शैड्यूल एरिया को जो झारखंड का आधे से ज्यादा चीफ शैड्यूल एरिया आता है, एनडीए वालों ने षडयंत्र करके उस चीफ शैड्यूल एरिया को डीनोटिफाइ करके उसे ज्वलंत बनाने का काम एनडीए वालों ने किया है। रांची जिला जो हमारे शैड्यूल एरिया में आता था, एनडीए वालों ने शैड्यूल एरिया को काटकर हटा दिया था। मैं उस समय मुख्य मंत्री था। मैंने इस बात को केन्द्र सरकार के संज्ञान में लेकर आया। यूपीए की सरकार थी। उसके बाद उसको फिर से डीनोटिफाइ करके शैड्यूल एरिया में लाया गया। ये लोग अपने आप को आदिवासी के हितैषी कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आदिवासी का कोई हितैषी है तो वह हमारी यूपीए की सरकार है। वहां जो हमारा पारंपरिक सिस्टम है, जो स्थानीय निकाय हैं, जो स्थानीय लोगों की अपनी व्यवस्था है, अगर उसे किसी ने मजबूत करने का काम किया है तो वह हमारी यूपीए की सरकार जो झारखंड में थी, उन्होंने उसे मजबूत करने का काम किया है। उन लोगों को मान देने का काम हमारी यूपीए सरकार ने किया है। मैं यह कहना चाहूंगा आज यहां पर बैठे हुए जो लोग हैं, नकसल प्रभावित क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नकसलवादी घटनाएं अगर घटी हैं तो एनडीए सरकार के समय में घटी हैं।

जब झारखंड बना था तब 18 जिले थे। 16 जिले उग्रवाद क्षेत्र थे, पांच साल बाद पूरे 18 नहीं 24 जिले उग्रवाद क्षेत्र हैं। ...(व्यवधान) जब मैं आपके साथ था तो बहुत अच्छा था और अब अलग हो गया हूं तो बदनाम हो गया।...(व्यवधान) इन लोगों ने वहां के लोगों के हाथ में सत्ता नहीं दी। झारखंड के लोगों के हाथ में सत्ता देने का काम यूपीए ने म्युनिसिपलटी का चुनाव कराकर किया। इन लोगों ने नहीं करना चाहा। इन लोगों का, एनडीए का व्यवहार बहुत नकारात्मक रहा है। झारखंड में सबसे पहले पांचवें वेतन आयोग का भुगतान यूपीए सरकार के समय में हुआ। झारखंड बनने के बाद छः और सात साल बाद भी पंचम केन्द्रीय वेतन एनडीए ने नहीं दिया, पर यूपीए सरकार के समय में भुगतान दिया गया है। अगर विकास को सही दिशा में ले जाना है तो विकास का पैमाना जाति के नाम पर नहीं हो सकता, यह धर्मनिरपेक्षता पर होना चाहिए। एनडीए वालों ने यह नहीं किया और उसी का नतीजा है कि ये लोग उधर बैठे हैं। मैं बजट का समर्थन कर रहा हूं और झारखंड को जरूरत भी है। ...(व्यवधान) मैंने जो काम किया है उसे एनडीए वाले नहीं कर पाए है और करेंगे भी नहीं। हम चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। ...(व्यवधान) आज हमारे ऊपर अरबों करोड़ों रुपए का आरोप लगाया गया, 6000 करोड़ रुपए खा गए। लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया कि 6000 करोड़ रुपया कहां गया? जमीन में है या आसमान में है? आज तक किसी ने इसे बताने का काम नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं।

श्री निशिकांत दूबे।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, nothing will go on record.

(Interruptions) ... [*]

[*] Not recorded

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, अभी जो डिसकशन हुआ उसके बारे में मेरे दो-चार सवाल हैं। यहां बताया गया कि झारखंड की स्थिति क्या है? एक गाना है - "नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए।" मोर है कि सारे झारखंड में 40 परसेंट मिनरल है। आप स्वयं कहते हैं कि इस देश का 40 परसेंट मिनरल झारखंड प्रोड्यूज करता है और चोरी हो रही है। यह सरकार रॉयल्टी के बारे में क्या कह रही है? आप रॉयल्टी बढ़ा रहे हैं क्योंकि झारखंड का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक आप रॉयल्टी नहीं देंगे। क्या आप रॉयल्टी बढ़ा रहे हैं? दूसरा सवाल यह है कि हमारे यहां पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। इस तरह से आपके पास 12वें फाइनेंस कमीशन का पैसा बाकी है। यदि पंचायत का चुनाव होगा तो क्या आप 12वें वित्त आयोग का पैसा झारखंड को देंगे? ...(व्यवधान) सवाल यह है कि झारखंड दो पार्ट में बना था - छोटा नागपुर और संथाल परगना ।

मेरा तीसरा सवाल यह है...(व्यवधान) आप मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं, वहां छोटा नागपुर और संथाल परगना है। संथाल परगना में हमारा सबसे बड़ा कोल ब्लाक है। लेकिन वहां एक भी पावर प्लान्ट नहीं है, एक भी हास्पिटल नहीं है, एक भी एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक भी मैडिकल कालेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कालिज नहीं है, एक भी आईटीआई नहीं है, महिलाओं के लिए कालेज नहीं है और वहां के स्कूल में बिल्डिंग नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैन्ट के लिए संथाल परगना के लिए स्पेशल पैकेज देने जा रहे हैं? मेरे यही तीन सवाल हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, in all eight hon. Members participated in the Supplementary Demands for Grants for the State of Jharkhand and gave valuable suggestions and made observations.

Sir, the State of Jharkhand has sought additional demands worth of Rs.1242.71 crore in its First Supplementary of the current fiscal year. These demands have been necessitated on account of some emergent needs like grants awarded by the Thirteenth Finance Commission, implementation of the recommendations of the Padmanabhan Committee in respect of the judicial officers, special project for connectivity of small rural hamlets in 11 Left Wing Extremist affected districts and maintenance of roads and bridges.

The Non-Plan expenditure including the charged expenditure is going to increase by an amount of Rs.652.01 crore. The Plan budget is proposed to be augmented by an additional amount of Rs.590.70 crore. As against this demand of Rs.1242.71 crore, Rs.728.30 crore is to be received as the Thirteenth Finance Commission Grant, Rs.19.81 crore by way of surrender and reallocation of the State Plan Outlays and Rs.75.91 crore will be received as Central share. Thus, the additional burden on the State Exchequer has been estimated at Rs.418.69 crore, that is, Rs.198.69 crore in Non-Plan and Rs.220 crore for Plan expenditure. The additional burden is expected to be met through additional resource mobilization by way of better tax enforcement.

Now, I would like to reply to some of the issues raised by hon. Members. An issue has been raised by Shri Pashupati Nath Singh that compensation payment has not been made to farmers affected by drought. Compensation of Rs.304.11 crore has been sanctioned for payment. Out of this, the State Government’s share is Rs.138 crore. Steps have been initiated to release this amount. This amount will be released by the end of August, 2010.

Again, another issue was raised about the drought in the State. Out of 24 districts, 12 districts have been declared as drought-affected districts where rainfall in June and July was less than 50 per cent.

Several Members have raised the issue of Panchayat elections. I would like to inform them that the elections to the Panchayati Raj Institution have not been held for the last 30 years. The State Government is committed to hold the Panchayat elections by the end of this year. Necessary amendments in the State Panchayati Raj Act are being moved in the current Session of the Parliament.

Shri Shailendra Kumar and Shri Mahtab raised the issue of implementation of the Traditional Forest Dwellers Act of Jharkhand. So far, 8700 forest dwellers have been issued *pattas* over an area of 14,633 acres of forest land. The work is in progress. Shri Pashupatinath-ji has raised that no provision has been kept for drought. A provision has been kept for Rs.259.44 crore as per the13th Finance Commission's recommendations under the head 'Calamity Relief Fund'.

Several suggestions have also been made by hon. Members regarding developmental projects, about various schemes of Government of India. I have noted them and I will convey their issues and concerns to the State Government in due time.

With these words, I commend the Supplementary Demands for Grants for the fiscal year 2010-11 for the State of Jharkhand to the House for passing.

MR. DEPUTY SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (Jharkhand) for 2010-2011 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2011, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos.3,4,10,12,16 to 20, 22 to 24, 26, 27, 33, 35, 38 to 44, 47, 48 and 51."

The motion was adopted.

<u>15.22 hrs.</u>

JHARKHAND APPROPRIATION BILL, 2010*

1522 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the Services of the Financial year 2010-11.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the Services of the Financial year 2010-11."

The motion was adopted.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: I introduce** the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister may please move the Bill for consideration.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: I beg to move**:

> "That a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the Services of the Financial year 2010-11 be taken into consideration."

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 6.8.10

** Introduced and moved with the Recommendation of the President

> "That a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the Services of the Financial year 2010-11 be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: I beg to move:

"That the Bill be passed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.27 hrs.

NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2010

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the New Delhi Municipal Council Act, 1994, be taken into consideration."

The Bill proposes to amend certain provisions of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 with a view to revise the composition of the New Delhi Municipal Council (NDMC) and the procedure for presiding over the meetings of the Council.

The existing provisions of the NDMC Bill provides *inter alia* that there shall be three Members of the Legislative Assembly of Delhi, whose constituency fall fully or partly in the New Delhi areas, as members of the New Delhi Municipal Council. After delimitation of Assembly Constituencies in Delhi in the year 2008, only two such Assembly Constituencies fall within the New Delhi area, namely, the New Delhi Assembly Constituency and the Delhi Cantonment Assembly Constituency. As a result, only two Members of the Delhi Legislative Assembly can be members of the Council.

Further, the Estimates Committee of the 14th Lok Sabha had *inter alia* recommended that the Government should review the desirability of modifying composition of the Council for granting voting right at the Council meetings to the Members of Parliament representing the constituencies comprising wholly or partly the area under the jurisdiction of the NDMC.

Accordingly, it is proposed to revise the composition of the Council, necessitated by the delimitation of Assembly Constituencies in Delhi and also keeping in view the recommendations made by the Estimates Committee of 14th Lok Sabha.

In view of the proposed inclusion of the Member of Parliament as a member of the Council and other changes in the composition of the Council, it is further proposed to amend the NDMC Act to revise the procedure for presiding over the meetings of the Council.

The proposed amendments will rectify the imbalance created after delimitation of Assembly Constituencies and will ensure public representation in its true spirit and perspective.

With these words, Sir, I commend this Bill to this august House for approval.

MR. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the New Delhi Municipal Council Act, 1994, be taken into consideration."

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वर्ष 1993-98 तक मैंने विधान सभा का प्रतिनिधित्व किया था। पहले इसका नाम गोल मार्किट था, लेकिन अब नई दिल्ली हो गया है। यह एक अच्छा कदम है। पहले तीन विधायक इसके सदस्य थे, लेकिन डीलिमिटेशन के बाद दो हो गए हैं। संसद सदस्य इसमें स्पेशल इनवाइटी हुआ करते थे और उनके पास वोटिंग का कोई अधिकार नहीं था। यह दो कदम बहुत अच्छे हैं। इस क्षेत्र से वर्तमान में मुख्यमंत्री बनीं तो उनके लिए एक सदस्य के रूप में आना और काउंसिल के सदस्य के रूप में बैठना उचित नहीं था। यह भी अपने आप में बहुत अच्छा कदम है जो सरकार लेकर के आयी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्राइवेट मैम्बर संकल्प का समय हो गया है, आप बाद में कंटीन्यू कीजिएगा।

<u>15.31 hrs.</u>

MOTION RE: SEVENTH AND EIGHTH REPORTS OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTIONS

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No. 17, Shri Vijay Bahadur Singh.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR): Sir, I beg to move:

> "That this House do agree with the Seventh and Eighth Reports of the Committee on Private Members' Bill and Resolutions presented to the House on 30 July, 2010 and 4 August, 2010, respectively."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Seventh and Eighth Reports of the Committee on Private Members' Bill and Resolutions presented to the House on 30 July, 2010 and 4 August, 2010, respectively."

The motion was adopted.

15.32 hrs.

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

IDENTIFICATION OF FAMILIES LIVING BELOW POVERTY LINE AND WELFARE MEASURES FOR THEM -- contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Item No. 18, Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. राम मनोहर लोहिया की जन्मशताब्दी मनायी जा रही है। उस समय के विलंगटन और अभी के लोहिया अस्पताल में 30 सितम्बर से 12 अक्तूबर, 1967 को बैड पर कलेजा पीटते हुए कहा- डॉक्टर ऐसा आदमी खोजो जो करोड़ों की बात कहे, एक आदमी के लिए 12 डॉक्टर और हजारों के लिए डॉक्टर नहीं और ऐसा व्यक्ति खोजो, जो हजारों-करोड़ों की बात बोले, गरीबों की बात उठाए। यह प्रलाप डॉ. राम मनोहर लोहिया अपने अंतिम समय में अस्पताल में कर रहे थे।

महोदय, इस महान सदन में श्री महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश नारायण, डॉ. राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह वर्ष 2015 तक, टाइमबाउण्ड टारगेट, देश से गरीबी के उन्मूलन के लिए समयबद्ध ढंग से निम्नलिखित कदम उठाए। एक, सभी राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कुटुम्बों की पहचान करना। दो, ऐस प्रत्येक कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य को व्यावसायिक प्रशिक्षण और तत्पश्चात् लाभदायक रोजगार देना। तीन, ऐसे प्रत्येक कुटुम्ब जिन्हें लाभदायक रोजगार नहीं दिया गया है, को तीन हजार रूपये प्रतिमाह से अन्यून दर पर कुटुम्ब पेंशन देना और, चार, ऐसे कुटुम्बों के सभी बच्चों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क गुणवत्तप्रद शिक्षा देना।

15.34 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

सभापति महोदय, गरीबी के विषय में और गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है, मैं इसे बताना चाहता हूं। दक्षिण के कवि श्री तिरूवल्लूवर ने निरकुरल में उन्होंने दरिद्रता का उल्लेख किया है। नल हरबू, दरिद्रता, उस पर उन्होंने आज से दो हजार वर्ष पहले कहा था।"इन मईन इन नादू यादेनिन, इन माईन इन मइए।" हिन्दी में इसका तात्पर्य है- यदि पूछो दरिद्र सम दुखद कौन महान, तो दुखद दरिद्र सम दरिद्रता ही जान। दरिद्रता से बढ़कर कोई तकलीफ दुनिया में नहीं है, यह संत का कहना है। दूसरे में कहते हैं- इनमेय अयन औरू पावी मरू मयूम इममयूम इंडी वरू। हिंदी में इसका तात्पर्य है- निर्धनता की पापनी यदि रहती है साथ, लोक तथा परलोक से धोना होगा हाथ। जिस परिवार में निर्धनता है, उसका लोक-परलोक सब खत्म हो गया। मतलब इतना और इसी तरह से है। आज से दो हजार वर्ष पहले उन्होंने आगे भी इसी तरह से दस दोहों में गरीबी के संबंध में वर्णन किया है कि गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है। जो परिवार गरीब है, उसकी क्या हालत है, उसका निवारण कैसे होगा? आज से दो हजार वर्ष पहले एक कवि का कहना है, भक्त कवि विद्यापति हुए थे। उनकी यह पंक्तियां हैं - कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, दुख ही जनम वेल, दुख ही जियाउल सुख सपनोहु नहीं भेल हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। वे शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, कवि की वाणी में यह पंक्तियां स्पष्ट करती हैं कि दुख और विपती से कितने लोग तबाह हैं, कहते हैं कि जन्म से लेकर अंत तक दुख ही दुख है, सुख सपनो नहीं भेल, यह कवि विद्यापति ने कहा।

सभापति महोदय, रामचरित मानस में तुलसी दास जी ने कहा - नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बढ़ कर के कोई तकलीफ नहीं है, रामचरित मानस में कहा गया है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि स्वानो को मिलता दूध-भात, भूखे बच्चे इठलाते हैं, हटो व्योम से मेघ पंथ, हम स्वर्ग लूटने आते हैं। मतलब, गैर विषमता और गैर बराबरी पर राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है। कविवर गोपाल सिंह नेपाली, जिनका शताब्दी समारोह कलाकार, साहित्यकार और जानकार लोग देश में मनाएंगे या मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिन गए, वर्ष गए, यातना गई नहीं, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रहीं। श्याम की बंसी बजी, राम का धनुष चढ़ा, बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, निर्धनता गई नहीं। कवि की वाणी में कहा गया है कि दिन गए, वर्ष गए, हजारों-लाखों साल बीत गए, हम दावा करते हैं, लाखों वर्ष की हमारी संस्कृति है। देश में आर्य, अनार्य और द्रविड़ आदि संस्कृति का विकास हुआ। वेद, पुराण एवं ग्रंथ आदि सभी के बाद भी रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रहीं। श्याम की बंसी बजी,

मुरली वाले आए, भगवान कृष्ण आए, धनुषधारी राम आए, बुद्ध ज्ञानी आए, बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, लेकिन निर्धनता गई नहीं। गरीबी बनी हुई है और गरीबी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि गरीबी बनी हुई है, गरीबी कैसे हटेगी? गरीबी का वर्णन कवियों के कहने के मुताबिक हमने स्पष्ट किया, पुराने कवि, जो जनवाणी, लोगों की पीढ़ा और व्यथा को अपनी कविता में कहते हैं, उनकी कविता में कहा गया है। इसलिए हम लोगों को इस महान सदन में विचार करना है। इसलिए कहा गया है कि टाइम बाउंड टारगेट, सन् 2015 तक यह संकल्प हो, गरीबी हटाने की बात मैं कोई नयी नहीं उठा रहा हूं। सन् 1973-74 में गरीब कौन है, गरीबी रेखा के नीचे कौन है, यह सवाल उठाया गया था। एक नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन है, उन्होंने कुछ आकलन किया। अर्थशास्त्री लोगों ने आकलन किया कि इस तरह के लोगों को भी गरीबी रेखा से नीचे कहा जाए। फिर इंटेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, उसमें भी विश्लेषण हुआ, कुछ सूचियां बनीं कि गरीब कौन है। उसके बाद आठवीं योजना में सन् 1992 से लेकर सन् 1997 तक प्रति परिवार की कितनी आमदनी होगी, उसके हिसाब से आकलन किया गया। सन् 1997 से सन् 2002, नौवीं योजना में एक लकड़ावाला कमेटी बैठी थी, कितना कंजम्शन है, कितनी कैलरी होगी, उस आधार पर कुछ आकलन हुआ। उसके बाद दसवीं योजना में 13 प्वाइंट्स पैरामीटर्स सोश्यो इकोनोमिक स्टेटस उस परिवार का क्या है, उसका सर्वे सन् 2002 में हुआ।

सभापति महोदय, उसके हिसाब से 13 पैरामीटर्स में जिसके सबसे कम अंक आएंगे, वह गरीब माना जाएगा, यह तय हुआ था। आठवीं, नौवीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं मे अलग-अलग मापदंड अपनाए गए। यह भी तय हुआ था कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर, यानी 11वीं योजना के प्रारम्भ में यह तय किया जाएगा कि गरीबी की रेखा से नीचे कौन-कौन हैं। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में कहा है कि किसी भी राज्य में बी.पी.एल. की कोई सूची ठीक नहीं है। गांव में जाइए तो एक तरफ से एक परिवार आएगा कहेगा कि हमारा नाम तो बी.पी.एल. सूची में नहीं है। दूसरी तरफ से एक गरीब आदमी आएगा, वह कहेगा कि हमारा नाम न बी.पी.एल. सूची में है और न ए.पी.एल. सूची में है। तीसरे तरफ से अत्यन्त गरीब परिवार का भूमिहीन आदमी आएगा, वह कहेगा कि हमारे तो 15 नंबर लिख दिए हैं, कोई कहेगा कि हमारे तो 13 नंबर लिख दिए हैं। बी.पी.एल. का ए.पी.एल. में और ए.पी.एल. का बी.पीएल. में लिख दिया गया है और वास्तव में देखा जाए, तो न कहीं बी.पी.एल. है और न ए.पी.एल. है। इसमें इतने बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी है, जिसका वर्तमान में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है।

हमारे माननीय सांसद अपने इलाकों में जाते होंगे, उनके सामने भी ये सभी समस्याएं आती होंगी। हम जाते हैं, हमें गरीब आदमी मिलता है, वह कहता है कि हमारा इंदिरा आवास योजना में नाम ही नहीं है। हम कहते हैं कि मुखिया जी या सरपंच साहब, इनका इंदिरा आवास योजना में नाम क्यों नहीं डाला या बी.पी.एल. में क्यों नाम नहीं लिखा? वह कहता है कि कंप्यूटर ने काट दिया। इस प्रकार की हेरा-फेरी हो रही है। इस प्रकार की पीड़ा गांवों के लोगों की है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। बी.पी.एल. सूची दुरुस्त नहीं है। इसीलिए संकल्प के खंड-एक में कहा गया है कि गरीबी हटाने के लिए सबसे पहले बी.पी.एल. परिवारों की सूची दुरुस्त होनी चाहिए, तभी टाइम-बाउंड यानी काल-बद्ध योजना होगी कि इन सब परिवारों की किस प्रकार से सहायता की जाए या किस प्रकार की व्यवस्था की जाए, जिससे से गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें।

महोदय, मैं देख रहा हूं कि देश में नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन अपने सर्वे के 61वें और 62वें राउंड कर रहा है। वह सर्वे करता ही रहता है और बताता रहता है और दूसरा प्लानिंग कमीशन है। अभिजीत सेनगुप्ता की एक कमेटी बैठी। उस कमेटी का कहना है कि देश के 77 प्रतिशत लोगों को प्रति दिन 20 रुपए से कम खर्च कर के ही अपना गुजारा करना पड़ता है। इसका मतलब है कि देश के 77 फीसदी लोगों की जिंदगी 20 रुपए या इससे कम प्रति दिन खर्च करने पर ही चल रही है। अभिजीत सेनगुप्ता अर्थशास्त्री हैं और सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी है। वह कोई हमारी कमेटी नहीं है। वह सांसदों की कमेटी नहीं है। फिर सुरेश तेन्दुलकर हैं, जो प्रधान मंत्री के अर्थ सलाहकार हैं। उनका कहना है कि देश के 37 फीसदी परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं। उसके बाद, एक सक्सेना कमेटी है। उसने कहा कि 50 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इस प्रकार एक कहते हैं 77 फीसदी, दूसरे कहते हैं 50 फीसदी और तीसरे कहते हैं 37 फीसदी। इससे क्या समझा जाए? यह पहले से ही तय है कि पंचवर्षीय योजना के शुरू में ही बी.पी.एल. परिवारों का सर्वेक्षण हो जाएगा कि कौन-कौन से परिवार बी.पी.एल. की सूची में आते हैं।

महोदय, जिस सरकार के समय में बी.पी.एल. के परिवारों की सूची तैयार नहीं हो सकी और दुरुस्त नहीं हो सकी, उस सरकार से गरीबी हटाने की क्या, गरीबी घटाने की भी हम आशा कर सकते हैं? यह सवाल में सदन में उठा रहा हूं। जो केन्द्र सरकार, जो राज्य सरकारें बी.पी.एल. की सूची दुरुस्त नहीं कर सकीं, वे सरकारें देश से गरीबी कैसे हटाएंगी? वह सरकार गरीबी हटाने की बात तो छोड़ दीजिए, वह गरीबी को हिला भी नहीं सकती, घटा भी नहीं सकती और रोक भी नहीं सकती। मेरा कहना है कि गरीबी बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि मेरे इस निष्कर्ष को कोई काट नहीं पाएगा। बी.पी.एल. की सूची आप तैयार नहीं करा पाए, जबकि चार-पांच कमीशन आपने बैठा दिए। योजना आयोग कुछ बोल रहा है, सुरेश तेन्दुलकर

कमेटी कुछ बोल रही है, सक्सेना कमेटी कुछ बोल रही है, नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन कुछ और ही बोल रहा है। ये सब आपके बनाए हुए हैं, यानी केन्द्र सरकार के बनाए हुए हैं। ये संसदीय समितियां, कमेटिया या कमीशन नहीं हैं। वे सब रंग-बिरंगी बात बोल रहे हैं। गांवों में लोग घबराए हुए हैं, कांप रहे हैं और कह रहे हैं कि संसद से हमें कुछ न्याय मिले, हमारा कुछ उपाय हो, हमारा बी.पी.एल. सूची में नाम डाला जाए, क्या उपाय होगा, क्या करना पड़ेगा? इसीलिए संकल्प के खंड-एक में कहा गया है कि बी.पी.एल. की सूची को दुरुस्त करने का काम होना चाहिए। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि बी.पी.एल. की सूची को दुरुस्त करने का काम अभी तक क्यों नहीं किया गया? हम सरकार पर ऐसा करने के लिए आपराधिक लापरवाई का इल्जाम लगाते हैं। इसे कोई काटे?

क्यों नहीं सूची तैयार हुई और क्यों आप विभिन्न कमीशनों को बैठाकर अंधकार में सदन को और देश के लोगों को रख रहे हैं और गरीबों के भविष्य से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? इसमें राष्ट्रकवि दिनकर की एक पंक्ति है:

‘हो गया एक नेता मैं भी, तो बन्धु सुनो,
मैं भारत की रेशम नगरी में रहता हूं, (रेशम नगरी दिल्ली को कहते हैं।)
जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती है,
मैं चांदनी का बोझ किस विधि सहता हूं।’

महोदय, हम लोगों पर कितना भारी कटाक्ष और इल्जाम है कि जनता चट्टान से दबी हुई है और हम लोग ए.सी. में बैठे हैं। कविवर गोपाल सिंह नेपाली ने क्या कहा:

जब चन्द्र किरण से महलों की दीवार चमकती रहती है,
चांदनी झोंपड़ी से लिपट, भर रात सिसकती रहती है।

यह विषमता का और गरीबी का इतना बड़ा चित्रण कवियों ने किया है। फिर अन्त में राष्ट्रकवि दिनकर ने क्या कहा:

होश करो, दिल्ली के देवो, होश करो,
सब दिन तो यह मोहिनी न चलने वाली है,
होती जाती है, गर्म दिशाओं की सांसें,
मिट्टी फिर कोई आग उगलने वाली है।

इस सदन में इस देश की जो सरकार बी.पी.एल. सूची तैयार नहीं कर सकती, सरकार बताये कि बी.पी.एल. सूची के तैयार करने में क्या हुआ है? क्यों नहीं हुई, क्यों विलम्ब हुआ? 11वीं योजना का 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, यह चौथा साल चल रहा है और बी.पी.एल. की सूची दुरुस्त नहीं हो सकी, तैयार नहीं हो सकी। विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट पड़ी हुई हैं। कहां पर अर्थशास्त्री,

समाजशास्त्री, ज्ञानी-विज्ञानी और मैनेजमेंट-प्रबन्धक लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं? इसीलिए मैं तीव्र रोष प्रकट करता हूं कि क्यों नहीं अभी तक बी.पी.एल. की सूची तैयार हुई। माननीय सदस्य अपनी पीड़ा से ग्रसित होंगे, अपने इलाके में जब विभिन्न गरीब परिवार आकर कहते होंगे कि हम निर्धन हैं, भूमिहीन हैं, लेकिन बी.पी.एल. में हमारा नाम नहीं है, हमें इन्दिरा आवास नहीं मिलेगा और बूढ़ा-बूढ़ी पैंशन नहीं मिलेगी, विधवा पैंशन नहीं मिलेगी, राजीव गांधी योजना में मुफ्त में विद्युत कनैक्शन नहीं मिलेगा, उसको अनाज नहीं मिलेगा, जो लाल कार्ड, पीला कार्ड पर पी.डी.एस. है, ईलाज बी.पी.एल. पर है, ये सारी योजनाएं बी.पी.एल. पर आधारित हैं, इसलिए एक त्रुटि के चलते, एक कसूर, एक कुव्यवस्था और एक ढिलाई के चलते जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और गरीबों के हित के लिए कार्यक्रम हैं, बिना बी.पी.एल. सूची के आधार पर नहीं हो सकते। इसलिए गरीबों के खिलाफ कितना भारी खतरनाक काम हो रहा है और हुआ है, कोई वर्णन करे, कोई कहे कि हम फालतू जबरदस्ती बोल रहे हैं, नहीं-नहीं, महोदय, गरीब आदमी वहां ताक रहा है कि हमारे लिए उस महान सदन में क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा नाम बी.पी.एल. में नहीं है, हमको कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ लोग वहां बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकार से कैटेगोरिकली मैं पूछता हूं कि कितने दिनों में बी.पी.एल. सूची तैयार करोगे और अभी तक क्यों तैयार नहीं हुई, यह सवाल हम उठाना चाहते हैं?

सवाल नम्बर दो-अब गरीबी हटाने का उपाय क्या है, गरीबी मन्तर से हटाई जा सकती है? हम लोगों के यहां दिवाली के दिन सांझ से लोग कहते हैं, उरम् ब्रह्म लक्ष्मी आवे, दरिद्र भागे, नारा लगाते हैं, लक्ष्मी आवे, दरिद्र भागे, लक्ष्मी अन्दर, दरिद्र बाहर और सुबह में, भोर में संटी लेकर सूप-डगरा पीटकर महिलाएं, मां-बहनें, दादी-बूढ़ी, आंगन-बाड़ी, कोन्हा-सानी, बाड़ी-झाड़ी सब में घूम-घूमकर लक्ष्मी अन्दर, दरिद्र बाहर, यह कहती हैं। हजारों वर्षों से यह हो रहा है, विभिन्न इलाकों में विभिन्न ढंग से लोग लक्ष्मी को बुलाने का, गरीबी भगाने का, दरिद्र हटाने का मन्तर पढ़ रहे हैं। नहीं-नहीं, महोदय, मन्तर से, नारा लगाने से और बयान से, बोली से गरीबी नहीं हट सकती, न घट सकती, न विषमता मिट सकती, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यह भी मैं बताता हूं। डा. लोहिया कहते थे, निर्गुण नहीं सगुण, सगुण करो। निर्गुण और छायावाद से देश का भला होने वाला नहीं है। सगुण से भला होने वाला है। सगुण में यह है कि गरीबी क्यों है, इसलिए कि बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी हट जाए तो गरीबी भाग जाएगी। उदाहरण के तौर पर कोई एक गरीब है, अगर उसके घर में किसी एक लड़के को नौकरी मिल जाए, तो उसके घर से गरीबी हट जाती है। संपन्नता का कोई अंत नहीं है, आगे वह अपनी तरक्की करता रहेगा। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई जो पांच मूलभूत आवश्यकतायें हैं,

जिस परिवार के लिए इन पांचों चीजों की व्यवस्था है, वह परिवार बीपीएल से ऊपर है। जिनको पांच में पाचों नहीं हैं, वह अति दरिद्र है, तीन नहीं है तो अति दरिद्र है, कोई एक है चार है, कोई दो है तीन नहीं, कोई तीन है दो नहीं, कोई चार है एक नहीं, इस तरह से रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई के हिसाब से उनका आकलन हम कर सकते हैं। यदि गरीब के यहां परिवार के किसी एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाए या मैं यह कहूं कि कम से कम तीन हजार रूपए, ज्यादा नहीं, टाटा या बिड़ला उसको हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन कम से कम तीन हजार रूपए महीने उसको मिल जाएं और अतिरिक्त उपाय के तौर पर एडीशनल इन्कम हो जाए, तो उसकी गरीबी हट जाएगी। कोई भी आकलन देश में किया जाए, हमारे यहां पांच-छः करोड़ लोग या परिवार से अधिक बीपीएल नहीं होंगे, जिनको हमें रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई की व्यवस्था देनी है। क्यों नहीं इस देश के सभी लोग मिलकर यह संकल्प करते हैं कि एक करोड़ नहीं तो पचास-साठ लाख ही सही, प्रतिवर्ष इतने लोगों को हम बीपीएल से एपीएल बनायेंगे? यह 6-7 वर्षों से ज्यादा की योजना नहीं है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हम एक प्रतिशत गरीबी हर साल हटा देंगे। जैसे कि गरीबी को पचास वर्षों तक रखना है। अब हम इतने दिन धैर्य रखने को तैयार नहीं हैं।

महोदय, आप देख रहे हैं कि उग्रवाद से ज्यादा जिले प्रभावित हो रहे हैं, मारकाट से, हिंसा से, आतंकवाद से प्रभावित हो रहे हैं। इन सब की जड़ में मूलतः ज्यादातर बेरोजगारी की समस्या है। जम्मू-कश्मीर के एक लड़के को जब तीन हजार रूपए महीने पर नियुक्ति पत्र दिया था, वह लड़का भाषण कर रहा था कि मेरे पास कोई उपाय नहीं था, जीने का जरिया नहीं था, बहन की शादी भी नहीं हुयी है, आतंकवाद में नाम लिखाने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। केवल तीन हजार रूपए के महीने पर हमारी नौकरी हो गयी है, हम उसी से अपनी जिंदगी नैय्या खेवेंगे, परिवार का भी भरण-पोषण कर लेंगे और जी लेंगे और इस तरह आतंकवाद से हम बच जाएंगे। उस लड़के का बयान हमें बराबर याद आ रहा है। आतंकवाद, उग्रवाद, वामपंथ उग्रवाद सभी के जड़ में प्रमुखता से बेरोजगारी है, कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण गरीबी है। गरीबी इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी है। आप बेरोजगारी हटाइए, तब गरीबी हटेगी और तब समस्या का समाधान होगा। अगर गरीबी नहीं हटा सकते हैं, हर परिवार में एक को काम नहीं दिया जा सकता, तो यह बताइए कि दिल्ली में मेट्रो के लिए तीस हजार करोड़ रूपए कहां से आ गए? कामन वेल्थ गेम्स में लूट हो रही है। कई हजार करोड़ उसमें खर्च हो गए। इसके बारे में बताया जाए। यह बेईमानी गरीबों के साथ अन्याय है या नहीं कि उसकी सूची तैयार नहीं हुयी। आप कहते हैं कि हमारी बहुत आर्थिक ग्रोथ रेट हो रही है, लेकिन यह एकाउंट ग्रोथ है। 8-9 पर्सेंट की ग्रोथ रेट सब असत्य है, यदि गरीबी और बेरोजगारी बनी हुयी है। एक जॉबलेस ग्रोथ असत्य है, गरीबों के साथ अन्याय है। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं है?

महोदय, हमने खंड दो में कहा है कि पहले आप बीपीएल को आइडेंटिफाई करिए, फिर टाइम बाउंड तरीके से, एक साल में चालीस लाख, पचास लाख, सत्तर लाख जो भी कर सकें, देश और दुनिया भर में पता लगाइए कि कहां पर कैसे लोगों की जरूरत या मांग है? उस तरीके की तीन, चार या छः महीने की ट्रेनिंग बीपीएल परिवार के एक लड़का या लड़की को देकर उसका प्लेसमेंट करा दीजिए।

उन्हें कम से कम तीन हजार, चार हजार, पांच हजार रुपये महीने दीजिए। यदि ऐसा हो जाएगा तो उसकी गरीबी हट जाएगी। इस कालबद्ध कार्यक्रम के हिसाब से सब सोचें। सबसे पहले मन बनाएं, संकल्प करें और दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि गरीबी हटानी है। धोखा-धड़ी से नहीं, आधे मन से नहीं, बल्कि ईमानदारी के कार्य करने चाहिए। मैं इसमें बहुत ऊंचा दर्शन नहीं जानता और न ही कहने वाला हूं, यह साधारण है। कोई अर्थशास्त्री, समाज शास्त्री, वैज्ञानिक, ज्ञानी, ध्यानी बताए कि इसमें कोई बढ़ा-चढ़ाकर बात है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार दे दीजिए। देश, प्रदेश और विदेश में जैसी जरूरत है, उसी तरह की कम से कम तीन महीने की ट्रेनिंग दिलवाकर उसका टाइम बाउंड प्लेसमैंट करवाइए। इस पर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। इसे कैलकुलेट किया हुआ है। इसमें सवा दो लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा और देश से गरीबी हट जाएगी, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, हमने वर्ष 2015 तक दिया है। 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15, पांच वर्ष बचे हैं। यदि सरकार में संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति हो और गरीबों के प्रति न्याय करने का मन हो, तो सब कुछ हो सकता है।

न्याय करो तो आधा दो, उसमें भी कहीं बाधा हो,
दे दो केवल पांच ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम।
हम इसी में सुख से खाएंगे, आशीष सहित खुशी मनाएंगे।

मैं टाटा, बिरला और देश की हिस्सेदारी देने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उनके लिए तीन हजार रुपये की नौकरी देने के बारे में उपाय किया जाए।...(व्यवधान) नहीं तो फिर याचना नहीं जंग होगी, जीवन जाए या मरण होगा। मैं भारी संघर्ष और लड़ाई के बारे में पहले से बता रहा हूं। इस बारे में योजना बनाई जानी चाहिए। एक योजना बनाई गई है, बनाकर आए हैं। इस प्रकार वर्ष 2015 तक गरीबी हटेगी।

दूसरा, यदि आप इम्प्लॉयमैंट और प्लेसमैंट नहीं देते तो आप गरीब के शत्रु हैं। आप गरीबी हटाना नहीं चाहते, घटाना भी नहीं चाहते, गरीब की सहायता नहीं करते। यदि बैंकों और स्वयं सहायता समूह मूवमैंट के जरिए टाइम बाउंड स्व-रोजगार की व्यवस्था नहीं करते, तो मैं मानूंगा कि आप गरीब व्यक्ति के शत्रु नम्बर दो हैं। रोजगार गारंटी के तहत वेज इम्प्लॉयमैंट दिया गया। एक वेज इम्प्लॉयमैंट है और दूसरा सैल्फ इम्प्लॉयमैंट है। यदि वेज इम्प्लॉयमैंट दिया जाए तो सौ रुपये रोज के हिसाब से सौ दिन के दस हजार रुपये

के लगभग हो गए। लेकिन उसे 36 हजार रुपये चाहिए। 26 हजार रुपये एडिशनल इनकम कैसे होगी। इसलिए तीन हजार रुपये महीना अतिरिक्त आमदनी का उपाय किया जाए। इसके लिए यदि उस घर के लड़के, लड़की, महिला किसी को भी सैल्फ हैल्प ग्रुप मूवमैंट, बैंकों की सहायता से, मार्किटिंग व्यवस्था करके बड़े पैमाने पर इंतजाम नहीं किया जाता कि कोई परिवार बीपीएल से अलग नहीं रहेगा, सबके लिए समयबद्ध कार्यक्रम के मुताबिक करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। उनके लिए इम्प्लॉयमैंट अथवा सैल्फ इम्प्लॉयमैंट होना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम देश के साथ, गरीब लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

15.58 hrs.

(Dr. Girija Vyas in the Chair)

इसीलिए गरीबी, बेरोजगारी हटाने के फार्मूले के बारे में देश और दुनिया में पता लगाइए कि किस प्रकार की डिमांड है। उस तरह की तीन या छः महीने की ट्रेनिंग देकर प्लेसमैंट करवाया जाए या सैल्फ इम्प्लॉयमैंट, सैल्फ हैल्प ग्रुप मूवमैंट, प्रोडक्ट की मार्किटिंग की व्यवस्था आदि इंतजाम नहीं किये जाते तो माना जाएगा कि लोग गरीब व्यक्ति के दुश्मन हैं और गरीबी हटाना नहीं चाहते।

16.00 hrs.

यथा स्थितिवादी हैं और कहते हैं कि खर्च करो, नक्सली एरिया में खर्च करो। क्या अब खर्च होगा, गरीब व्यक्ति को मिलेगा? वहां लेवी वसूली हो रही है। रिपोर्ट आ रही है कि लेवी वसूली हो रही है। सब पैसे जायेंगे, तो नक्सली लोग मालामाल हो जायेंगे। इसलिए सैल्फ इम्प्लायमैंट, इम्प्लायमैंट देकर गरीबी हटाने, बेरोजगारी हटाने का काम होना चाहिए। यह दूसरा सुझाव है। जिस परिवार को नौकरी नहीं मिली, सैल्फ इम्प्लायमैंट नहीं मिला, उसे तीन हजार रुपये महीना पैंशन दीजिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि खजाने में गरीब का हिस्सा है या नहीं? लोगों को पंचम वेतन आयोग, छठम वेतन आयोग, डीए आदि सब मिलता है, लेकिन जिसकी मजदूरी से, मेहनत से देश का खजाना चलता है, उसे कुछ नहीं मिलता। जो नौकरी करते हैं, उन्हें आप सब कुछ देते जाइए, लेकिन गरीब आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है, वह आपका गैस, पानी नहीं लेता और पत्ते से भोजन बनाता है, उसका देश मे हिस्सा है या नहीं? वह होम स्टेट लैंडलैस है। उसके पास घर बनाने के लिए एक धुर जमीन भी नहीं है। वह कैसे समझेगा कि हिन्दुस्तान हमारा भी है। जिसके पास रहने के लिए एक बित्ता जमीन भी नहीं है, वह क्यों मानेगा कि हिन्दुस्तान हमारा है? वह होम स्टेट लैंड लैस है। देश में 40 से 45 लाख परिवार ऐसे हैं जो होम स्टेट लैंड लैस हैं। उनके पास एक धुर जमीन नहीं है। उनको इंदिरा आवास भी नहीं मिलेगा। उनको कहा जायेगा कि आवास के लिए जमीन नहीं है,

इसलिए तुम्हें नहीं देंगे। जो गरीब आदमी है, जिसे आप रोजगार नहीं दे सके, जिसे सैल्फ इम्प्लायमैंट नहीं दे सके, जिसकी कोई सहायता नहीं हो सकती, उस परिवार को आईडेंटिफाई करके तीन हजार रुपये महीना देना चाहिए। क्या इतना देने से खजाना खाली हो जायेगा? हम जानते हैं कि जो लोग बैठे हैं, इसी देश में दुनिया के अरबों-खरबों पति धन-पशुओं से आगे हो गए हैं, लेकिन गरीबों का क्या हाल है? इकोनामिक ग्रोथ क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है? यह गरीबों के साथ छल है, अन्याय है, धोखा है। खजाने में उसका हिस्सा नहीं है। इसलिए उसे ट्रेनिंग देकर रोजगार देना चाहिए या सैल्फ इम्प्लायमैंट देना चाहिए, नहीं तो पैंशन देनी चाहिए। इन तीनों में से कोई न कोई काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो माना जायेगा कि ये लोग गरीबी बढ़ाने वाले हैं, गरीबी हटाने और घटाने वाले नहीं हैं। ये गैर-बराबरी बढ़ाने वाले हैं, मिटाने वाले नहीं हैं। इसलिए बेरोजगारी हटाने के बारे में यह सब कुछ होना चाहिए।

अंत में, मैं बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान) हम आधार बना देते हैं। ...(व्यवधान) मैंने तीन प्वाइंट का वर्णन कर दिया है, अब चौथा प्वाइंट शिक्षा के बारे में बताऊंगा। गरीब आदमी के परिवार के बच्चों के लिए ब्लाक में, पंचायत में जुटाकर पढ़ाने, होस्टल आदि बढ़िया शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए। उन्हें अभी जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। श्री मैकाले ने ब्रिटेन की पार्लियामैंट में भाषण किया था कि हम इस तरह की शिक्षा नहीं देंगे जिससे वहां के लोग अंग्रेजी पढ़कर गुलामी और किरयानागिरी खोजता रहेगा। यह उनका वहां का भाषण है। उसी तरह से अभी कहते हैं कि हम शिक्षा में तरक्की करवा रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान चलाया जाता है। हमारा कहना है कि स्कूल में 12 लाख मास्टरों की कमी है। पहले 22 लाख मास्टरों की कमी थी। उस कमी की पूर्ति कैसे की गई है? मित्रवर, परम टीचर बहाल कर रहे हैं। बिना पढ़े-लिखे उन्हें बहाल कर दिया। वह पढ़ाई कराते हैं। गांवों में गरीबों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वे कैसे पढ़ेगें। ...(व्यवधान) गरीबों के बच्चे ऐसे स्कूलों मे पढ़ते हैं जबकि बड़े आदमी के बच्चे पांच हजार, आठ हजार, दस हजार और बीस हजार रुपये महीना देकर दून स्कूल, प्रिंसेज स्कूल आदि में पढ़ते हैं। मेयो स्कूल, बॉम्बे स्कूल, रंग-बिरंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चों का क्या होगा? उनके स्कूलों में तुमने मास्टर कैसे नहीं रखा? जो मास्टर भी रखा, तो पैरा-टीचर रखा, जिसकी योग्यता नहीं है, योग्यता पता नहीं है। इस तरह से गरीबों के साथ छल नहीं होना चाहिए। डा. राम मनोहर लोहिया, जिनका जन्म शताब्दी समारोह सम्पन्न हुआ है, ने कहा है कि चाहे राष्ट्रपति या हो...* की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। यही होना चाहिए, लेकिन यहां कांवेन्ट स्कूल, बड़े और कीमती स्कूलों में बड़े लोगों के बच्चे पढ़ेंगे

* Not recorded.

और आम आदमी, गरीब के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे जहां छप्पर नहीं है, किसी की दीवार ही नहीं है, किसी में मास्टर ही नहीं है, ब्लैकबोर्ड नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : जो भी अनपार्लियामेंटरी शब्द बोला गया है, उसे एक्पंज कर दिया जाए। आपका सन्दर्भ दूसरा था, लेकिन उस शब्द को एक्सपंज कर दिया जाए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : कानून में यह बात है कि राष्ट्रपति का नाम लेकर भाषण को असरदार नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यह तो हम लोगों का नारा था। ...(व्यवधान) हमारा भाव है कि गरीबों के बच्चों की पढ़ाई और देश के बड़े आदमियों के बच्चों की पढ़ाई एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर ए.सी. वाला स्कूल है, बच्चे को लेने के लिए ए.सी. वाली बस आती है और उधर हमारे गरीब आदमी के बच्चे के लिए स्कूल में छप्पर ही नहीं है, मास्टर ही नहीं है। वहां 1000 पढ़ने वाले बच्चों के लिए दो मास्टर हैं और उन मास्टरों को भी जनगणना के काम में लगा दिया जाता है, पढ़ाई ही बंद रहती है, चौपट रहती है। यह हालत है गांव के स्कूलों की। इसीलिए जो बीपीएल परिवार के बच्चे हैं, उन सभी को हॉस्टल बनाकर अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई दिलानी चाहिए, तब युग बदलेगा, तब देश बदलेगा और तब भारत बनेगा, नहीं तो गैर-बराबरी और विषमता की जो खाई बढ़ती जा रही है, वह देश की एकता के लिए बड़ा खतरा है। शांति पर भारी खतरा है। इसीलिए यह संकल्प पारित किया जाए और सरकार इसे लागू करे। अपना माथा चौड़ा करे, अपने दिमाग का विस्तार करे और गरीबी हटाने की तरफ सरकार यह संकल्प करे कि इसे मैं कालबद्ध ढंग से करेंगे और सदन को विश्वास में लेकर आगे बढ़ेंगे। जिससे यह देह पूरा अंगार अरे, पूंजी सी जल जाएगी, मानवता की काली बिन्दी, छार-छार हो जाएगी।

इसलिए महोदया, इसको करना है, इसी के लिए यह संकल्प आया है और माननीय सदस्यों की इसमें बड़ी रूचि है और देश के करोड़ों गरीबों के लिए यही ठोस उपाय है, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अन्यथा संघर्ष ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, जब जात तोड़, जब पांत तोड़, जब फौज यह हल्ला बोलेगा, मानेगा नहीं जो चाहेगा सो ले लेगा, देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी है।

MADAM CHAIRMAN : Resolution moved:

"This House expresses its serious concern over the plight of persons living below poverty line and urges upon the Government to take the following steps in a time bound manner to eradicate poverty from the country by the year 2015:-

(i) identify the families living below poverty line in all the States;

(ii) provide vocational training and thereafter gainful employment to atleast one member of every such family;

(iii) provide family pension at the rate of not less then rupees three thousand per month to every such family, where gainful employment is not provided to any member of that family; and

(iv) provide quality education up to senior seceondary level to all children belonging to such families, free of cost."

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं, लेकिन कोई भी प्रस्ताव निर्गुण होता है। उसको सगुण बनाने के लिए जब किसी ठोस कार्यक्रम की बात नहीं होती है, तो निर्गुण से लाभ नहीं मिलता है। जो बात वह कह रहे हैं, मैं उस पर आता हूं कि इसके लिए संसाधन आएगा कहां से और जो कोई इस देश में कहते हैं कि संसाधन का अभाव है, मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस देश में संसाधन का अभाव नहीं है, बल्कि दृष्टि और इच्छाशक्ति का अभाव है।

कबीरदास जी ने कहा था - जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लगा काई तो दरस कहां से पाई। अगर हम इस देश के उस निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, उपहासित वर्ग के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाना चाहते हैं, उन्हें भी मानवता के साथ समता और समरसता के समाज में जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने आपको बदलना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि केवल सरकार के करने से यह होगा। अगर हम इस बात को कहें कि सरकार के करने से यह हो सकता है तो सभी पार्टियों की सरकारें यहां आई हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। इसलिए नहीं निकल पाया कि जब तक राष्ट्र की इच्छाशक्ति मजबूत नहीं होगी, समाज की इच्छाशक्ति मजबूत नहीं होगी और भारत की संसद, भारत के विधान मंडल, भारत के नौकरशाह जब तक अपने को रूपांतरित नहीं करेंगे, तब तक नए समाज का जन्म नहीं हो सकता।

महोदया, मैं कल प्रणब दादा का भाषण सुन रहा था। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने बड़े अच्छे-अच्छे तर्क अपने भाषण में दिए थे। जब दादा बोल रहे थे, तो उनके तर्कों को काटते नहीं थे। कहते थे कि अपनी जगह पर आपका तर्क भी सही है, लेकिन आज की तारीख में इसका यह विश्लेषण है और इसका यह अर्थ भी निकलता है। मैं बहुत आनंद ले रहा था कि एक विद्वान के तर्क पर एक विद्वान अर्थशास्त्री और वित्त मंत्री कैसे एक-दूसरे के तर्कों पर चर्चा कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। वह भी आनंद ले रहे थे और उन्होंने जवाब भी दिया। मुझे भी आनंद आ रहा था, जब यशवंत जी बोल रहे थे तब भी मैंने ताली बजाई और जब प्रणब बाबू बोल रहे थे, तब भी मैंने तालियां बजाईं, क्योंकि दोनों अपनी-अपनी दृष्टि से सही थे। सत्य तब निकलता है जब हम पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। उसी बीच में जब वह बोल रहे थे, तो हमने आवाज उठाई सांसद निधि कोष का क्या होगा। उस समय सम्पूर्ण सदन के सदस्यों की एक राय थी, एक दृष्टि थी। उसीतरह, जिस दिन इस संसद के सभी सांसद एक साथ खड़े हो जाएंगे कि भारत से गरीबी को मिटाना है, समता समाज लाना है, राष्ट्र को बलवान बनाना है, उस दिन राष्ट्र का रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि संसद इस मामले में कभी इकट्ठी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि जब हम इस ओर

बढ़ेंगे, तब हम लोग गाली देने लगेंगे कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने कितना खाया, तुमने कितना गरीब का खून चूसा। इस उलझन में हम लोग लग जाते हैं। इसीलिए हम इस बात की ओर बढ़ें।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस देश में नौकरशाह हैं। उनके चौथा, पांचवा और छठा वेतन आयोग बनता है। इससे उनके वेतन में बढ़ोत्तरी होती है, सुख में वृद्धि होती है, सुविधा बढ़ती है। इसलिए जब-जब महंगाई बढ़ती है, तब-तब महंगाई भत्ता भी बढ़ता है और उनके वेतन में इजाफा होता है। सरकार का खजाना लुटता है, लूटने वाले के पॉकेट में जाता है। इसलिए महंगाई की मार को वह क्या जाने कि महंगाई क्या होती है। इसलिए इस देश में एक सुविधाभोगी वर्ग है, समृद्ध वर्ग है। उस वर्ग में जो राष्ट्र के खजाने से वेतन पाते हैं, वह शामिल है। उसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, नौकरशाह भी हैं और व्यवसायी भी हैं, जो सरकारी खजाने से सुविधा पाते हैं, वेतन पाते हैं। मैं व्यवसायी का नाम इसलिए लेता हूं कि आज सरकार ने जवाब दिया कि एनपीए खातों में 1,89,036 करोड़ रुपया बकाया है। उसके अलावा 24,316 करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाल दिया गया है। अगर सरकार के पास और हमारे पास संकल्प हो, तो इसे रिकवर किया जा सकता है। मेरे पास सन् 2008-2009 के एक अतारांकित प्रश्न संख्या 2893, 24 जुलाई, 2009 के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया था कि लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों सहित सन् 2008-2009 में 10,54,390 करोड़ रुपया इन पर बकाया है। इस 2009-2010 में आकर जो जवाब मुझे मिला, वह 10 लाख करोड़ रुपए बढ़ कर 14 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। रघुवंश बाबू, इन बड़े उद्योगपतियों पर जो 14 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं। उसके अलावा एनपीए में जो छोड़ दिया गया है और बट्टे खाते में जो पैसा डाल दिया गया है, यह कुल मिलाकर 16-17 लाख करोड़ रुपया बनता है। अगर देश में संकल्प हो, संसद में संकल्प हो, हम अपने रिश्ते को छोड़ दें, उन उद्योगपतियों से नाता तोड़ लें, तो देश का कितना विकास हो सकता है इस पैसे को वापस लाने से, यह आप समझ सकते हैं।

देश के उद्योपतियों को कौन बुरा कह सकता है, इसलिए कि जो उद्योगपति है, जो ऊपर के 20 घराने हैं, ईमानदारी से कहो कि उन 20 घरानों का सम्बन्ध किस राजनीतिक दल से नहीं है। सब घर में जाता है, सब के घर में बैठता है, सब के घर में खाता है, सब को कुछ खिलाता है, उनके साथ क्या हम आंख में गर्मी लेकर लड़ सकते हैं? हमारी आंख में शंकर के त्रिनेत्र की ज्वाला नहीं आयेगी। डा. लोहिया ने कहा था कि एक आंख में शंकर के त्रिनेत्र की गर्मी हो, दूसरी आंख में गरीबों के लिए करुणा की धारा हो, तभी आप इस राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं?

छठा वेतन आयोग आयेगा तो राजनैतिक दलों से लेकर सभी राज्य सरकारें कहेंगी कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन दो, बोनस दो, उनको सब कुछ दो, लेकिन इस देश में 85 प्रतिशत लोग जो गांव में हैं,

70 प्रतिशत किसान और मजदूर हैं, जो आधा पेट खाते हैं, भूखे पेट सो जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते हैं।

महोदया, जब मैं बोलता हूं तो मुझे अपना घर याद आ जाता है। जब मैं अपनी मां के पेट में था, तब मेरी मां मेहनत मजदूरी कैसे करती थी, वह मुझे याद आता है, उस दर्द को कौन जानेगा? आज लाखों माताएं झोंपड़ी में सोती हैं, चटाई ओढ़ती हैं, अपने बच्चे को कलेजे से लगाती हैं, वह रात में एक धोती के सहारे खुद अधनंगी सो जाती हैं। क्या उन गरीब माताओं को किसी ने देखा है? मैंने देखा है क्योंकि हम और हमारे कुछ साथी उस रास्ते से चलकर इस संसद में आये हैं।

चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि जब मैं भारत का प्रधान मंत्री बना तो मेरी नजर एक बार अपने गांव में जाती थी, जहां वही मिट्टी की दीवारें, वही फूस का झप्पर, वही कच्चा कुंआ, वही आधा घर, वही गाय-भेंस और वही साईकिल। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर इस देश के उन गरीबों को उठाना चाहते हो तो निर्ममता-पूर्वक इस संसद को सोचना पड़ेगा, निर्ममता-पूर्वक इस संसद को अपने को बदलना पड़ेगा।

मैं एक-दो उदाहरण डा. लोहिया के देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। रघुवंश बाबू और हम उसी स्कूल से आये हैं। समाजवाद के बारे में डा. लोहिया ने उस समय कहा था कि समाजवाद अन्य किसी सिद्धांत की तरह - एक होता है थोक, एक होता है फूटकर, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद की एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी, उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो तो आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी और उससे एक सीढ़ी नीचे उतरो, उसके बाद आयेगी समता, संपूर्ण समता, संभव समता, और उसके बाद एक सीढ़ी नीचे उतरो, तब अधिकतम और न्यूनतम की सीमा लगाओ। यह है समाजवाद की व्याख्या, यह है समाजवाद का मतलब। जब हम इसके लिए चलते थे एक ही नारा लगाते थे। राजापुत निर्धन संतान, सबकी शिक्षा एक समान, सौ से कम न हजार से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, सबकी शिक्षा एक समान। ऊ लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूं कि हजारों लोग गरीबों के घर से निकलकर आयेंगे, लड़ते-लड़ते मर जाएंगे, चिता पर चले जाएंगे, बिना कफन के जल जाएंगे, उनकी आवाज गूंजती रह जाएगी, लेकिन इस देश का कुछ भी हिलने वाला नहीं है क्योंकि यह देश कपटी और पाखंडियों का देश है। इसलिए मैं इस सदन में खड़ा होकर कहना चाहता हूं, हमारे गुरु डा. लोहिया ने कहा था कि जब कोई सरकार या देश सम्पत्ति संचय और असत्य बातों के रास्ते पर चला जाता है तब भूख को वह मिटा नहीं सकता, भूख को वही मिटा सकता है जो सत्यवादी बने और सम्पत्ति संचय को छोड़े। क्या हम देश में अधिकतम और न्यूनतम का कानून बना सकते हैं? सबसे

नीचे एक और सबसे ऊपर दस। अगर महामहिम राष्ट्रपति का वेतन डेढ़ लाख रुपया है तो हिंदुस्तान के सबसे नीचे हल चलाने वाले किसान को उसका दसवां हिस्सा मिलना चाहिए। जिस दिन एक और दस का अंतर इस देश में आ जाएगा, उस दिन यह देश विश्व का सबसे संपन्न और बलवान देश बन जाएगा।

क्या हम ऐसा कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि कानून बनाने वाले चीजों के दाम घटाएं, न कि अपनी तनख्वाहों को बढ़ाएं। अपनी ताकत, अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बजाय चीजों के दाम घटाने के लिए क्यों कुछ नहीं करते हो। उन्होंने 10 अप्रैल, 1964 को संसद में बोलते हुए कहा था, इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। पैसे आएंगे, लेकिन उसके लिए पहल कौन करेगा? जैसे सरकारी नौकर कहते हैं कि चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांगें पूरी हो। वैसे ही हम भी सांसद और विधायक देश में कहते हैं कि जैसे महंगाई बढ़ गई, सरकारी नौकरशाह लूट रहा है, उसी के अनुपात में मेरी भी तनख्वाह, वेतन और भत्ते बढ़ा दो। सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ता जाएगा, तो गरीबों के लिए पैसा कहां से बचेगा। अगर यह नियम बने कि सौ से कम न हजार से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। क्या हम इसे मानने के लिए तैयार हैं?

दूसरी बात मैं एक और कहूंगा। कल प्रणब दादा कह रहे थे एनसीएईआर। उसमें था कि उस समय देश में बिरला सबसे ऊपर थे, लेकिन आज अम्बानी ऊपर है। उस समय एनसीएईआर ने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि इस देश के नीचे के 20 फीसदी लोगों की कुल जायदाद तराजू के एक पलड़े पर और बिरला की जायदाद तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दें, तो अकेले बिरला की जायदाद उनसे ज्यादा है। आज की तारीख में अम्बानी घराने की कुल जायदाद तराजू के एक पलड़े पर रख दी जाए और दूसरे पलड़े पर हिंदुस्तान के 30 प्रतिशत निर्धन निर्बल वर्ग के लोगों की जायदाद को रख दिया जाए, तब भी अम्बानी की जायदाद का पलड़ा भारी होगा, लेकिन अम्बानी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि अम्बानी की सभी जगह पैठ है। सभी दरबार में अम्बानी की जय-जयकार है। इसीलिए आज व्यापारी निर्भय है, उद्योगपति निर्भय है, भ्रष्टाचारी निर्भय है, देश को लूटने वाला निर्भय है, अपराध करने वाला निर्भय है, क्योंकि उन्हें संरक्षण देने वाला प्रशासन और राजनीति के शिखर पर बैठा हुआ है। हमारे गांव में कहते हैं - पिया भये कोतवाल, तो डर काहे का। जिसे राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण मिलेगा, वह क्यों डरेगा। सबसे ज्यादा संरक्षण जाति के नाम पर मिलता है। लोहिया जी कहते थे कि जाति के गंदे कूड़े पर भ्रष्टाचार के कीड़े पैदा होते हैं, पनपते हैं और देश को चाटते हैं। कोई भी भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी हो, जाति के नाम पर पार्टियों के लोग उसकी संरक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। मैंने बिहार में मधुबनी में इस बात को भोगा है। वहां डीडीसी एक जाति विशेष का था, उसने भ्रष्टाचार किया। जिला परिषद को लूटा। मैं उसके खिलाफ लड़ा, लेकिन सभी पार्टी के उसकी जाति के नेता उसके पक्ष में खड़े हो गए। हम अपने चरित्र से उस पाखंड को छोड़ें।

शैलेन्द्र जी बैठे हैं, रघुवंश जी भी राजपूत भले हों, लेकिन वे जिस परिवार से हैं, मैं जानता हूं। जिस धारा में थे, कितनी रातें जमीन पर सोए होंगे, साइकिल पर चले होंगे, सूखी रोटी खाई होगी, इसे शरीर ही जानता है। मंगनी लाल मंडल यहां हैं, वे किस परिवार से उठ कर आए हैं, वे स्वयं जानते हैं।" जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीड़ पराई, का दुख जाने दुखिया का, दुख जाने दुखिया की माई।" मेरे पिता जी स्वतंत्रता सेनानी थे। अनपढ़ थे। आधी धोती पहनते थे, आधा तन ढकते थे। कभी देह पर गंजी और पूरी बाजू का कुर्ता नहीं देखा था, लेकिन मैंने उनके साथ खेत में काम किया है। हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर आधा एकड़ जमीन जोतने वाले नाई के बेटे थे। जिस दिन वे मरे, उस दिन आधे एकड़ जमीन रह गई। जो चादर सुरनर मुनि ओढ़े, ओढ़ कर मैली कीन्हीं, जतन से ओढ़े दास कबीरा जस के तस धर दीन्हीं, चदरिया झीनी रे झीनी। वे महान कर्पूरी ठाकुर दस कट्ठा जमीन जोतने वाला नाई का बेटा बिहार का दो बार मुख्यमंत्री बना। दस साल तक बिहार के जातिवादी नेताओं के कलेजे पर चढ़ कर हम लोगों के कारण बिहार का राजा बन कर रहे।

जब वह मरे तो दस कट्ठा जमीन छोड़कर चले गये। आज हम एमएलए, एमपी बनते ब। बाप हल चलाता है, बेटा लखपति बन जाता है। बाप-मां कहीं रहते हैं, बेटा लखपति, करोड़पति बन जाता है। हमको चढ़ने के लिए साइकिल नहीं रहती है, यहां आते हैं तो स्कॉरपियो से ऊपर एक फॉर्चून गाड़ी निकली है, हम तो डिसफॉर्चुनर हैं। बाकी फॉर्चून वाले हैं। वहां हम जाते हैं तो हम क्या गरीबों के यहां रह पाते हैं? रघुवंश बाबू, इसलिए इस संसद के स्वरूप को बदलना पड़ेगा। संसद इतिहास बदल सकता है। संसद उन गरीबों को 3000 रुपये महीना भत्ता दे सकता है। संसद चाहे तो उनकी जिंदगी में नयी रोशनी ला सकता है। संसद चाहे तो जाति को मिटा सकता है और संसद चाहे तो इसी हिन्दुस्तान को एक नया हिन्दुस्तान बना सकता है लेकिन-- इस "लेकिन" पर आकर मैं रुकता हूं क्योंकि जिसको बदलना है, वे नहीं बदलेंगे। लम्बी-लम्बी बात हम करेंगे लेकिन हम इतिहास नहीं बना पाएंगे और न ही हम इस संसद को बदल पाएंगे। आइए, इसदेश को मजबूत और बलवान बनाना है।

मैं कॉमनवैल्थ गेम्स और दुनिया के भ्रष्टाचार की बात नहीं करता हूं। मैं गरीब आदमी हूं। 1000 रुपये की चोरी हो जाती है को कलेजा फटने लगता है। यहां खड़ा होता हूं, 1000 करोड़ रुपये, 3000 करोड़ रुपये, 5000 करोड़ रुपये। कोई सड़क खा गया, कोई हवाईजहाज खा गया, कोई स्टेडियम खा गया। अरे उसका पेट है कि राक्षस का पेट है कि ईंटा, रोड़ा, गिट्टी खाता है, सब कुछ खाता है, सब कुछ पचाता है। अब क्या बाकी है जो छोड़ देगा और पचाते-पचाते इस देश के 85 प्रतिशत निर्धन निर्बल गांव के

गरीब किसानों की हड्डी पचा गया. उनका मांस पचा गया और खून पी गया। तब भी हम नहीं चेतते हैं. हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं।

अंत में, मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि यह जो 3000 रुपये आपने मासिक भत्ता देने की बात कही है, जब लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय किसान की हैसियत से मैं उसमें बैठता था और मैंने उसमें यह प्रस्ताव रखा था। हमारी पार्टी के कई लोगों ने कहा कि कैसे होगा, लेकिन आडवाणी जी ने कहा कि क्यों नहीं होगा? हुकुम देव जी जो कह रहे हैं, सही है। इतने लोगों को अगर पेंशन मिलेगी तो गरीब किसान को पेंशन क्यों नहीं मिलेगी? क्या 100 रुपये रोज भी पेंशन नहीं मिलेगी? हम तो सौ रुपया रोज मांगते। हम कुछ नहीं मांगते। भारत सरकार का जो चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी है, उसको जितनी पेंशन देते हैं, उस फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी के बराबर ही उन गरीबों को पेंशन दे दो। क्या उतना भी नहीं दे सकते हैं? इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि 3000 रुपया कम से कम उनको महीने का मिले मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी पत्नी बूढ़ी हो जाएगी, खाट पर पड़ी रहेगी, बेटा आएगा, बहू आएगी, सेवा करेगी कि बूढ़ा-बुढ़िया ज्यादा दिन जिंदा रहें क्योंकि 3000 रुपये पेंशन मिलेगी और वे भी खाएंगे। वे सोचेंगे कि बूढ़ा-बूढ़ी हमारे बेटा-बेटी को भी पढ़ाएंगे। इसलिए हमारा राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक सम्मान होगा। इसलिए आइए, संसदीय और प्रशासनिक व्यवस्था को बदल दीजिए। हिन्दुस्तान में एक समता समाज लाने के लिए गांधी, अम्बेडकर, लोहिया, दीन दयाल की दृष्टि के आधार पर नये भारत का निर्माण करने के लिए हम आह्वान करते हैं।

अंत में, मैं इस लोक सभा चैनल चलाने वाले को धन्यवाद देता हूं कि आज मेरी बात को देश के लाखों गरीब सुन रहे हैं। यह संसद बदले या न बदले, हम बदलें या न बदलें, नौजवानों, यूनिवर्सिटी को छोड़ दो। विद्यालय को छोड़ दो। उनमें ताले लगा दो। सड़क पर आ जाओ। दिल्ली में बीस लाख लोग पटरियों पर सोते हैं, उन गरीबों को उठा लो और एक दिन इस संसद के चारों तरफ घेरकर तुम बैठ जाओ कि जब तक तुम अपना अधिकार नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा घेरा नहीं उठेगा। जिस दिन बीस लाख लोगों के साथ नौजवान निकलकर आएगा, उस दिन वह इस देश का इतिहास बदल देगा। हमसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा क्योंकि हम और आप कहीं न कहीं उस सुविधा भोगी समाज के अंग बन गये हैं। इसलिए प्रार्थना करता हूं कि देश के नौजवानों, गरीब किसानों, हम बदलें या न बदलें, हमसे आशा छोड़ो, तुम आगे निकलो, स्कूल-क़लेज और विद्यालय को छोड़ दो और तुम्हारा मैं आह्वान करता हूं कि:-

“ आओ श्रमिक, कृषक मजदूरों, इंक्लाव का नारा दो,
शिक्षक, गुरुजन, बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो,
फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर और बौराई है,

तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है।"

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदया, मैं आभारी हूं कि आज सदन में माननीय रघुवंश प्रसाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत किया है। यह राजनीतिक विषय नहीं है। इस पर कदाचित सभी सहमत हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी की दृष्टि है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए गरीबी रेखा उन्मूलन के लिए कुछ योजनाएं और कार्यक्रम चलाएं। चाहे ये योजनाएं सैल्फ हैल्प ग्रुप, सैल्फ एम्प्लाएमेंट स्कीम से स्वावलंबी बनाने के लिए चलाएं जिससे वे आने वाले दिनों में गरीबी रेखा से ऊपर आकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें, ये देश की एक श्रेणी में आ सकें, गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें, जहां हम मानते हैं कि गरीबी होना अभिशाप है, कलंक है। डॉ. रघुवंश जी और यादव जी ने बहुत अच्छे ढंग से गरीबी का चित्रण किया है। इसका चित्रण जिस मार्मिक ढंग से किया है, सदन उनकी अभिव्यक्ति और भावनाओं से सहमत है। आज सदन इस संकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। चाहे तेंदुलकर कमेटी, अर्जुन सेन गुप्त या डॉ. सक्सेना की रिपोर्ट हो, इसमें इस बात पर भिन्नता हो सकती है कि तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 38 परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अर्जुन सेन गुप्ता के हिसाब से 78 परसेंट लोग बीस रुपया खर्च करने की क्षमता रखते हैं या सक्सेना रिपोर्ट के हिसाब से 50 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा में हैं जिन्हें 2400 कैलोरी खाना उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन इसमें कोई भिन्नता नहीं हो सकती है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या गरीब हैं, उनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ अभी तक कितना मिला? जैसा माननीय रघुवंश जी ने कहा कि गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमें भविष्य में कौन सी रणनीति बनानी होगी? कौन सी कार्य योजना बनानी होगी? हम इस देश में चाहे किसी भी दल से जुड़े हों, वास्तविक रूप से राजनीति से ऊपर उठकर, हम सब सामाजिक जीवन, सार्वजनिक जीवन में समझते हैं कि खेत खलिहान, चौपाल में बैठे हुए दलित नारायण के लिए जो भी व्यक्ति चुनकर आया है, कहीं न कहीं उनकी सेवा करता है, उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व समझता है और कर्तव्य के बोझ से उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना चाहता है। इसमें किसी एक राज्य बिहार या उत्तर प्रदेश की बात नहीं कही है। आज सदन को इस बात की चिंता होनी चाहिए अगर इस मामले में प्रस्ताव रखा है, क्या सभी राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कुटुम्बों की पहचान की गई है? बीपीएल की बात उठाई गई। बीपीएल लिस्ट कब तक तैयार हो जाएगी? हम कब तक बीपीएल को आइडेंटीफाई कर लेंगे? हमें देखना चाहिए कि आज जो गरीबी रेखा में आइडेंटिफाई हैं या जिनके पास बीपीएल है, उन बीपीएल के लिए रोजगार देने के लिए, सैल्फ हैल्प में स्वाबलंबी बनाने या रोजगार के लिए लोन देने के लिए कोई योजना बना रहे हैं? इन योजनाओं से कितना लाभ मिला है? इस संकल्प पर मैं डॉ. साहब और सम्मानित सदन

का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि समय-समय पर जो भी सरकारें रही हैं, चाहे केंद्र या राज्य में हों, सबने देश के गरीबी रेखा के नीचे रहेने वाले लोगों या बेरोजगार व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं।

आपने स्वयं उल्लेख किया कि आईआरडीपी योजना चली थी।   एक प्रोग्राम नहीं चला। आईआरडीपी चली, उसके बाद आपको याद होगा, हर राज्य में 'ट्राइसेम' चला। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे युवा थे, उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके और वह ट्रेनिंग ऑफ रुरल यूथ फार सैल्फ इम्पलायमैन्ट का एक प्रोग्राम चला। दो प्रोग्राम के बाद तीसरा प्रोग्राम डीडब्ल्यूसीआरए का चला, जिसका मतलब है डैवलपमैन्ट ऑफ वूमैन एंड चिल्ड्रन इन रुरल एरियाज। कहने का मतलब यह है कि केवल यहीं दृष्टि नहीं गई कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नौजवानों को सुविधा दें। मैं समझता हूं कि आज चाहे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो, उसमें भी आज पचास प्रतिशत सैल्फ हैल्प ग्रुप में महिलाओं को लाभ हो सके तो इस तरफ भी दृष्टि भी गई है कि देश के राज्यों में रहने वाली महिलाएं, जिनके ऊपर परिवार का बोझ है, जिनके ऊपर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी है। जहां उसका पति या उस परिवार का मुखिया मेहनत करता है। आज गांव में कदम से कदम मिलाकर उसकी पत्नी या उस महिला को भी साथ देना पड़ता है। चाहे वह गांव के खेत में हो या खलिहान में हो या घर की गृहस्थी चलाने में हो। उनके लिए भी यह प्रोग्राम चला।

इसके बाद 'सिट्रा' का प्रोग्राम भी चला। जो सप्लाई ऑफ इम्प्रूवमैन्ट टूल किट्स फॉर रूरल आर्टिजन्स। ताकि गांवों में लोहार, बढ़ई, कुम्हार आदि लोगों को ये टूल्स दिये जा सकें। आपको याद होगा कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से टूल्स बांटे जा रहे थे, चूंकि वे लोग पांच हजार रुपये के भी टूल्स नहीं खरीद सकते थे तो उन्हें फ्री दिया जाए। जिससे कि गांवों में जो लोहार, बढ़ई, कुम्हार आदि हैं, कम से कम यदि वे इक्युप्ड टूल्स हो जायेंगे तो वे अपने गांव में, जो आपकी धारणा है, भावना है कि दो,तीन या चार हजार रुपये कमाकर अपनी परिवार जीविका चला सकें।

उसके बाद आपको याद होगा कि मिलियन वैल स्कीम चली और देश के सभी राज्यों में यह योजना चली, जिससे कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग लाभान्वित हो सकें।

इसके बाद गंगा कल्याण योजना चली। उसके बाद वर्ष 2007 में एसजीएसवाई योजना चली। इस तरह से छः कार्यक्रम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए चलाये गये। क्या यह सदन आज इस बात पर विचार नहीं कर सकता कि इन योजनाओं में हमने अरबों रुपये खर्च किये। केन्द्र सरकार और

तमाम राज्यों ने भी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए अपने-अपने राज्यों में योजनाएं चलाई। लेकिन अगर आज इसके बावजूद भी फिर तेंदुलकर कमेटी की बात आई।

The Tendulkar Committee Report says:

> "Nearly 38 per cent of the Indian population is poor and this report is based on new methodology and the figure is 10 per cent higher than the present poverty estimate of 28.5 per cent."

The N.C. Saxena Committee Report says:

> "Since 1972 poverty has been defined on the basis of the money required to buy food with 2,100 calories in urban areas and 2,400 calories in rural areas."

In June this year, a Government Committee headed by Shri N.C. Saxena estimated that 50 per cent Indians are poor as against the Planning Commission's 2006 figure of 28.5 per cent.

Another report says that even after more than 50 years of Independence, India still has the world's largest poor people in a single country. Of its nearly 1 billion inhabitants, an estimated 263 millions are below the poverty line of which 193.2 million are in rural areas.

The poverty level is below 10 per cent in States like Delhi, Goa and Punjab whereas it is 50 per cent in Bihar, 47 per cent in Orissa and 30 per cent to 40 per cent people are below the poverty line in some States and Uttar Pradesh is also one of them.

सभापति महोदया : माननीय सदस्य एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, कृपया शांत रहें।

श्री जगदम्बिका पाल : इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम, मेघालय और त्रिपुरा हैं। आज हम इस बात पर जरूर विचार करेंगे कि आज भी हम कहां खड़े हैं। इन योजनाओं के चलाने के बाद आज भी 30 से 40 परसैन्ट गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग उत्तर प्रदेश में हैं। असम, त्रिपुरा और मेघालय में हैं। सदर्न स्टेट्स के तमिलनाडु में हैं। पचास परसैन्ट के लगभग बिहार में हैं और 47 परसैन्ट उड़ीसा में हैं। फिर आखिर हम कौन सी योजना चलायें। इन योजनाओं के बाद आपको याद होगा कि वर्ष 2007 में जब हमने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई तो उससे गांव-गांव में सैल्फ हैल्प ग्रुप की फोर्मेशन हुई और 3.2 मिलियन ग्रुप्स हमने तैयार किये, जिसकी रिपोर्ट आई। वर्ष 2008 में हमारी ग्राम विकास की रिपोर्ट है

कि हमने इन परिवारों को इस प्रोग्राम का लाभ दिया है। लेकिन आज गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के संबंध में ही चर्चा हो रही है। आखिर इन योजनाओं के बाद उसी गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए चर्चा हो रही है।

आज नरेगा का कार्यक्रम चला। नरेगा के पीछे क्या है? मैं समझता हूं कि केवल यह कहना कि केन्द्र तीन हजार रुपये प्रतिमाह लोगों को दो दे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो वे फिर क्यों खड़े होगे, कोई अपने पैरों पर स्वावलम्बी क्यों होगा? समझता हूं कि राज्य एक वैलफेयर स्टेट है। पिछले साल राज्यों को केन्द्र की ओर से नरेगा में 39 हजार करोड़ रुपया दिया गया और इस वर्ष हमने 40,100 करोड़ रुपये सभी राज्यों को दिये हैं। आखिर उसके पीछे क्या भावना थी? आज भी जिस तेंडुलकर की बात होती है, जिस सक्सेना की बात होती है या जिस अर्जुनसेन गुप्ता की बात होती है तो उन लोगों की ही दृष्टि थी। यू.पी.ए. सरकार ने सोचा कि आज भी गांव में ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है,,उन लोगों को गांव में कोई सुलभ अवसर नहीं मिल रहा है। कितना पलायन हो सकता है, कितने लोग सूरत या मुम्बई या अहमदाबाद या दिल्ली जा सकते हैं? अगर गांवों में रोज़गार उपलब्ध नहीं होगा तो न बेरोज़गारी दूर होगी और न गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। आज उस दृष्टि को रखकर, मैं समझता हूं कि जो कार्यक्रम बनाया गया है, इसके पीछे यही दृष्टिकोण रहा है। कल श्री यशवंत सिन्हा सप्लीमेंटरी बजट पर बोल रहे थे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी प्रोग्राम में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है.। यह बात तो हम भी उठाते हैं, हमारे साथी भी उठाते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, इस संघीय ढांचे में हमारा क्या काम है? हम राज्यों की पापुलेशन के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से देते हैं। यह डिमांड ओरिएंटेड प्रोग्राम है कि राज्य 100 दिन के रोज़गार के लिये 100 रुपये के हिसाब से, जो 18 साल के लोग हैं, जो भी डिमांड करेंगे, उन्हें रोज़गार देने के लिये केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है। जब केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है, केन्द्र सरकार डिमांड ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिये पैसा देने को तैयार है तो क्या राज्य सरकार का दायित्व नहीं है कि वह 100 दिन के लिये 100 रुपये के हिसाब से रोजगार दे। अगर राज्य सरकारें 100 दिन का रोज़गार न दे पायें तो मैं समझता हूं कि उन राज्य सरकारों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये। अगर केन्द्र सरकार पैसा न द रही होती तो हम गुनाहगार होते कि हम आज राज्यों की मांग के अनुसार पैसा नहीं दे पा रहे हैं।

सभापति महोदया, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बैठे हुये हैं. वे राज्यों के आंकडें बता देंगे कि कौन कितने राज्य हैं जिन्होंने 100 दिन का काम दिया या 100 दिन का काम लिया? आज कितनी शिकायतें आ रही हैं जब कि हम लोग कह रहे हैं कि लोग ब्लाक में काम कर लेते हैं और बीमार है, उनके जायज कार्य के बाद उनको पैसा नहीं मिलता है। प्रतिपक्ष के लोग भी इस बात को कहते हैं। केन्द्र सरकार से हम

लोग पैसा दे रहे हैं और अगर आज मनरेगा में कोई प्रोजैक्ट नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, डेवलेपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है तो इस तरह से यह राईट टू वर्क की फंडामेंटल राईट है। यह राईट टू वर्क की गारंटी है। जिस तरह से संवैधानिक गारंटी है, उसी तरह गारंटी है कि आदमी को रोज़गार दिलाने का काम सरकार का है। हर राज्य के लोग कहते थे कि हम सत्ता में आयेंगे तो हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देंगे। लेकिन अगर आज देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक के गांव में नौजवान के द्वारा काम मांगा जायेगा तो उसे रोजगार देने का फैसला अगर किसी ने लिया है तो कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार ने लिया है कि हम किसी को बेरोज़गार नहीं रहने देंगे। हमने केवल राईट टू वर्क नहीं बनाया। हमारे साथी शिक्षा के बारे में कह रहे थे। आज शिक्षा एक साथ क्यों न हो? हमारे राष्ट्रपति का, एससीएसटी का या बाल्मीकि समाज का बच्चा एक साथ पढ़ें। यह नारा डॉ. लोहिया जी के जमाने से लगता रहा। समाजवादी पार्टी की सरकारें आई, मिलीजुली सरकारें आयीं, जनता पार्टी की सरकार भी आयी। तमाम राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं तो वह कब होगा - निर्धन हो या धनवान, सब की शिक्षा हो एक समान। नारा सामने बैठने वालों का है, उसे मूर्त्त रूप कौन दे रहा है, वह कांग्रेस की यूपीए सरकार दे रही है। क्या हम नहीं दे रहे हैं? राईट टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट किसने पास किया? आखिर इसी संसद में, इसी 15वीं लोक सभा में हम लोगों ने पास किया। इसलिये पास किया कि शिक्षा के मामले में, फूड सिक्यूरिटी के मामले में, एम्पलायमेंट के मामले में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। चाहे वह दारा सिंह चौहान जी हों या शैलेन्द्र कुमार जी हों और चाहे भोला सिंह जी हों या हरिन जी हों , चाहे कोई भी हो। देश के किसी राज्य के साथ हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। हम देश के गांवों में रहने वाले किसी भी बच्चे को, झोंपड़-पट्टी में रहने वाले बच्चे को हम उसी तरह से पढ़ाना चाहते हैं जिस तरीके से दिल्ली या लखनऊ में रहने वाले धनाढ्य व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देना चाहते हैं, उसकी प्रतिबद्धता हमारी केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार की है।

उसी के तहत हमने यह एक्ट पास किया है। राइट टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन का मतलब यही था कि देश के छह हजार विकास खंडों में हम पहले छह हजार मॉडल स्कूल खोलें और छह हजार मॉडल स्कूलों में उन बच्चों को पढ़ने का अवसर दें। आईसीएसई, सीबीएसीई की जो शिक्षा है, उसी के पैटर्न पर कि गांव की प्रतिभाएं दुनिया के शहरों या दुनिया के मुल्कों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा में खड़ी हो सकें। वे न केवल उनके मुकाबले में खड़ी हों सकें, बल्कि वे उनसे आगे निकल सकें। आज भी आई.आई.टी., आई.आई.एम. में बिहार के बच्चे आ रहे हैं। आपने देखा कि सुपर-30 के बच्चे आई.आई.टी. में सलैक्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बच्चे भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाएं केवल शहरों में ही हैं, प्रतिभाएं गांव में भी हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। जब हमने यह एक्ट पास किया तब यह तय हुआ

कि राइट टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन में 55 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी और 45 प्रतिशत राज्य देंगे। राज्यों ने कहा कि हम इतना बोझ नहीं सह सकते हैं तो फिर इसे 60 परसेंट और 40 परसेंट किया गया। आज केंद्र सरकार 68 परसेंट देने के लिए तैयार है। अब केवल राज्यों को 32 परसेंट देना है। यहां दारा सिंह जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी आ गयी कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं। हम मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए भी, जो यह केंद्र सरकार चलाने जा रही है, हम यह ब्लाकों में, विकास खंडों में नहीं दे सकते हैं। उन गरीब बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा। क्या यह राज्यों की जिम्मेदारी नहीं है?

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): यह आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आप 90 परसेंट दीजिये, राज्य सरकार 10 परसेंट देने के लिए तैयार है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : दारा सिंह जी बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : राज्य सरकार तैयार है तो हम निश्चित तौर से आपका स्वागत करेंगे। आपने शायद बहन जी का वह पत्र नहीं देखा है जो केंद्र सरकार के पास आया है।

श्री दारा सिंह चौहान : हमने देखा है।

श्री जगदम्बिका पाल : बहन जी ने पत्र लिख दिया है। जिस दिन राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट पास हुआ तो पूरे देश के गरीब बच्चों को चाहे वह रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, रेहड़ी वाला हो या कुली हो, उसे यह अहसास हुआ कि पहली बार इस देश में इतना बड़ा क्रान्तिकारी फैसला हुआ है। देश में चाहे कोई निर्धन हो या धनवान हो, सबके लिए समान शिक्षा होगी। इसे मूर्त रूप देने का काम किया जायेगा। हमें चिंता है, इसलिए हमने राज्यों का शेयर कम किया। उन्हें मात्र 32 परसेंट ही देना है, लेकिन क्या उन मॉडल स्कूलों के खुलने का कोई प्रस्ताव है। यह दुःखद बात है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप मुख्यमंत्री जी से कहिये कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में कम से कम वे राज्य का अपना शेयर दें, जिससे उन बच्चों का भविष्य बन सके। मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस शिक्षा की बात आयी है, अगर इस गरीबी को दूर करना है तो केवल कुछ पैसा देकर हम इसे दूर नहीं कर सकते हैं। जब तक हम उन्हें शिक्षित नहीं कर देंगे तब तक हम उन्हें स्वावलंबी नहीं बना सकते हैं। उस दिशा में हमने ये चार प्रोग्राम शुरू किये थे। इनमें से दो तो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वह राइट टू वर्क हो या राइट टू एजुकेशन हो। आज इस सदन में लोगों के भूख से मरने की बात सुनने को मिलती है कि इस राज्य में, उस राज्य में लोग भूख से मर रहे हैं। अगर राज्यों में लोग भूख से मर रहे हैं तो केवल इस बात को कहा जाता है। सारी बातें, सारे उत्तरदायित्व को, सारी जिम्मेदारियों को, सारी

अपेक्षाएं केंद्र सरकार से ही की जाती हैं। इस पर भी केंद्र सरकार चिंतित है और संवेदनशील है कि अगर कहीं भी आज कोई खाद्यान्न की कमी से मर रहा है, भूखे मरने की बात आती है, कि अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राज्य अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो केंद्र सरकार राइट टू फूड सिक्युरिटी एक्ट बनाने पर विचार कर रही है। यह राज्यों को प्रचालित कर दिया है और बहुत शीघ्र उस संबंध में भी केंद्र की कांग्रेस-यूपीए सरकार, देश का कोई भी गरीब खाद्यान्न के अभाव में नहीं मर पायेगा, फैसला करेगी। हम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को खाद्यान्न देने के लिए तैयार हैं, हम गावों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार हैं, गरीबी रेखा ने नीचे रहने वाले लोगों को शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जो इन योजनाओं में भ्रष्टाचार है, हमें उस पर भी विचार करना होगा। देश की जनसंख्या देखिये, आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारत का है। हमारी कितनी बड़ी आबादी है। हम एक तरफ गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की दुर्दशा की बात करते हैं। आज दुनिया में आबादी की दृष्टि में भारत, चाइना से पीछे है। मैं जनसंख्या वाले भाषण का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि परसों ही उस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में वर्ष 2025 तक हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। विकास के मामले में हम उनसे आगे हों न हों, लकिन आबादी में हम चीन से आगे हो जाएंगे। चाहे कोई भी सरकार में हो, आज हम सरकार में हैं, कल भोला बाबू आप भी सरकार में आ जाएंगे तो भी इस बढ़ती हुई आबादी को योजनाओं का लाभ किस प्रकार से मिलेगा, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, न कि राजनैतिक रूप से विचार करना होगा।

महोदया, हमारे देश के 635000 गांवों में आठ सौ मिलियन की आबादी डिफकल्ट कंडीशन में रहती है। 18 से 35 साल के लोग अभी भी बेरोजगार हैं, जिनमें से 95 प्रतिशत ग्रामीण हैं। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है। यह नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार आबादी के कारण जमीन कम होती जा रही है। देश की 80 प्रतिशत आबादी के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है। इससे स्वाभाविक है कि जमीन कम होती जा रही है। आने वाले दिनों में परिस्थिति और गंभीर होगी। योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1973-74 में ग्रामीण गरीबी बिहार में 62 प्रतिशत थी, वर्ष 1993-94 में 58.21 प्रतिशत थी। मध्य प्रदेश में 40.54 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 47.93 प्रतिशत, उड़ीसा में 49.72 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 42.28 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 40.80 प्रतिशत है। मैं इस पूरे चार्ट को पढ़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन देश के सभी राज्यों में इतनी योजनाओं को चलाने के बाद भी यदि गरीबी है तो हमें विचार करना होगा कि गरीबों तक योजनाओं का लाभ किस प्रकार से पहुंचाया जा सकता है। इस पर विचार करने के लिए यह संकल्प बहुत अच्छा है। इसकी भावनाएं अच्छी हैं। इस संकल्प को कार्यान्वित

करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस संकल्प को केवल केन्द्र सरकार पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि आइए, हम सब लोग उठें, राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठें और केन्द्र-राज्य मिलकर नरेगा, शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी आदि योजनाओं पर आने वाले दिनों में सम्यक रूप से मिलें और हम यह संकल्प लें कि देश की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग भारत माता पर अभिशाप हैं, कलंक हैं और इस कलंक को मिटाने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं कि एक साथ प्रतिबद्ध होकर इसको करेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा 21 अप्रैल 2010 को पेश किए गए संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदया, हमने डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह और हुक्म देव नारायण यादव जी को सुना और सुनते-सुनते मन भावुक हो गया। दिल की गहराइयों तक छूने वाली बातें थीं। मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, जिस पर हम लोग बहस करें। उन्होंने बड़ा अवलोकन और बहुत मार्मिक उल्लेख किया। डॉ. रघुवंश प्रसाद जी ने इसमें चार बिन्दु रखे हैं। खास कर हमारे देश के सामने जो मुख्य समस्या है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं, उनका हम कैसे चयन करें। यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है और पूरा सदन, पक्ष एवं विपक्ष दोनों, जब से यूपीए टू की सरकार आई है, 15वीं लोक सभा का गठन हुआ है, विभिन्न अवसर पर हमने बहस की है। खास कर इन्हीं गरीब लोगों के लिए और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के लिए हमने चर्चा की है। आज भी सदन इस बात की चिन्ता कर रहा है कि ऐसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार का हम कैसे चयन करें और उनकी माली हालत, दुर्दशा पर कैसे यह सदन, सरकार दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर बात करे। जैसे अभी जगदम्बिका पाल जी ने कहा कि उनकी गरीबी गुरबत को देखते हुए उन्हे कैसे निजात दिला सकें, इस बात की पूरा सदन चिन्ता कर रहा है।

16.56 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि सन् 2000 में संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में 189 देश थे और सन् 2015 तक इन देशों ने वहां पर उन आठ बिन्दुओं पर संकल्प लिया था। जिसमें पहला बिन्दु यह था कि अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का अंत पूरे विश्व से कैसे दूर किया जाए, इस बात पर वहां संकल्प लेकर सभी देश आए थे। मेरे ख्याल से केवल अब पांच वर्ष शेष रह गए हैं और मुझे नहीं लगता कि इस देश से गरीबी दूर होगी या जो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई जादुई छड़ी या वृहद कार्यक्रम योजना लागू करके हम उनके जीवन को बदल सकते हैं, मेरे ख्याल से यह असंभव सी बात लग रही है। मुझे अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात याद आ रही है। उन्होंने एक नारा दिया था कि इस देश से गरीबी दूर की जाए। उस परिप्रेक्ष्य और विषय में उन्होंने जितना हो सका, उतना किया, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी, विरासत के लिए वे छोड़ गई थीं। इस सदन को भी एक जिम्मेदारी दे गई थी, ऐसे बीपीएल परिवार के विषय में आज हम यहां चिन्ता एवं बहस कर रहे हैं, उसे हमें पूरा करना है। अगर आंकड़े देखे जाएं तो पता चलेगा कि सन्

1990 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे 54 प्रतिशत लोग जीवनयापन कर रहे थे। सरकार का लक्ष्य है कि यह सन् 2015 तक घट कर 21 प्रतिशत रह जाएगी। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। सरकार ने भी स्वीकार किया है कि पूरे देश में 8.07 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। अगर औसतन लिया जाए तो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या एक परिवार में पांच लोगों की होती है, मेरे ख्याल से 40.35 करोड़ के करीब इस देश में हैं। जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में 37 से 40 प्रतिशत, अभिजीत सेन गुप्ता की रिपोर्ट में 77 प्रतिशत और ऑक्सफोर्ड की नवीन एमआईटी रिपोर्ट में कहा गया है 55.4 प्रतिशत और सक्सेना कमेटी ने भी 50 प्रतिशत कहा। मेरे ख्याल से भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों लोगों की संख्या 50 से 60 प्रतिशत के बीच में है, जो इस रिपोर्ट में आ रहा है।

सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी पुरानी जनगणना में 18 करोड़ की थी और अब मेरे ख्याल से 20 करोड़ हो गई होगी।

17.00 hrs.

सभापति जी, विश्व में जितने गरीब लोग हैं, उसके 21 प्रतिशत लोग केवल उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं और ऐसे में सरकार द्वारा प्रस्तुत दावे कितने खोखले हैं, यह हम लोगों ने समय-समय पर देखा है। केन्द्र, राज्य सरकारों पर और राज्य सरकारें केन्द्र सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप करती रहती हैं और इस बीच में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाला व्यक्ति पिसता है। वह सैंडविच बन जाता है। इस ओर हमें ध्यान देना होगा। हमारा संविधान भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने का हक प्रदान करता है और राज्यों का भी यह धर्म होता है कि सभी नागिरकों को कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वे मिल सकें और राज्य सरकारों को अपने नागरिकों को उन सुविधाओं को मुहैया कराना चाहिए। इसके लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, कितना हम कर रहे हैं, यह बात हम खुद यदि आत्मावलोकन करें, तो मेरे ख्याल से सही तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी।

सभापति महोदय, अब हम आजादी का 63वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। इन 63 वर्षों में यदि ग्रामीण स्तर पर लोगों को देखा जाए, तो स्थिति खराब है। नए परिसीमन के अनुसार मेरा संसदीय क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र ही है। आज भी बुंदेलखंड में, हमारे कौशाम्बी और इलाहाबाद क्षेत्र में देखें, तो बारिश से पहले, जब बारिश नहीं हुई थी, तब वहां कम से कम एक-एक किलोमीटर और 800-800 मीटर जमीनें फट गई थीं और उनकी चौड़ाई भी एक, डेढ़, दो और कहीं-कहीं ढाई मीटर तक थी। आज प्रकृति भी अपना करिश्मा दिखा रही है। यहां हमारे श्री प्रदीप जैन, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार बैठे हैं। वे बुंदेलखंड से

आते हैं। वहां आज भी दो बूंद पानी के लिए दो किलोमीटर से ज्यादा दूर का सफर करना पड़ता है। वहां तो जानवरों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है, आदमी की तो बात छोड़ दीजिए।

महोदय, मैं अभी मध्य प्रदेश के महोबा साइड एरिया में गया था। वहां देखा कि एक झील थी, वहां गांव के लोग आज भी दो-ढाई किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए उस झील पर जाते हैं। उस गांव की महिलाएं वहां आती हैं और उस झील से पानी ले जाती हैं। घर ले जाकर उसे उबालती हैं और उसी को पीती हैं। जब वे उस पानी को पीती हैं, तो उनके जानवर कहां पानी पीते होंगे, इसका अनुमान आप स्वयं लगा लीजिए।

महोदय, जहां तक इलाज की बात है, यह विषय हमारे संविधान की मुख्यधारा में है, लेकिन आज भी 20-25 किलोमीटर दूरी तय कर के लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी सी.एच.सी. और पी.एच.सी. हैं, उनकी क्या हालत है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। इलाहाबाद में स्वरूप रानी मैडीकल कॉलेज है। वह बहुत पुराना है। अब तो वह शायद केन्द्र सरकार के अधीन आ गया है। आज स्थिति यह है कि यदि वहां गरीब आदमी जाता है, तो वह इलाज नहीं करा पाता है। वह इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं। राज्य सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार नहीं दे रही है और केन्द्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है। कभी-कभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब हमारे पास आते हैं, तो हमें उन लोगों को उनके इलाज के लिए 500 या 1000 रुपए देने पड़ते हैं। हम लोग अपनी जितनी हैसियत होती है, उसके अनुसार उन्हें इलाज कराने के लिए रुपए देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे संसदीय क्षेत्र की एक विधान सभा के सम्मानित विधान सभा सदस्य, आदरणीय श्री रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया जी को, जिन्होंने मैडीकल कॉलेज के अंदर एक दुकान खुलवाई, जिसका नाम- सुशीला द्विवेदी मैडीकल स्टोर है। अपने क्षेत्र के गम्भीर बीमारी वाले चाहे जितने लोग आएं, उन्हें मैडीकल कॉलेज में एडमिट करा के फ्री दवाएं वहां से देते हैं। यह भावना होनी चाहिए। अगर ईश्वर किसी व्यक्ति को कुछ दे, तो उसे इसी प्रकार गरीबों की मदद करनी चाहिए। वहां आज भी यह स्थिति है।

सभापति महोदय, जहां तक स्कूलों की बात है, मैं बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर लड़कियों की शिक्षा की समस्या ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हम लड़कियों की एजूकेशन के लिए स्कूल नहीं खोल पाए हैं। सरकार योजना बनाती है-कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज और न जाने क्या-क्या, लेकिन लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल बहुत कम हैं।

एक-एक जिले में अगर एक-एक स्कूल आपने दे दिया तो उससे काम नहीं चलता। लड़कियां आज भी कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती हैं। अभी जनसंख्या पर हमने चर्चा की तो यहीं पर नाबालिग विवाह के बारे में चर्चा हो रही थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो मुस्लिम भाई हैं, अगर उनकी लड़कियां बहुत मुश्किल से प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल या हाईस्कूल पास कर पाती हैं तो उस परिवार को चिन्ता हो जाती है कि कैसे इस बेटी के हाथ पीले करें, यह स्थिति आ जाती है। इसलिए इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

आज भी हमारे गांव, जो दूर-सुदूर इलाके में हैं, रेलमार्ग और अच्छी-अच्छी सड़कों से बहुत दूर हैं, उनकी कनैक्टिविटी अगर देखी जाये तो स्थिति बहुत ठीक नहीं है। विकास वहीं होता है, जहां पर बड़े लोग रहते हैं, जहां असरदार लोग होते हैं। दूर-सुदूर के ग्रामीण इलाकों की स्थिति देखी जाये तो अगर सड़क एक बार बन गई है तो दोबारा पांच और दस साल के बाद बनती है, जबकि एक-डेढ़ साल में वे सड़कें उखड़ जाती हैं। 5-10 साल के बाद वहां पर सड़कों का नामो-निशान खत्म हो जाता है। हमें कुछ ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि निरन्तर हमारा विकास आगे बढ़े और लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

आज भी बिजली की स्थिति यह है कि हजारों गांव-पुरवे हैं, खासकर अनुसूचित जाति के और जो गरीब लोग हैं, जिनकी आबादी को कहीं उत्तर साइड, कहीं दक्षिण साइड, एक कोने में फेंक दिया जाता है, अगर उन्हें आवासीय पट्टा भी दिया जाता है और खेती के लिए जमीनें भी दी जाती हैं तो गांव के दूर-सुदूर इलाके में दी जाती हैं। आज भी उनके पूरे भारतवर्ष में हजारों ऐसे गांव हैं, जो बिजली से, विद्युतीकरण से वंचित हैं। आज हम लोग अपनी सांसद निधि से जरूरत पड़ती है तो पैसा देते हैं, लेकिन सांसद निधि की स्थिति क्या है, कल हम लोगों ने यहां उसका जिक्र किया था। मैं आज इस बहस के दौरान भी कहता हूं कि अगर हो सके तो इसको बढ़ा दीजिए, अन्यथा इसको समाप्त कर दीजिए। हम सभी सदस्य इसके लिए तैयार हैं।...(व्यवधान)

आज आप शहरों की मलिन बस्तियों की स्थिति देख लीजिए, जिस संकल्प पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज शहरों की मलिन बस्तियों की स्थिति भी बहुत खराब है। अब जाकर हमारे यहां पर भारत सरकार की जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना गई है। योजनाएं बन रही हैं, मेरे भी घर के पास इतनी बड़ी उम्र में वहां पर सीवर लाइन पड़ रही है, जबकि सीवर लाइन नगरपालिका एरिया में भी नहीं है। आज उन मलिन बस्तियों में भी वहां पर सीवर लाइन पड़ रही है। आज भी उन गली-कूचों में रहने वाले मलिन बस्तियों की स्थिति बहुत खराब है। वहां न बिजली है, न पानी है, न उनकी गलियों में खड़ंजा है, उनके बच्चे आज भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनके घर की औरतें आज भी बड़े घरों में जाकर बर्तन मांजकर

अपना पेट पाल रही हैं, शहरों की स्थिति यह है। नगरपालिका जो शहर के बीच में स्थित हैं, वहां पर यह स्थिति आज है। जिस संकल्प पर हम आज चर्चा कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाये तो आज भी 70 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। अगर देखा जाये तो 47 प्रतिशत बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं, यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है। अगर शिशु मृत्यु दर को देखा जाये तो 75 प्रति हजार है और मातृत्व मृत्यु दर अगर देखें तो 44 प्रति हजार है, हम लोगों ने बहस में हमेशा इस बात को कहा है कि हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। तीन बच्चों की स्थिति से हम दो बच्चों की स्थिति पर आये तो देखा गया है कि आज भी वे कुपोषण के शिकार हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, खासकर जो गरीब हैं, जिनके लिए आज हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, जिनके लिए पूरा सदन चिन्तित है, आज उनमें हीमोग्लोबिन की कमी है, वे एनीमिक हैं, वे तन्दरुस्त नहीं हैं, क्योंकि उनकी शादियां पहले हो जाती हैं। इस बात की जागरूकता आज भी समाज में नहीं है। हम सब की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम चाहे कहीं भी, किसी भी समारोह में जायें तो इस बात को हमें गम्भीरता से लेना पड़ेगा।

जहां तक देश की विकास दर को बढ़ाने की बात है, यहां पर तमाम चर्चाएं होती हैं। जब बजट पेश होता है तो तमाम चर्चाएं हमने की हैं। देश की विकास दर को बढ़ाने से गरीबी दूर नहीं हो सकती है। आज यह देखना पड़ेगा कि विकास दर के हाशिए के नीचे जो जीवनयापन करने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनके बारे में हमें चिंता करनी पड़ेगी कि उनको कितना फायदा हमने दिया है? इस ओर हमें ध्यान देना होगा। हम विकास की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जो भी विकास की नीतियां हैं, उनका हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा कि विकास के जो कार्यक्रम हैं, उसकी क्या योजनाएं हैं? सरकार अमेंडमेंट बिल लाती है, तमाम कार्यक्रम चलाती है, जिसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। लेकिन जब हम योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए जिला सतर्कता निगरानी समिति की बैठक में जाते हैं, तो हम लोगों की जो बुकलेट रहती है, वह सिर्फ आंकड़ों में सीमित रह जाती है। हम अगर किसी इलाके के बारे में उनसे पूछते हैं, तो कोई अधिकारी जवाब नहीं दे पाता है। मीटिंग की फार्मेलिटी करके हम वापस आ जाते हैं। हमें इतनी भी पॉवर नहीं दी गयी है कि हम उनसे योजनाएं पूछ लें। हम गाइडलाइन्स पर अगर उनसे बात करते हैं, तो कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। आज नौकरशाह हर योजनाओं पर हावी हैं। वह नौकरशाह केवल कागजों पर योजना और आंकड़ा बनाता है। यह देश आंकड़ों से नहीं चलेगा।

महोदय, हमारे देश में बहुत से एनजीओज काम कर रहे हैं। एनजीओज के बारे में कल-परसों ही सदन में चर्चा हुयी। मैंने प्रश्न किया था, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि कोई खास एनजीओ की बात हो तो

बताइए। आज भारत सरकार और राज्य सरकारों के अरबों-खरबों रूपए फर्जी एनजीओज को जा रहे हैं, जो सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। अगर उन पर बंदिश लगा दी जाए, तो हुकुमदेव नारायण जी, आप जिस आर्थिक व्यवस्था की बात कह रहे थे, वह उससे पूरी हो सकती है। एनजीओ कौन चला रहे हैं? अगर इसका मूल्यांकन किया जाए, तो बड़े घर के लोग और जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं, उनकी बीबियां एनजीओ चला रही हैं। इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर जांच करा ली जाए, तो आपके सामने पूरी तस्वीर आएगी कि भारत सरकार का पैसा, इस देश का पैसा कैसे बह रहा है? कैसे 125 घरानों तक वह पैसा पहुंच रहा है, जिसके बारे में कल हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे? यह देखने की आवश्यकता है।

रघुवंश बाबू जी जो बात कह रहे थे, उनमें तीन-चार प्वाइंट सामने आए हैं - शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसके साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति। हुकुम देव बाबू, अगर आज कानून है, तो वह केवल गरीबों के लिए है। अगर थोड़ी-बहुत भी आर.सी. आ जाती है, तो वह गरीब तहसील के लॉक-अप में रहता है। उत्तर प्रदेश में पता नहीं ऐसे कितने बड़े घराने हैं, लघु उद्योग-धंधे हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रूपए का बिजली का बकाया है, लेकिन वे नहीं पकड़े जाते हैं। आज यह स्थिति है। हमारे यहां जो गरीब, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, बैकवर्ड या मुस्लिम है, जो छोटा है, सरकार उसी के लिए कानून पर अमल करती है, उसको जेल भेजती है और उस पर मुकदमा चलाने का काम करती है। ...(व्यवधान)

मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा। रघुवंश बाबू ने एक बात कही कि व्यावसायिक प्रशिक्षण में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवार के कम से कम एक सदस्य को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाए। मैंने इस बारे में पहले भी इस सदन में यह बात कही है कि शिक्षा को जब तक आप रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस देश से बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। शिक्षा को सीधे रोजगार से आपको जोड़ना पड़ेगा। चाहे छात्र हों या छात्रायें, उनके इंट्रेस्ट की बात आपको देखनी पड़ेगी कि उसका इंट्रेस्ट कहां है या किस रोजगार की तरफ है? अगर उस रोजगार की तरफ उन्हें रोजगारोन्मुख बनाएं, जिधर उसका इंट्रेस्ट है, अगर उस दिशा में आप उसके लिए पढ़ाई की व्यवस्था देंगे, तभी उनको रोजगार मिल सकता है। मैं यह नहीं कहता कि सभी सरकारी नौकरी पा जाएंगे, लेकिन सरकारी, गैर-सरकारी या प्राइवेट कहीं भी वे नौकरी कर सकेंगे। वह कुछ भी रोजगार कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपने परिवार को पाल सकता है। रघुवंश जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश से लेकर देश की इस सबसे बड़ी पंचायत में भी हम लोगों ने इस बात को कई बार कहा था।

मैं लोक सभा में तीसरी बार चुनकर आया हूं। हमने इस सरकार को बराबर कहा कि गरीब लोगों को प्रशिक्षण देकर सरकारी, गैर-सरकारी, प्राइवेट रोजगार देने की व्यवस्था कीजिए। शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार दीजिए। यदि उन्हें रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता दीजिए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में सब शिक्षित बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। दुर्भाग्य से हमारी सरकार सत्ता में नहीं आई। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती तो उन बेरोजगार लोगों को और रोजगार मिलता। कन्या विद्या धन चलाया गया था। गरीब लड़कियां जो पढ़ नहीं पाती थीं, उनके लिए 20 हजार रुपये कन्या विद्या धन देने की बात हमारी सरकार में हुई थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिए थे। मैं वही बात केन्द्र सरकार से कहना चाहूंगा कि वह भी कम से कम इस ओर ध्यान दे। भूरिया जी, आप आदिवासी जनजाति मंत्री हैं। हम ट्राइबल एरिया में गए। वहां भी स्थिति बहुत खराब है। उन्हें भी पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें। एक संस्था है। हर मतदाता को हर महीने 1750 रुपये देने की व्यवस्था कीजिए। हम उस आन्दोलन से जुड़े हैं। उसमें 110 के करीब सांसदों ने साइन किए हैं। रघुवंश बाबू ने अपने संकल्प में व्यवस्था रखी है कि हर परिवार को कम से कम तीन हजार रुपये प्रति माह दिए जाएं। मेरे ख्याल से आज की महंगाई के समय में तीन हजार रुपये बहुत कम हैं। यदि ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं तो आप हर मतदाता को 1750 रुपये दे दीजिए। रुपये की व्यवस्था हो सकती है। आप पूछेंगे कि तीन हजार रुपये और 1750 रुपये कहां से आते हैं। इसी सरकार ने कहा था कि स्विस बैंक में जो धन है, उसे हम वापिस लाएंगे। यदि वह धन और बड़े-बड़े घरानों से रिकवरी हो जाए, तो मेरे ख्याल से धन की व्यवस्था बड़े आराम से हो सकती है।

भ्रष्टाचार की बात कही गई है। भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक इतना जबरदस्त है कि उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। हम सब चर्चा कर लेते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा नहीं की। आज आपने शून्य काल में पूरे सदन द्वारा कामन वैल्थ गेम्स का उदाहरण देखा। पूरे खजाने की लूट मची है। जितना लूट सके लूट, आज हमारे देश में यह स्थिति है।

रघुवंश बाबू ने इस संकल्प में एक प्वाइंट और रखा है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले जो बच्चे हैं, हम शिक्षा का अधिकार विधेयक लाए हैं। जगदम्बिका पाल द्वारा बात कही गई कि राज्य केन्द्र पर और केन्द्र राज्य पर थोपता है। उसे जाने दीजिए, शिक्षा का अधिकार है। लेकिन मैं इस संकल्प पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि कम से कम बीपीएल को चिन्हित कर लीजिए, चाहे तेंदुलकर रिपोर्ट हो, गुप्ता रिपोर्ट हो, योजना आयोग की रिपोर्ट हो, सरकार की रिपोर्ट हो, सब आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि 50-60 प्रतिशत के बीच बीपीएल लोग हैं। उनके बच्चे प्राइमरी से लेकर जब

तक पढ़ें, व्यावसायिक शिक्षा तक की व्यवस्था आपको निशुल्क देनी पड़ेगी, तभी हम डा. रघुवंश प्रसाद जी द्वारा लाए गए संकल्प को पूरा कर सकते हैं और सभी सदस्यों की मंशा पूरी हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, आपने मुझे डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा लाए गए संकल्प पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सम्मानित सदस्यों की बात सुन रहा था। डा. रघुवंश प्रसाद जी, माननीय हुक्मदेव नारायण यादव जी, शैलेन्द्र जी बोल रहे थे और आगे और वक्ता भी अपनी बात रखेंगे। इस देश में जो गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी है, उस बारे में माननीय सदस्यों ने चर्चा की और तमाम महापुरुषों का जिक्र भी आया। चाहे वह महात्मा बुद्ध, नारायणा गुरू, आचार्य नरेन्द्र, लोहिया जी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर या कांशी राम रहे हों, ऐसे तमाम महापुरुष इस देश में पैदा हुए, जिन्होंने इस देश में गैर बराबरी चाहे वह अमीरी-गरीबी की हो या किसी भी तरह की हो, इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी के लिए जिंदगी भर संघर्ष किया, वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। आज इस संकल्प के माध्यम से गरीबी को दूर करने के लिए चर्चा हो रही है। इस देश में गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस देश में तमाम ऐसे महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने संविधान में सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी को दूर करने के लिए व्यवस्थाएं दीं। आज सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी को दूर किये बगैर हम इस देश से गरीबी को कभी मिटा नहीं सकते। अगर गरीबी को मिटाना है, तो हमें सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी को दूर करना होगा, जिसके लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने अपनी जिंदगी लगा दी।

महोदय, मैं शैक्षिक गैर-बराबरी के बारे में कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान के दस्तावेज में इस बात का समावेश किया कि 14 साल तक के तमाम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। लेकिन कई दशकों के बाद इसे देश में लागू करने का मौका मिला। आज गरीबी पर चर्चा हो रही है। इस देश में बिलो पावर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनका वर्ष 2002 में सर्वे हुआ था। तमाम प्रदेशों को जो लक्ष्य निर्धारित किया और तमाम प्रदेशों से बार-बार भारत सरकार को पत्र आते रहे हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, मैं आंकड़ों में नहीं जाता, लेकिन जो संख्या है, उसका सही तरीके से आकलन किया जाये। इसके लिए योजना आयोग ने कई आयोगों का गठन किया, चाहे वह तेंदुलकर कमीशन हो या सक्सेना कमीशन की रिपोर्ट हो। आज तक भारत सरकार इस देश में गरीबों की वास्तविक संख्या का पता नहीं लगा पायी। इसलिए जब तक हम इस देश में गरीबों की वास्तविक संख्या का पता नहीं लगा सकते तब तक हम जो बजट बनाते हैं, उसका हित मुझे समझ में नहीं आता। उन गरीबों की बेहतरी के लिए हम बजट में कैसे प्रावधान करेंगे? इस देश में 70 फीसदी से ज्यादा किसान, मजदूर और बुनकर नौजवान हैं। आजादी के 63 सालों में कई बार इस देश की पार्लियामैंट में यह चर्चा हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि आजादी से लेकर अब तक प्रदेश और देश की सरकारों में हमारे तमाम लोग आये और गये, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उस पार्टी की है, जिसने सबसे

ज्यादा दिनों तक इस देश में शासन किया है। अब नीतियों तो तमाम बनती रहती हैं, लेकिन ईमानदारी से उसे लागू नहीं किया जाता। इसलिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि नीति चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर हमारी नीयत अच्छी नहीं है, तो हम कभी भी गरीबों के हित में उस नीति को नहीं ले जा सकते। इसलिए हमारी नीति चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब तक हमारी नीयत अच्छी नहीं होगी तब तक हम गरीबी को दूर नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि जब से मुल्क आजाद हुआ और लोकतांत्रिक व्यवस्था इस मुल्क में कायम हुई, इस देश में वह जमाना भी रहा जब कुछ चंद-चालाक लोग इस मुल्क की सियासत के मालिक थे।

लेकिन देश में ऐसे लोग भी पैदा हुए जिन्होंने गरीबों की बात सामने रखी। जब तक गरीब को भागीदारी का मौका नहीं मिलेगा, वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, वोट के माध्यम से शासन-प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित नहीं करेगा, तब तक गरीब अपने हित में कानून नहीं बना सकता है। कितने लोग हैं इस देश की पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट जो देश की सबसे शक्तिशाली संस्था है? इस देश की पार्लियामेंट में गांव के गरीब की बेहतरी के लिए कानून बनते हैं। आज उनकी संख्या कितनी है? अगर अब तक की सरकारों की नीयत साफ होती, तो मैं समझता हूं कि आज इस संकल्प पर चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती।

माननीय हुक्मदेव नारायण जी गरीब और किसान की चर्चा कर रहे थे, वह सम्मानित सदस्य हैं, इन्होंने गरीबों की पीड़ा को पहचाना है। जब वह चर्चा कर रहे थे, मैं समझता हूं कि सुनने वाले लोगों के मानस-पटल पर वह चित्र घूम गया होगा। हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे गरीब परिवार से ताल्लुक न रखते हों, लेकिन उन्होंने देखा जरूर होगा कि गांव में कैसी गरीबी, बेरोजगारी और लाचारी है। आज भी गांव में गरीब लोग जिनके बारे में चिंता जाहिर की जा रही है। ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं, माताएं हैं जिन्हें जाड़े के दिनों में तोशक और रजाई नसीब नहीं हो पाती है। अगर गांवों में पुआल न पैदा हो, तो उनकी जाड़े की रात न कट पाए। आजादी के इतने दिन बाद भी उन्हें जाड़े में ओढ़ने के लिए रजाई नहीं मिल पाती है। वे गुदड़ी और चटाई ओढ़कर जाड़े में रात काटते हैं। तकलीफ तब होती है, जब हम यह देखते हैं कि इस देश के गांव में रहने वाली गरीब मां पुआल पर गुदड़ी बिछाकर सोती है, उसका 6 महीने का बेटा उसकी गोद में सोता है। जाड़े के दिनों में अगर कोई किसी को गीले हाथ से छू दे तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन जिस गुदड़ी पर उस मां का छोटा सा बेटा सोता है, उस गरीब मां के पास दूसरी गुदड़ी नहीं होती है बदलने के लिए, मां को अपने बेटे से ममता होती है इसलिए मां खुद भीगे हुए बिस्तर पर सो जाती है और अपने बच्चे को सूखे बिस्तर पर लिटा देती है कि भीगे हुए बिस्तर पर सोने से उसे बुखार हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी क्योंकि बड़ा होकर यही बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या कभी उस

गरीब मां की चर्चा हुई इस देश की पार्लियामेंट में? उसकी बेहतरी और विकास के लिए क्या कभी सरकारों ने सही तरीके से कार्यक्रम बनाया?

जिस सामाजिक गैर-बराबरी की चर्चा इस पार्लियामेंट में हो रही है, आज भी देश में रहने वाले ऐसे गरीब लोग हैं, चाहे वे अनुसूचित जाति के हों, पिछड़े हों या माइनॉरिटीज के हों या किसी समाज के रहने वाले लोग हों, आजादी के 63 वर्षों बाद भी, इसके पिछले कई वर्षो में हमं 20वीं सदी के आखिरी सोपान पर खड़े होकर हम 21वीं सदी का सपना देख रहे थे, यह बहुत दुख और विडम्बना की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी हमारे बराबर में बैठने की इजाजत नहीं है। आज भी देश में बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं, जिन्हें मैं समझता हूं कि यहां बैठे माननीय सदस्य जानते होंगे। उनमें से मुसहर वह समाज है, जो पत्तल बनाता है, जिसके बनाए हुए पत्तलों में हम अपने कार्यक्रमों में खाना खाते हैं, लेकिन मुसहर के बेटे को हमारी कतार में बैठने की इजाजत नहीं है। जब पत्तल में खाने के बाद बचे हुए रोटी के टुकड़े को हम फेंकते हैं, उस रोटी के टुकड़े को लेने के लिए जहां कुत्ता दौड़ता है, वहीं उस टुकड़े को लेने के उस मुसहर का बेटा भी दौड़ता है, तो इंसान और जानवर में फर्क कहां है? आज हम गरीबी को दूर करने की बात कह रहे हैं, इसलिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि केवल आंकड़ों के मकड़जाल में फंसने और फंसाने की बजाए सही नीति और सही नीयत के माध्यम से हम गरीबी, लाचारी और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो कुशल कारीगर हैं, लेकिन फिर भी परेशान हैं। मैं जहां से चुनकर आता हूं, उस क्षेत्र में बुनकर काफी संख्या में रहते हैं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the time allotted for discussion on this Resolution is over and I have a list of about 12 more Members to speak. If the House agrees, I will give one more hour for this discussion.

SEVERAL HON. MEMBERS: We agree.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please continue.

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति महोदय, आज तमाम ऐसे गरीब लोग, जो किसान हैं, बुनकर हैं, परेशानी की हालत में हैं। इसके लिए वे लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं जो नीतियां बनाते हैं और उन नीतियों को कार्यरूप देने वाले जो लोग हैं, वे सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। देश की आजादी के बाद से आज तक कई बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि गरीबी तो नहीं हटा पाए, बल्कि गरीबों को हटाने की साज़िश हो रही है।

अभी शैलेन्द्र जी उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहे थे। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं और वह देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। उस सूबे में तमाम ऐसे महापुरूष पैदा हुए, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। इसी प्रदेश से करीब आधा दर्जन प्रधान मंत्री भी पैदा हुए हैं। लेकिन फिर भी वह प्रदेश आज तक सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है और पिछड़ा हुआ माना जाता है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। कहा जाता था कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश के होकर जाता है, लेकिन आज वह प्रदेश उपेक्षित है।

मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, जिसकी मुखिया बहन मायावती जी हैं। आज हम राष्ट्र मंडल खेलों में हुई अनियमितताओं की चर्चा कर रहे थे और हमने पहले भी इस पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं गरीबी पर चर्चा करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। वहां की सरकार ने कई बार केन्द्र सरकार से कहा कि आप बीपीएल सूची को बढ़ाएं, लेकिन आज तक भारत सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहते हूं कि सूची नहीं बढ़ाए जाने के बावजूद उसने ऐसे 30 लाख लोगों को चिन्हित किया है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं और बीपीएल सूची में शामिल किए जा सकते हैं। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार ने ऐसे परेशान और गरीब लोगों को 300 रुपए प्रति माह देने की व्यवस्था की है।

परसों सदन में जनगणना पर हुई चर्चा के दौरान हमने बालिकाओं और कन्या भ्रूण हत्या पर भी चर्चा की थी। उसमें यह कहा गया था कि लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले नहीं होनी चाहिए। ऐसी गरीब बच्चियां, जिनके माता-पिता दिन भर मजदूरी करने के बावजूद भी उन्हें पढ़ा नहीं सकते, आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, उन्हें दो वक्त का खाना नहीं दे सकते, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी तमाम गरीब बच्चियों को दसवीं और बारहवीं क्लास में जाने पर 10,000 और 15,000 रुपए देने का निर्णय किया है। इसके अलावा स्कूल आने-जाने के लिए उनके लिए साइकिल की भी व्यवस्था की है। अगर गरीब की बेटी इंटर कर ले या उससे अधिक पढ़ ले तो उच्च शिक्षा ग्रहण करके वह शादी के लिए एक तरह से काबिल

हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई लड़के वाले माता-पिता अपने बच्चे की शादी के लिए आते हैं तो लड़की के घरवालों से यही सवाल किया जाता है कि क्या आपकी बेटी पढ़ी-लिखी है या नहीं। अगर आपने कहा कि बेटी पढ़ी है तब शादी की बात आगे चलती है, अगर कह दिया कि बेटी पढ़ी-लिखी नहीं है तो शादी की बात वहीं रुक जाती है। आज अगर गरीब की बेटी पढ़-लिख जाएगी तो आगे मास्टर-डाक्टर बनकर अपनी बेहतरी के लिए काम करेगी और अच्छे घर में उसकी शादी होगी - ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है।

संसद के दोनों सदनों में भ्रूण-हत्या की चर्चा कई बार हुई है लेकिन कोई ठोस काम इस पर नहीं किया गया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री थे, उनके जमाने से इस पर चर्चा हो रही है, मैं उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि बेटी-बेटा एक समान का नारा तो हम पूरे देश में सुनते हैं, पखवाड़े मनाये जाते हैं लेकिन ईमानदारी से अगर कुछ किया गया है तो वह उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगर जिस दिन बेटी पैदा होगी, सरकारी खजाने से इतना पैसा जमा होगा कि 18 साल के बाद जब बेटी बड़ी होगी, तो उसके बूढ़े बाप को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरुरत नहीं होगी, बल्कि उसके हाथ में एक लाख रुपये का चैक दिया जाएगा, उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए - यह हमारी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, जब शहरी गरीबों की चर्चा हो रही थी कि उनके पास आवास नहीं है, हमारी सरकार ने माननीय कांशी राम जी के नाम पर, जिन्होंने पूरा जीवन सामाजिक परिवर्तन के लिए लगा दिया, कांशी राम शहरी आवास योजना, केवल कहने के लिए नहीं, मनोबल को गिराने के लिए नहीं कि 20 हजार रुपये दे रहे हैं बल्कि 1 लाख 75 हजार रुपये, दो कमरे का मकान, लैटरिंग-बाथरुम और किचन के साथ हमारी सरकार ने देने का काम किया है। ...(व्यवधान) हमारी सरकार संवेदनशील है और गरीबों के उत्थान के लिए काम करती है। अब तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे बेरोजगारी के नाम पर लोगों को बहकाती रही हों, लेकिन हमारी सरकार लोगों को नौकरी देकर स्वावलम्बी बनाना चाहती है। हमारी सरकार ने 1 लाख 9 हजार नौकरियां लोगों को एक साथ दी हैं।

अभी सिपाहियों की भर्ती हुई है। आप जानते ही होंगे कि हमारे से पहले जो सरकार थी उसने भी सिपाहियों की भर्ती की थी, सारी दुनिया जान गयी थी कि कितना भ्रष्टाचार था, कहां से लिस्ट जाती थी। आज इस तरह की बात कोई नहीं कह सकता है। मैं तो देश के गृह मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की भर्ती में पारदर्शिता हुई, उसी तरह से दूसरी फोर्सेज में भी भर्ती होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने चाहे वृद्धा पेंशन हो, विकलांगों की मजदूरी हो, उसे दुगुना करने का काम किया है। शादी अनुदान जो 10 हजार मिलता था, उसे बीस हजार किया है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस इंदिरा आवास योजना के नाम पर पूरे प्रदेश में लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जब उनकी संख्या कम हो गयी तो महामाया आवास योजना के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम गरीबों को चिन्हित करके, उनको आवास देने का काम किया। गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, उनकी मां महामाया के नाम पर इस आवास योजना का नाम दिया गया है।

आज उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए चिंतित है, संवेदनशील है। हमारे साथी बिजली की बात कह रहे थे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के तहत जो टार्गेट फिक्स किए गए हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त हुए हैं, केवल रायबरेली और सुल्तानपुर को 452 करोड़ रुपए दिए गए, बाकी 137000 जो मझरे गांव हैं, उनके लिए आज भी भारत की सरकार ने एक भी पैसा देने का काम नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि इस पर भी विचार होना चाहिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) … [*]

MR. CHAIRMAN: Please wind up now.

श्री दारा सिंह चौहान : क्या रायबरेली और सुल्तानपुर के अलावा कहीं गरीब नहीं हैं। सही बात कहने पर आपको तकलीफ हो रही है।...(व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): प्लानिंग कमीशन ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत पैसा दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया है। पूरे प्रदेश को पैसा दिया है और ये सिर्फ दो जिलों की बात कह रहे हैं।

श्री दारा सिंह चौहान : अगर आपने पक्षपात नहीं किया होता, तो आज देश में जो गैर-बराबरी है, वह खत्म हो जाती।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I will call the next speaker.

… (*Interruptions*)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आपने क्या दिया है?...(व्यवधान)

MR.CHAIRMAN: I gave you enough time to speak. I told you to address the Chair.

… (*Interruptions*)

---

[*] Not recorded

श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, मैं पूरे सदन को बधाई देना चाहता हूं और उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं, जो इस संकल्प के प्रति बहुत गंभीर हैं। इस पर बल देते हुए कि आने वाले समय में इस विषय पर विस्तार से गंभीरता के साथ चर्चा होगी। नीयत अगर निश्चित रूप से साफ होगी, तो आप जो नीति बनाएंगे, उसे अगर ईमानदारी से लागू करेंगे और सामाजिक-आर्थिक गैर-बराबरी को दूर करने के लिए ईमानदारी से कदम बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हम इसे खत्म कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, यह संकल्प बहुत ही सामयिक है और प्रासंगिक भी है, क्योंकि आज पूरे देश में गरीबों की पहचान और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के निर्धारण के बारे में मैथ्डोलोजी अपनाने के बारे में विरोधाभास है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और योजना आयोग में ऊहापोह की स्थिति है। ऐसे समय में इस संकल्प को लाने के लिए डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और सदन के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसमें अभिरुचि दिखाई है। संकल्प पेश करते हुए विस्तार में डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने चर्चा की, गरीबी का विश्लेषण किया। गरीबों की पहचान करने के मामले में अब तक जो त्रुटियां रहीं, कोई प्रामाणिक मानक अब तक निर्धारित नहीं हो पाया है। उसका भी उल्लेख किया है। पुराने समाजवादी नेता जिनके नेतृत्व में विद्यार्थी जीवन में हम भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री हुक्म देव नारायण यादव जी ने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण और चित्रण करके मुख्य रूप से बताया है कि गरीबी मिटाने में साधन की उपलब्धता के मामले में कोई दिक्कत नहीं है।

सरकार कहती है कि साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कब तक हम गरीबी मिटाएंगे। 2020 का विजन आया है। 2015 की चर्चा हुई है लेकिन सिर्फ यही नही है कि गरीबी मिटाने के लिए साधन चाहिए। यह भी है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग इस देश में हैं, यह सबसे बड़ा आज सवाल है और सरकार इस पर एकमत नहीं हो पा रही है। योजना आयोग और ग्रामीण विकास विभाग के मामले पर सरकार एकमत नहीं हो पा रही है।

महोदय, मैं साधन पर चर्चा करूंगा। स्थिति बहुत विस्फोटक है और विस्फोटक स्थिति यह है कि अब तक कई कमेटियां बनीं। सबसे पहली कमेटी लाखड़ावाला साहब की बनी जिन्होंने कैलोरी पर मानक तय किया। उसके बाद दो और कमेटी बीच में बनीं। सेन गुप्ता साहब और सक्सेना साहब की बनी। अंत में, सरकार ने 2005 में श्री सुरेश तेंदुलकर की कमेटी बिठाई जिन्होंने पहले के जो मानक थे, उनको खारिज किया और अभी तक जो इंडीकेटर आया है, गरीबों की पहचान करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण करने के लिए एक तो पॉवर्टी हैड काउंट रेशियो है, इसे भी सरकार ने अपनाया। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरिएड, यूआरपी को भी सरकार ने अपनाया और एमआरपी यानी मिक्स्ड रिकॉल पीरिएड, इसे भी सरकार ने अपनाया। लेकिन स्थिति इतनी भयावह है कि जो अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि अफ्रीका के सब-सहारन अफ्रीकन कुछ देश ऐसे हैं, जिनसे भी हिन्दुस्तान की स्थिति ज्यादा खराब हुई है। यह पहली सितम्बर 2008 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और उसमें क्या कहा गया है:-

"Despite sustained high GDP growth in India latest estimates of growth in poverty by World Bank suggest that India has more people living below US dollar 2 than even sub-Saharan Africa. These new figures would compel political leaders and policy makers to devise fresh strategy to reduce poverty."

यह वर्ल्ड बैंक ने कहा है और आगे क्या कहा है:-

"None other than the World Bank has busted the hype about India's post-liberalisation success. According to the Banks new estimates not only India is home to roughly one-third of all poor people in the world. It also has a higher proportion of its population living on less than $2 per day than even sub-Saharan Africa."

चेतावनी दी है कि गरीबों की पहचान करने के मामले में और गरीबी रेखा से नीचे जो रहने वाले लोग हैं, उनका निर्धारण करने के मामले में और उसका उपाय करने के लिए कारगर कदम भारत सरकार उठाए। यह वर्ल्ड बैंक ने कहा है और आगे क्या कहा है:-

"Compared with the India's 828 million people or 75.6 per cent of the population living below US dollar 2 a day, sub-Saharan Africa considered the world's poorest region ranks better with 72.2 per cent of its population about 551 million people below US dollar 2 a day level."

यह तुलनात्मक सर्वेक्षण किया है। इथोपिया है, तंजानिया है, ऐसे देशों के बारे में हम लोग जानते हैं कि अफ्रीकन देश है। वहां भुखमरी है। वहां भुखमरी से मृत्यु होती है, जिसकी हम चर्चा करते हैं। लेकिन आगे और क्या कहा है। यूएनडीपी तथा वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि 8 राज्य ऐसे हैं जहां सिर्फ 42 करोड़ लोग जो भारत सरकार का मानक है और जो कमेटी की लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके अनुसार 42 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है। 1.25 यूएसडॉलर पर-डे पर रहता है। 2.0 नहीं 1.25 डॉलर रहता है। ऐसे राज्य, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा हैं, इनके बारे में तेंदुलकर कमेटी ने कहा है कि योजना आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय में बहुत विरोधाभास है। सरकार ने 25 फरवरी, 2010 को राज्यसभा में स्वयं गरीबों के आकलन के बारे में उत्तर दिया है - राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान योजना आयोग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग लगाया जाता है। अतः ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार की पहचान करने के लिए बीपीएल जनगणना कराता है। इसके साथ यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे परिवारों की कुल संख्या योजना आयोग के अनुमान के समरूप हो। इसका मतलब है योजना आयोग रूरल और अर्बन,

दोनों का सर्वे कराता है जबकि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ रूरल का सर्वे कराता है। लेकिन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से यह अपेक्षा की जाती है कि योजना आयोग का आंकड़ा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आंकड़े के समरूप हो, उससे अलग नहीं हो। यह रिपोर्ट सरकार के अध्यधीन है, सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है कि इसे लागू करें या नहीं। तेंदुलकर कमेटी ने 37.2 प्रतिशत कहा है। इससे पहले योजना आयोग ने कहा था - राष्ट्रीय स्तर पर बिलो पावर्टी 27 परसेंट लोग रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा गरीबी प्रतिशत इस प्रकार से है - 54.4 प्रतिशत बिहार, 49 प्रतिशत छत्तीसगढ़, 45 प्रतिशत झारखंड, 48 प्रतिशत मध्य प्रदेश, 57.2 प्रतिशत उड़ीसा, 40 प्रतिशत त्रिपुरा, 40 प्रतिशत उत्तर प्रदेश। नेशनल एवरेज से जिन राज्यों का प्रतिशत ज्यादा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आठ राज्यों का 42 करोड़, इस तरह से करीब मिलता जुलता है। लेकिन सरकार ने इस मामले में कोई नीति नहीं बनाई है। इस समीक्षा को, इस रिपोर्ट को अभी तक एडॉप्ट नहीं किया है। लक्कड़वाला कमेटी से लेकर अभी तक यात्रा चल रही है लेकिन एक या डेढ़ परसेंट प्रति वर्ष के हिसाब से भी गरीबी नहीं मिट रही है। गरीबी से ज्यादा पापुलेशन बढ़ रही है। गरीबी रेखा से नीचे लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब सरकार कह सकती है कि हम साधन कहां से लाएंगे? अभी हुक्मदेव जी ने 14 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया था। शैलेन्द्र जी ने स्विस बैंक की चर्चा की थी कि स्विस बैंक में बहुत पैसा लगा हुआ है। कई वर्षों से हल्ला हो रहा है कि स्विस बैंक से पैसा निकालो। आप देश के बड़े घरानों, उद्योगपतियों और इजारेदारों को हर प्रकार की छूट देते हैं, जैसे 14 लाख करोड़ चला गया है। तीसरा स्रोत है और इस देश में जीडीपी का बहुत हल्ला है। विकास दर की प्राप्ति होती है, बाहर से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, बरस रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। यह पैसा गरीबों के घर में नहीं जाता है। लेकिन कुछ बड़े लोग पैदा हो रहे हैं जिनके खर्च पर कोई सीमा नहीं है। इस देश के उद्योगपति 8000 करोड़ रुपए से मकान बनाते हैं ताकि उस पर हैलीकॉप्टर लैंड कर सकें और वे अपनी पत्नी को तोहफा दें। इस पर कोई सीमा नहीं है। आप आमदनी पर टैक्स लेते हैं। हम चाहते हैं कि खर्च पर सीमा बांधी जाए तो कई लाख करोड़ रुपए का उपार्जन होगा, सरकारी खजाने में जाएगा। आप खर्च पर सीमा बांधिए। डॉ. लोहिया के बारे में हुक्मदेव जी ने कोट किया है। मैं भी उस स्कूल का विद्यार्थी हूं। हमारे रघुवंश बाबू समाजवादी आंदोलन के नेता रहे हैं, उन्होंने भी कोट किया है। लेकिन डा.लोहिया एक अर्थशास्त्री भी थे और इस देश में सबसे पहले महात्मा गांधी से आजादी के बाद जिस पीढ़ी के लोगों का परिचय कराया गया, उसमें हमारी पीढ़ी के लोग हैं और हमने यह समझा कि मार्क्स से भी बड़ा क्रांतिकारी यदि कोई इस देश में था तो वह महात्मा गांधी थे। डा. लोहिया ने कहा कि खर्च पर सीमा बांधो, तभी देश में समतामूलक समाज की स्थापना होगी और संभव गैरबराबरी की बात उन्होंने कही - अगर बराबरी संभव नहीं है, पूर्णरूपेण

बराबरी नहीं होगी तो संभव बराबरी तब होगी, इस देश में जो दौलत पैदा हो रही है, जिसे लोग खर्चा करते हैं, जिस पर कोई सीमा नहीं है, उस खर्चे पर सीमा बांधो। जब यह पैसा आयेगा तो गरीबी मिटेगी।

आपने राइट टू एजूकेशन बिल पास किया है। कहा गया कि इस पर बहुत पैसा खर्चा होगा, लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होंगे। आपने राज्य सरकारों पर अपना जिम्मा डाल दिया है। इसी सदन में बिल पर मानव संसाधन मंत्री जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि यह इसीलिए कम्पलसरी है। तब हमने कहा कि हम लोग जीवन भर समाजवादी आंदोलन में लड़ते रहे हैं कि मौलिक अधिकार में रोजगार शामिल करो, मौलिक अधिकार में हमारी शिक्षा को शामिल करो। यदि मौलिक अधिकार का सरकार अनुपालन नहीं करेगी तो कोर्ट का रास्ता हमारे लिए खुला है। जब यह बात कही गई तो कहा गया कि यह राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। राज्य सरकार अपने यहां शिक्षा को सुनिश्चित करे और राइट टू एजूकेशन बिल जो पास होगा, उसे वह लागू करे। यह मंत्री जी ने उत्तर में कहा था। राइट टू एजूकेशन में जो पैसा खर्च होने जा रहा है, वह पैसा गरीबी मिटाने में नहीं जा रहा है। आप प्रत्येक परिवार के लिए तीन हजार रुपये प्रति माह की बात कह रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें बाकी हैं। अभी तक गरीबों की पहचान नहीं हो सकी है। इसमें विरोधाभास है। बिहार सरकार ने कहा कि हमारे प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। यह जो हम कह रहे हैं, वही अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा है और यूएनडीपी में जो रिपोर्ट आई है, उसमें आठ राज्यों को बताया है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री और बिहार सरकार ने जो कहा है, वह सत्यापित होता है, प्रमाणित होता है। हर राज्य में यह समस्या है। आप गरीबों की पहचान क्यों नहीं कराना चाहते हैं। आप इसलिए नहीं कराना चाहते हैं कि गरीबी मिटाने के नाम पर आपको जो-जो उपाय करने पड़ेंगे, आप उन उपायों से बचना चाहते हैं। आप बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। जबकि गरीबी मिटाना आपका नारा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिस उद्देश्य से पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था - कोऑपरेटिव कॉमनवैल्थ एंड सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इस देश में लाई जाए। उस रास्ते से आज आप भटक गये हैं।

सभापति महोदय, यहां संकल्प तो आया है, मैं चाहता हूं कि डा.रघुवंश बाबू के इस संकल्प से, श्री हुक्मदेव नारायण यादव के भाषण से सरकार को सद्बुद्धि आये, सरकार इस संकल्प को मान ले और संकल्प को मानकर गरीबी मिटाने के नाम पर गरीबों की पहचान करने के मामले में जो तीन साधन हमने बतायें हैं, संसाधन जुटाने के मामले में सरकार को सद्बुद्धि आये और सरकार इस ओर अग्रसर हो। धन्यवाद।

श्रीमती भावना पाटील गवली (यवतमाल-वाशिम): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, जो डा. रघुवंश प्रसाद यादव जी के...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : वह यादव जी नहीं, सिंह हैं।

श्रीमती भावना पाटील गवली : उन्होंने पेस्ट किया हुआ है।

श्री मंगनी लाल मंडल : रघुवंशी हैं, यदुवंशी नहीं हैं। लेकिन वह लोहियावंशी हैं।

श्रीमती भावना पाटील गवली : मैं यहां जो बैठी हूं, सारे सिंह और यादव लोगों के बीच में बैठी हूं। सब लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र ...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : मैं यादव नहीं हूं, मैं क्या हूं...(व्यवधान)

श्रीमती भावना पाटील गवली : मैं अपने विषय पर आना चाहती हूं। यहां जो चर्चा चल रही है, इसमें हमारी बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। इसमें बहुत सारे मुद्दे यहां सामने आये हैं कि गरीबी हम कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूं कि जब तक हमारी मंशा नहीं होगी,

18.00 hrs.

जब तक हम संसद में बैठे हुये सभी सांसदों और सरकार की मंशा नहीं होगी तब तक हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर नही उठा सकते हैं। मैं इस के लिये दो-तीन सुझाव रखना चाहती हूं।

सभापति महोदय, यहां युवकों, महिलाओं और उनके सल्फ हैल्प ग्रुप के बारे में विषय रखा गया है। जो हमारी योजनायें चल रही हैं, जब तक उनमें महिलाओं के पास पैसा नहीं जायेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। जो सैल्फ हैल्प ग्रुप की महिलायें बैंक जाती हैं तो उन्हें वहां कोई रैस्पांस नहीं मिलता है। मैं समझती हूं कि गरीबी खत्म करने के लिये पंक्ति के अंतिम आदमी के पास जाना चाहिये जिन्हें इस योजना की आवश्यकता है। इस योजना के कारण ही वह आगे बढ़ सकेंगी। इस योजना से उनकी उन्नति और प्रगति होगी। जब हम अपने क्षेत्र में जातें हैं ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shrimati Bhavana Patil Gawali, you can resume your seat now. You will be allowed to speak next time.

Now, Zero Hour. Shri Hassan Khan.

श्री हसन खान (लद्दाख): सभापति महोदय, लद्दाख में भयानक अनप्रेसीडेंटेड नेचुरल केलैमिटीज के बारे में मैंने जीरो ऑवर के लिये सुबह नोटिस दिया था जहां तबाही हुई है। इस बात से आगाह करने के लिये मैं सुबह कहना चाहता था लेकिन कामनवैल्थ गेम्स की बहस के कारण मुझे टाईम नहीं मिल सका। बहरहाल, मैं इस हाऊस के जरिये सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि दो दिन से लद्दाख में नेचुरल बर्स्ट हुआ है और काफी तबाही हुई है। इस बारे में और खबरे आ रही हैं कि लेह के 6-7 गांवों में लोगों के जान-माल और सड़कों का नुकसान हुआ है। लद्दाख की हिस्ट्री में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। इस अनप्रेसीडेंटेड नेचुरल कलैमिटीज के वजह से पूरा लद्दाख मुल्क से कट चुका है। सड़कें और पुल बह गये हैं। हवाई अड्डे पर भी हवाई जहाज लैंड नहीं कर सकता है। बीएसएनएल का कम्युनिकेशन नैटवर्क तबाह हो चुका है। अब हमें इत्तलाह मिल रही है। मैं आपकी मार्फत सरकार से गुजारिश करूंगा कि सैंट्रल गवर्नमेंट के लैवल से वारफुटिंग पर रैस्टोरेशन और रिहैब्लिटेशन काा काम शुरु क्या जाये।

सभापति जी, लद्दाख मुल्क के बाकी हिस्सों से 6-7 महीने तक कट आफ रहता है और यही वे महीने हैं जो हमें मिलते हैं जब हम ट्रांसपोरटेशन के जरिये सामान लाने का काम करते हैं, डैवलेपमेंट काम किया जाता है और खासकर सैंकड़ों-हज़ारों टूरिस्ट्स वहां आते हैं। देहात के लोग इन्हीं महीनों में अपना राशन पानी का सामान ट्रासपोर्ट से लाकर रखते हैं। ऐसे मौके पर आज लद्दाख देश के हिस्सों से कट गया है। कम्युनिकेशन नेटवर्क तबाह हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि पूरा इलाका दुख और गम में पड़ा हुआ है। अभी तक कम से कम 150 लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। अभी और लाशें निकलने का अंदेशा है क्योंकि पहाड़ के पहाड़ गिरकर आये हैं जिसमें और लोग दबे हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल खराब हो चुका है। यहां तक कि मरीजों को आर्मी हॉस्पीटल में शिफ्ट किया जा चुका है। बीएसएनएल का दफ्तर बह चुका है जिसकी वजह से पूरा नैटवर्क खत्म हो चुका है।

इन शॉर्ट केस ऐसी तबाही वहां के लोगों ने आज तक नहीं देखी है। इसके लिए मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज़, जो इन चीजों के लिए काम करती हैं से यही गुजारिश होगी। यह स्टेट गवर्नमेंट की हद से, ताकत से बाहर है। बीआरओ रोड्स को ठीक कर सकते हैं, इसी तरीके से हवाई पट्टी, हवाई अड्डे को ठीक करने की जरूरत है। बीएसएनएल के जो नेटवर्क खराब हो गये हैं, उन्हें तत्काल किसी न किसी तरीके से रेस्टोर करने की जरूरत है। रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का जो काम है, इन हालात को देखते हुए उसे वार फुटिंग पर लेने की जरूरत है। उन इलाकों में, पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए इससे बड़ी मुसीबत आज तक देखने को नहीं मिली है। अचानक, वह भी रात के साढ़े बारह बजे, जब लोग सोये हुए थे तो पहाड़ के पहाड़ गिरे और मकान, पुल, अस्पताल आदि जो भी हैं, वह सब बहाकर ले गये हैं। मेरी

सरकार से यही गुजारिश है कि जितनी भी एजेंसीज़ हैं, उन्हें वार फुटिंग पर निर्देश दिया जाये कि जितनी जल्दी हो सके, इसे रेस्टोर करें। जो लोग मरे हैं या जिनका नुकसान हुआ है, उनके लिए जो मदद हो सके, वह जल्दी से जल्दी दी जाये। हमारे पास उस एरिया में समय बहुत कम है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्द इलाका है, उसके बाद बर्फबारी शुरू होगी, तापमान मायनस में चला जायेगा, यही एक-दो महीने रेस्टोरेशन के लिए बचते हैं, इसे दुबारा किसी हद तक अपनी जगह लाने के लिए। इन्हीं अल्फाज़ के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सारा सदन आपके साथ है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, देश को जानकारी है कि भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। किसी राज्य में एक, किसी में दो, किसी में तीन, चार, पांच तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्यों में हुई है। बिहार ही ऐसा दुर्भाग्य वाला राज्य है, जहां अभी तक एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई है। बहुत लंबे समय से मांग हो रही है कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाये। यह मांग बहुत समय से है। पटना विश्वविद्यालय नामी विश्वविद्यालय है और देश और दुनिया में इसकी ख्याति है, लेकिन अभी तक उस पर विचार नहीं हुआ है। अभी पता चला कि राज्य सरकार ने कहा कि महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय चंपारण में बनेगा, लेकिन उस पर भी कई वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इस बयान के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है? देश के अन्य राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, लेकिन बिहार में अभी तक एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। यह कब होगा, इसकी क्या स्थिति है? राज्य सरकार का क्या प्रस्ताव है, भारत सरकार का क्या कहना है? इस तरह से भेदभाव क्यों हो रहा है? अब वहां की आबादी 10 करोड़ होगी, लेकिन वहां पढ़ाई-लिखाई और सभी मामलों में पिछड़ापन है। वहां पर केंद्र सरकार की मदद होनी चाहिए। अन्य राज्यों एक, दो, तीन, चार, पांच तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, लेकिन वहां एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। हम इसी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। सदन को और देश को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय कब खुलेगा, कहां खुलेगा, वह अब तक क्यों नहीं खुला? लोगों को पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार की ओर से इंसाफ होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे अति अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज पूरे भारतवर्ष में वर्षा लगातार नहीं हो रही है। वर्षा कहीं-कहीं हो रही है और कहीं-कहीं नहीं हो रही है। पूरे भारतवर्ष में सूखे की स्थिति है। मैं आपके माध्यम

से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। देश के ज्यादातर पिछड़े राज्य ही सूखे की चपेट में हैं।

उत्तर प्रदेश में अभी तीन-चार दिन पहले वहां की सरकार ने केवल दस जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। जिसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र कौशाम्बी भी है। एक भेदभाव पिछली बार भी था और इस बार भी है कि मंत्रिमंडल में जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने अपने जिले को तो सूखाग्रस्त घोषित करवा लिया है, लेकिन बहुत से ऐसे जिले हैं जो आज भी सूखे की चपेट में हैं।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि एक केन्द्रीय दल उत्तर प्रदेश के जिलों में भेजा जाए और सर्वे कराया जाए। सही मायने में जो जिले सूखे से पीड़ित हैं, उन्हें सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। पिछले साल ऐसे तमाम जिलों को छोड़ दिया गया था, जो कि हमारे बड़े नेताओं से संबंधित थे, राजधानी के आसपास के ले लिए गए। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह किसान से संबंधित है। किसान को जब तक वर्षा नहीं मिलेगी, तब तक उसकी खेती नहीं होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में धान की रूपायी हुई है, लेकिन वह पीला पड़ गया है। जब तक धान के कल्ले पर, धान की पत्तियों पर बारिश नहीं पड़ती है, तब तक धान अच्छी तरीके से नहीं उगता है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि बादल फटने से लेह-लद्दाख में जानमाल की हानि हुई है। मैं मांग करूंगा कि ऐसी जगह पर केन्द्रीय टीम भेजकर राहत कार्य करवाया जाए और जो भी पैसा केन्द्र दे, वह प्रभावित जिलों तक सीधा पहुंचे। सूखाग्रस्त जिला घोषित हो जाता है, लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं, उनके लिए चारे और टीकाकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में महामारी फैलती है। जिन सीमान्त और लघु कृषकों की फसल चौपट होती है, उन्हें फसल बीमा योजना के तहत सुविधाएं दी जाएं। स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिनमें संसद सदस्य हों अथवा विधान सभा के सदस्य हों, कोई भी राहत सामग्री जब भेजी जाए तो कम से कम उनसे विचार विमर्श करके, जिले की मीटिंग करके राहत पहुंचायी जाए। इन्हीं बातों का निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

<u>18.11 hrs</u>

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, मैं उस बात की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिस बात की तरफ माननीय रघुवंश जी भी सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। उत्तर-दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले दो पुल हैं एक पटना का है और दूसरा मोकामा का है। मोकामा का पुल लगभगर 50 वर्ष पुराना है, उसकी हालत बहुत खराब है। बार-बार मरम्मत होने के कारण उस पर बड़े वाहन का चलना बंद है, जिसके कारण एनएच-57 और जितनी उत्तर बिहार की सड़कें हैं, उन सड़कों के लिए से मैटीरियल जाना बंद हो गया है। जो गंगा का पुल है, मैसर्स गैमेन इंडिया लिमिटेड ने 1972 से 1982, तथा

1983 और 1987 के बीच दो लेन का निर्माण किया। 14-15 वर्ष बीतते-बीतते दोनों लेन जर्जर हो गई हैं और अब तक 94 करोड़ रुपया मरम्मत पर खर्च हो गए हैं और 101 करोड़ रुपए उस पर और खर्च करने की योजना है। इसी सदन में सरकार ने 9 मार्च 2010 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1904 में स्वीकार किया है। मेरा कहना है कि जब यह पुल 15 साल के अंदर जर्जर हो गया, तो बनाने वाली कम्पनी ने कन्स्ट्रक्शन में गलती की है, आर्किटेक्चर ने गलती की है, कन्सल्टेंट ने गलती की है और उसे बनाने वाले जो इंजीनियर्स थे, उस कम्पनी के साथ सांठ-गांठ करके गंगा पुल को जितना बनाने में खर्चा नहीं आया था, उतना मरम्मत पर खर्चा हो गया, लेकिन उस पर छह चक्के से अधिक वाले ट्रक जाने बंद हैं, जिसके कारण उत्तर बिहार में बिल्डिंग मैटीरियल, रोड मैटीरियल, कन्स्ट्रक्शन मैटीरियल जाना बंद हो गया है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि एनएच और एनएचआई दोनों मिल कर और कुछ ऑफिसर मिल कर इस कंस्ट्रक्शन कम्पनी को बचाने के लिए सत्य को छिपाते है। मैं जब उनसे पूछता हूं कि उसका मूल प्राक्कलन कितना था तो एनएच और एनएचआई बताने के लिए तैयार नहीं है। उसका कंसलटेंट कौन था, यह बताने को वे तैयार नहीं हैं। इसलिए लगता है कि गहरे षडयंत्र के तहत एनएचआई और कुछ आफिसर लोग मिल कर इस बात को छिपा रहे हैं। गेमन इंडिया ने इतना बड़ा घोटाला और अन्याय किया है। बिहार के दोनों पुल जर्जर हो चुके हैं, इसलिए आज हम उत्तर-बिहार कोई भी साधन या चीज दक्षिण-बिहार से सड़क के मार्फत नहीं ले जा सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी इन पुलों की मरम्मत कराएं। इसके लिए अधिक से अधिक पैसा दें, उस पर वाहन चलाएं। एनएच 57, जो ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर है, वह जल्दी समय पर पूरा हो, इसकी व्यवस्था करे। गेमन इंडिया लिमिटेड ने बिहार के साथ जो दगाबाजी एवं घोटाला किया है, उसे ब्लैक लिस्टेड करे, उस पर मुकदमा चलाए और उस इंजीनियर को जेल में बंद करे।

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to raise a matter of urgent public importance regarding the urgent need of special equipment and teachers for visually handicapped students in Government Upper Primary Schools under Rajiv Vidya Mission.

The drop out rate among visually impaired students from Lower Primary Schools to Upper Primary Schools is as high as 80 per cent. The main reason is lack of sophisticated equipment like the Braillers from Class Six which will cost

around Rs. 10,000. Under the Government scheme, the visually impaired are entitled for Rs, 1,200 per year. The other main reason is lack of qualified teachers to train visually handicapped students. Teaching Braille is a very individualized one-to-one process.

To increase the literacy levels and reduce the drop out rate of visually handicapped students, I request the Government, through you, to provide enough Braillers and appoint qualified teachers on top priority basis for the Upper Primary Schools under the Rajiv Vidya Mission.

SHRI RAJAIAH SIRICILLA (WARANGAL): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to bring an important and vital issue pertaining to my constituency before this august House and this is with regard to upgradation and establishment of airports.

Warangal district is the fourth biggest district in Andhra Pradesh and Warangal is the second biggest city in Telangana region of Andhra Pradesh. It has several educational institutions which give admission not only to Indian nationals but also NRIs. As we know, Warangal is a historical city. It was the headquarters of the Kakatiya Dynasty. It has several tourism destinations. Earlier there was an airport in Warangal and Vayudoot service was in operation. But it was stopped and the reasons are not known.

Having an airport at Warangal is a long-pending dream of the people of my constituency. The earlier airport at Warangal has about 775 acres of land and in addition to that, certain infrastructure is also available there. Previously Vayudoot service was in operation. Though the Government is promising to establish an airport at Warangal, it has not materialized so far.

The reasons are not known. It is important now to bring this to the kind notice of this august House that the Begumpet Airport, which is an international airport, was in operation with 750 acres of land, whereas in Warangal the land available is 775 acres. Therefore, I would like to draw the attention of the Government to initiate necessary steps for establishment and construction of an

airport there so as to upgrade the Warrangal town at par with other towns of the country.

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वह देश के जो सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके अन्तर्गत आता है। बुंदेलखंड में गरीबी और अशिक्षा है। इसलिए डॉ. हरि सिंह गौर, जो देश और दुनिया के बहुत बड़े लॉयर और संविधान निर्माता थे, उन्होंने अपने जीवन की सारी सम्पत्ति लगाकर वहां सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उसमें न राज्य सरकार का और न भारत सरकार का एक पैसा भी नहीं लगा। कुछ समय पहले भारत सरकार ने उस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया। उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा, बल्कि वह पूरी सम्पत्ति डॉ. हरि सिंह गौर की बनाई हुई है।

सभापति महोदय, यदि डॉ. हरि सिंह गौर चाहते, तो वह उस यूनिवर्सिटी को दिल्ली में भी बना सकते थे या नागपुर में भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने वह यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड में बनाई। उसे बुंदेलखंड बनाने का उनका एक ही उद्देश्य था कि बुंदेलखंड में जो पिछड़ापन और अशिक्षा है, वह दूर हो। वहां के छात्रों को इस विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा मिले और वे पढ़ कर आगे बढ़ें। भारत सरकार द्वारा सागर विश्वविद्यालय, यानी ड़ॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना देने से बुंदेलखंड के छात्रों को प्रवेश मिलना बन्द हो गया है। जो उस विश्वविद्यालय की मूल भावना थी, जिस भावना से उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति लगाकर वह विश्वविद्यालय बनाया कि बुंदेलखंड के छात्रों को पढ़ने और आगे बढ़ने का अवसर मिले, लेकिन अब वहां के छात्रों को उस विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल रहा है, इसलिए उसकी मूल भावना ही समाप्त हो गई है।

सभापति महोदय, इस कारण से पिछले 15 दिनों से वह यूनिवर्सिटी बन्द है। बुन्देलखंड के जो हमारे छः जिले हैं, उन सभी की मांग है कि हमारी उस यूनिवर्सिटी के अन्दर कम से कम, 50 प्रतिशत का आरक्षण, हमारे बुंदेलखंड के जो गरीब और पिछड़े छात्र हैं, उन्हें दिया जाए। वहां इस मांग को लेकर आन्दोलन चल रहा है।

सभापति जी, देश में ऐसे अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, जहां पर उस राज्य के लोगों को या उस क्षेत्र के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हमारे बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को समझते हुए, जो हमारी सागर यूनिवर्सिटी है, उसमें बुंदेलखंड के गरीब और पिछड़े छात्रों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र कुमार, माननीय सदस्य, इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): माननीय सभापति जी, आपने मुझे सदन में बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बालाघाट से चुनकर आया हूं। बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है। भारत के 34 नक्सल प्रभावित जिलों में मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला भी नक्सल प्रभावित माना जाता है। जबलपुर से गोंदिया तक नैरोगेज ट्रेन चलती थी। 1997 में तत्कालीन रेल मंत्री, श्री राम विलास पासवान द्वारा उसे ब्रॉडगेज लाइन बनाने का शिलान्यास किया गया।

आज 13 साल हो गये, गोंदिया से बालाघाट तो नैरोगेज से ब्रॉडगेज हो गई, मगर बालाघाट से जबलपुर अभी भी नैरोगेज चल रही है, ब्रॉडगेज में परिवर्तित नहीं हुई है, उसका काम लम्बित पड़ा हुआ है। जब भारत शासन चाहता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा राशि वहां के विकास कार्यों में खर्च होनी चाहिए और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान भारत सरकार का जाता है तो बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है, आदिवासी बाहुल्य जिला है, मध्य प्रदेश के अन्तिम छोर का एक पिछड़ा जिला है, वहां 13 साल हो गये, जिस मार्ग को भारत सरकार के द्वारा, रेलवे मंत्रालय के द्वारा नैरोगेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। लेकिन आधा-अधूरा काम होने से बालाघाट जिले के उद्यमियों, व्यापारियों, छात्रों और किसानों में तीव्र आक्रोश है। वह क्या कारण है कि जो मन्द गति से काम चल रहा है, वे कौन से कारण हैं रेलवे मंत्रालय जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास करे। एक योजना बनी, एक प्रोजैक्ट बना, वर्षों से बालाघाट जिले के लोगों के मन में तमन्ना थी, कि हम नैरोगेज से ब्रॉडगेज में सफर करेंगे और हमारे लिए बालाघाट जिले के लिए एक विकास का नया रास्ता खुलेगा, मगर उनका सारा सपना धरा का धरा रह गया है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि 13 साल होने के बावजूद भी आधी-अधूरी योजना ब्रॉडगेज की पड़ी हुई है, रेलवे मंत्रालय इस पैंडिंग, लम्बित, अपूर्ण योजना को शीघ्र प्रारम्भ करने का कष्ट करे। बालाघाट जिले की जनता की भावनाओं की ओर मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होने जा रहा है। उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या अनियमितताएं हैं, उसकी चर्चा करना मेरा आज का विषय नहीं है।

मैं यह मानता हूं कि यह बहुत बड़ा आयोजन है। हमारी प्रतिष्ठा से, हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे बड़ा दुख इस बात को कहते हुए हो रहा है कि बड़े खुले हाथ से खर्चा होने के बाद भी सारे

आयोजन के अन्दर कहीं भी हिन्दी दिखाई नहीं देती। यह देश की प्रतिष्ठा की बात है, परन्तु देश की भाषा कहीं उसमें दिखाई न दे तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि किस प्रकार से हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप दिल्ली में कहीं भी जायें तो हिन्दी की दुर्दशा है। आप यदि किसी सर्किल से गुजरें तो बाईं तरफ से आप जाएंगे तो अकबर रोड, मोतीलाल नेहरू रोड के बोर्ड आपको अंग्रेजी में दिखाई देंगे और जब दिशा परिवर्तित करके उल्टे हाथ से आएंगे, गलत दिशा से आएंगे तो आपको उधर हिन्दी दिखाई देगी, यानि हिन्दी को उन्होंने रोंग साइड पर रख दिया है, यह स्थिति दिखाई दे रही है। …(व्यवधान)

दुनिया भर के देशों में आयोजन होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, खेलों के आयोजन होते हैं, अन्य आयोजन होते हैं तो सब देश अपनी भाषा का बड़े गर्व के साथ, बड़े अभिमान के साथ प्रयोग करते हैं। अभी चीन में ओलम्पिक हुए, हम सब कार्यक्रमों में देखते थे तो चीनी भाषा हमें दिखाई देती थी, अंग्रेजी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि अंग्रेज तो भले ही चले गये पर अंग्रेजी राज यथावत् बना हुआ है। अभी दो दिन पहले यह पुस्तिका हमको मिली है। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सांसदों के यहां गई होगी, 'Seventy Five Days to Go: An Overview' इसके अन्दर एक भी शब्द हमको हिन्दी का दिखाई नहीं देता है। पूरा विवरण, किस प्रकार से खेलों का आयोजन हो रहा है, क्या इसकी तैयारियां हो रही हैं, इसमें शेरा का जिक्र है, इसके अंदर खेल ग्राम का जिक्र है, पर हिंदी नहीं है, अंग्रेजी में ही सारा विवरण है। मुझे आशंका है और चिंता भी है। …(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : यह देश का दुर्भाग्य है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : मेरे कहने का मतलब है कि हिंदी की इस प्रकार की उपेक्षा से हम किस प्रकार का चित्र बनाने वाले हैं? यहां अंग्रेजी का उपयोग करके हम उन्हें क्या दिखाने वाले हैं? आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है कि सरकार हस्तक्षेप करे, हिंदी को समुचित गौरव प्रदान किया जाए, हिंदी में नामपट्ट हों, सूचनापट्ट हों, निमंत्रण पत्र हों या अन्य सामग्री हों, उनके अंदर हिन्दी को समुचित स्थान दिया जाए। यह बात सुनिश्चित की जाए कि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी या अन्य जो हमारे बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, उनके भाषण मुख्य रूप से हिंदी में हों चाहे उनका अनुवाद दूसरी भाषा में भले ही हो। उद्घाटन भाषण और समापन भाषण हिंदी में हों, क्योंकि अगर हिंदी का सम्मान होगा तभी देश का सम्मान होगा। हिंदी देश के सम्मान से जुड़ी हुयी है। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी, श्री अशोक कुमार रावत, और श्री दारा सिंह चौहान जी अपने को राजेन्द्र अग्रवाल जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जार्वा के संरक्षण के लिए समय-समय पर जार्वा एरिया को बढ़ाया गया, लेकिन जार्वा का संरक्षण नहीं हो रहा है। जार्वा भारत के अंडमान में दुनिया की एक ऐसी संपदा है, जिसे दिल्ली के कुछ लोग और अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी के अफसर लोग मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली में एसी में बैठकर अंडमान के जार्वा की क्या हालत बनायी है, मैं आपको बताता हूं। वर्ष 1957 में जार्वा के नाम पर 1,077 वर्ग किलोमीटर एरिया था, उसके बीच में अंडमान ट्रंक रोड गयी। वहां आपने देखा भी है कि वर्ष 2004 में जार्वा का एरिया घटकर 1,028 वर्ग किलोमीटर रह गया। वर्ष 1888 में जार्वा की कुल संख्या 1,250 थी। आज जार्वा 360 जीवित हैं। जार्वा एरिया को प्रोटेक्शन कौन देगा? यह वह एरिया है, जहां पर उचित मात्रा में प्रोटेक्शन फोर्स नहीं है। कुल एरिया 1,028 वर्ग किलोमीटर है, जबकि कांटैक्ट में 22 या 23 आदमी हैं। जार्वा में ओपन समुद्र है। वर्मा वहां अंदर घुस रहा है। जार्वा को मार रहा है। जार्वा का प्रोटेक्शन करने के लिए जो फोर्स बनायी गयी, स्टाफ एजीबीएस, उनकी तनख्वाह 8,500 रूपए है, जो दस साल से वहां काम कर रहे हैं। उनके पास न वेहिकल्स हैं, न मोटर साइकिल्स हैं, न शिप्स हैं, कुछ भी नहीं है। जार्वा एरिया में नाम का प्रोटक्शन है। वर्ष 2006 में 30 अक्टूबर को दिल्ली के कुछ लोगों ने एसी रूम में बैठकर, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी का चिंतन लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चिंता की, तत्कालीन कांग्रेस के एमपी भक्त जी, पियरे मेंबर ने स्थानीय अंडमान अधिकारी से बिना सलाह किए बफर जोन बनाया। बफर जोन बनाकर आज अंडमान निकोबार में कितना एरिया है, नोटिफिकेशन वर्ष 2006 में हुआ, न उसे सरकार जानती है, न प्रशासन जानता है। मैं अंदाजे से कहता हूं कि छः हजार किलोमीटर बफर जोन में आ गया। इसका परिणाम मैं आपको बताता हूं। फरहरगंज तहसील में पांच पंचायत जिनके नाम तुस्नाबाद, फरहरगंज, वृंदावन, सोलबे, मनहरघट, कुल 17 गांव का एरिया चला गया, 10 हजार 154 हेक्टेयर जमीन जार्वा के अंदर बफर जोन में चली गयी। करीब-करीब दस हजार आबादी जार्वा में आ गयी। वह कौन सा एरिया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब पहला सेटलमेंट हुआ था, जब अखंड भारत था, उस समय सारे भारत के लोगों को पैनल सेटलमेंट में बैठाया गया था, वह गांव भी जार्वा एरिया में बफर जोन में आ गया, जिनके नाम कैटलगंज, आनिकेट, फरहरगंज हैं, वे भी जार्वा एरिया में आ गए। रंगत तहसील में एक आइलैंड का नाम बाराटांग था, जहां मुंडा, ओरांव ओर खड़ियां हैं, उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। दो पंचायत है - ओरॉलकच्चा और सुंदरगढ़, दोनों बफर जोन में दे दिए । उसके बाद उसी तहसील में और तीन पंचायत हैं, जहां ईस्ट बंगाल रिफ्यूजीज को लाया गया था, उनका सेटलमेंट कराया गया था।

कदमतला, उत्तरा, कौशल्यानगर पंचायत में 8 गांव तथा 7173 हैक्टेयर जमीन बफर जोन के नाम पर चली गया। मायाबंदर तहसील, चीन पंचायत - हरिनगर, चेनपुर, पालगांव और करीब छः गांव जारवाज़ के नाम पर चले गए जिसमें कुल जमीन 4073 हैक्टेयर थी। कुल मिलाकर अंडमान जिले में 13 पंचायत, 31 गांव, 6,900 हैक्टेयर रिवन्यू लैंड, जहां पैनल सैटलमैंट के लिए लोग बैठते हैं, करीब-करीब 21 हजार की आबादी को जारवाज़ में डाल दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जारवाज़ के नाम पर आपस में लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, खून-खराबा करेंगे। जारवाज़ के नाम पर दिल्ली के लोग जारवाज़ को मारना चाहते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जो बफर जोन बनाया गया है, उसे तुरंत हटाया जाए। मैंने 26 जुलाई की आईडीए स्टैंडिंग कमेटी में इसके बारे में चर्चा की और मांग भी की थी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जारवाज़ एरिया में जो बफर जोन बनाया गया है, उसे तुरंत वापिस लिया जाए।

मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि जारवाज़ एरिया के बारे में कुछ लोग दिल्ली में बैठकर बोलते हैं कि अंडमान ट्रंक रोड को बंद कर दो, अंडमान के लोग समुद्र के रूट से जाएंगे। संसद सदस्य अंडमान का दौरा करते हैं। वहां से हैवलॉक जाना पड़ता है। आपके प्रोग्राम में लिखा रहता है - सब्जैक्ट टू वैदर। अगर समुद्र में मौसम खराब होगा तो हैवलॉक नहीं जाएंगे। यदि समुद्र में 7 मीटर ऊंची लहरें आएंगी तो क्या लोग अंडमान जाएंगे? ऐसा कुछ लोग दिल्ली में बैठकर बोलते हैं।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि अंडमान ट्रंक रोड में ममता जी द्वारा अपने बजट में दी गई रेल को दिगलीपुर से पोर्ट ब्लेटर तक ले जाई जाए। वहां नेशनल हाई वे बनाने की अनुमति दी जाए और अंडमान का जो एरिया बफर जोन में चला गया है, उस जमीन को वापिस अंडमान की रिवैन्यू लैंड में परिवर्तित करें। वहां से बफर जोन को तुरंत हटाया जाए, यह मेरी मांग है।

श्री नारायणसामी, हमारे अंडमान-निकोबार की समस्या पर विशेष ध्यान दें। मैं नारायणसामी जी के पास गया था। वे बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं, प्रधान मंत्री जी के राइट हैंड हैं। यदि वे अंडमान-निकोबार जाएं तो वहां जाने के बाद वे अगली बार केबिनेट मंत्री बन जाएंगे।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बुनकर समाज की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान किया। आज बुनकर समाज बदहाली व आर्थिक तंगी से गुजर रहा है जिससे अनेक लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कभी अपने हुनर के बल पर मऊ भारत का मैनचैस्टर कहलाता था। टांडा, अकबरपुर, बाराबंकी, जैतपुर, पिलखवा जैसे प्रमुख बुनकर केन्द्र हैं, लेकिन आज जिस तंगी से लोग गुजर रहे हैं, उसकी भयावह तस्वीर दिखने लगी है। हालात से न लड़ने के कारण वे मौत को गले लगाने पर मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के अकेले मऊ में सिर्फ पिछले दो

महीने में पांच बुनकरों ने आत्महत्या की है और अनेक ने प्रयास भी किए हैं। भदोही जो वुलन कारपेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्किट कहलाता है, वहां भी आर्थिक तंगी के कारण दो बुनकरों ने आत्महत्या कर ली है। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में मऊ बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है तथा इसके अलावा वहां मुहम्मदाबाद, गोहना, घोसी, कोपागंज, अदरी, चिरैयाकोट आदि कस्बों में बुनकरों की संख्या की बहुतायत है। अकबरपुर, टांडा, जैतपुर, बाराबंकी, पिलखवा भी बुनकर बाहुल्य क्षेत्र हैं। 80 और 90 के दशक में मुस्लिम बुनकरों की सम्पन्नता को देख अन्य समुदाय के लोग भी इस पेशे से जुड़ गए। गांव-गांव में पावरलूमों की स्थापना होने लगी। लोगों को लगने लगा था कि बुनाई उद्योग विकसित होकर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य बदल देगा। लेकिन महज कुछ ही वर्षों में हालात इस कदर खराब हो गये हैं कि वे भी आज आर्थिक मंदी में फंस गये। इस आर्थिक मंदी ने कई लोगों की जिंदगी की राह बदल दी। कुछ ने धंधे बदल लिए और कुछ बेकारी की हालत में जिंदगी की जंग हारने लगे।

इस भयावह स्थिति से निपटने तथा बुनकरों के कल्याण के लिए अत्यंत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में साड़ी बोर्ड का गठन किया जाये, क्योंकि इस क्षेत्र की साड़ियों की डिमांड देश के विभिन्न हिस्सों से लेकर विदेशों तक है। उत्तर प्रदेश के बुनकर आज भी परम्परागत तरीके से बुनाई करते हैं और वे भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने को आतुर हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह संभव नहीं है। इन्हें सरकार की मदद की सख्त आवश्यकता है। सूत निर्यात हो जाने के कारण सूत महंगा हो गया है। महंगे सूत से उनका पड़ता नहीं बैठता है। निर्यात भी बुरी तरह बाधित हो गया है। ...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : आप भारत सरकार से मांग कीजिए। ...(व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया : आप बैठिये, समस्या पर विचार हो रहा है और आपको खुजली हो रही है। ...(व्यवधान) बिजली की उपलब्धता नगण्य है, उत्पादन ठप्प है। वे न बिजली का बिल जमा करने की स्थिति में हैं और न ही बैंक का कर्जा अदा करने की स्थिति में हैं। किसानों का कर्ज माफी की तर्ज पर बुनकरों के पुराने बैंक लोन तथा पुराने बिजली देयों को माफ किया जाना चाहिए। अति पिछड़े तथा बुनकरों के लिए सरकारी नौकरी में अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बुनकर समाज सम्मान का जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, मैं संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ से आता हूं। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़. छत्तरपुर और पन्ना जिले वे स्थान हैं, जो आजादी के 62 वर्षों के बाद भी आज तक रेल लाइनों की सुविधाओं से वंचित है। वहां के लोगों ने रेल नहीं देखी है। इस कारण वहां का सामाजिक,

आर्थिक, शैक्षणिक विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है। वहां कोई भी उद्योग धंधे इस कारण भी स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर रॉ मैटीरियल नहीं पहुंच पाता है और माल निर्माण होने के बाद विक्रय करने के लिए रेल लाइन से वे बाहर भी नहीं भेज सकते हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन बनायी गयी है और उस पर काफी कुछ काम भी हो गया है, लेकिन उसमें इतनी कम राशि आवंटित की जा रही है कि वह काम कछुए की गति से चल रहा है। अगर ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन को शीघ्रता से पूर्ण कराया जायेगा, तो मेरे संसदीय क्षेत्र का टीकमगढ़, छत्तरपुर और उसके साथ-साथ पन्ना जिले का मजदूर रोजगार के अभाव में वहां से निकलकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की ओर आना पड़ता है, अगर वहां रेलवे लाइन डाल दी जायेगी, तो वहां उद्योग धंधे स्थापित हो जायेंगे, शिक्षा के अवसरों का प्रसार होगा, सामाजिक विकास होगा। यहां तक कि टीकमगढ़ में मिट्टी भी डल गयी है और वहां रेलवे स्टेशन भी बन गया है। टीकमगढ़ की जनता रेलवे स्टेशन को जाती है। वह बड़ी आशा भरी नजरों से रेलवे लाइन की ओर निहारती है कि कब हमारे शहर में रेल आयेगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विशेष राशि आवंटित की जाये। केन्द्र सरकार बुन्देलखंड पैकेज की बात बार-बार करती है, लेकिन वे सारी योजनाएं जो पहले से चल रही हैं, उन योजनाओं के विकास के नाम पर बुन्देलखंड के विकास की बात की जा रही है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सही मायने में बुन्देलखंड का विकास करना चाहते हैं, तो बुन्देलखंड के विकास के लिए ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन जीवन रेखा का काम करेगी। इस रेलवे लाइन के लिए विशेष रूप से राशि आवंटित करके शीघ्र ही इस योजना को पूर्ण कराया जायेगा, तो बुन्देलखंड का विकास तीव्र गति से होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : सभा की कार्यवाही 9 अगस्त, 2010, सोमवार को 11 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

18.44 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday August 9 , 2010/18 Sravana, 1932 (Saka)